

अध्याय- 1

Introduction:

District Disaster Management Programme

परिचयः

जिला आपदा प्रबंधन योजना

विषय वस्तु-

- 1.1 परिचय, उद्देश्य व लक्ष्य
- 1.2 DDMP अधिनियम 2005
- 1.3 संक्षिप्त मूल्यांकन
- 1.4 प्रभारी व दायित्व
- 1.5 DDMP उपयोग प्रक्रिया
- 1.6 DDMP योजना स्वीकृति
- 1.7 DDMP मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण

1.1 परिचय, लक्ष्य व उद्देश्य -

1.1.1 परिचय-

जिले के आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु जिला प्रशासन एवं जन साधारण की क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इससे निपटने की तैयारियों और साधनों का विकास करना है। ताकि आपदाओं के दौरान कम से कम जन धन की हानि हो अथवा उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके या बचा जा सकें।

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाओं उसके पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, वरन् प्रौद्योगिक एवं औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिये नये ढार खोल दिये हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदा का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है। आपदा प्रबन्धन योजना जिले में होने वाली सम्भावित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनायें, आगजनी, सड़क दुर्घटनायें, रेल व वायुयान दुर्घटनायें इत्यादि से निपटने के लिये सहायक दस्तावेज हैं। राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के पर्यायिकाची बन गये हैं। पिछले 60 वर्षों में (1950 से 2010) में मात्र 12 वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं, जबकि 48 वर्षों में राज्य का कोई न कोई जिले भाग अकाल ग्रस्त रहा है।


राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी-कभी पड़ता था, वह अब स्थाई आपदा बन गया है। वर्ष 2002-2003 में सभी जिले, वर्ष 2005 में राज्य के 32 में से 25 जिले सूखे से प्रभावित रहे हैं। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलों का चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है।

बाढ़ एवं भूकम्प भी ऐसी आपदायें हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन धन एवं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिये यह संस्थागत ढाँचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.1.2 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य-

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न है :-

- जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- जिले में विद्यमान विभिन्न मूलभूत आपदा नियंत्रण सुविधाओं के रूप का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- आपदा न्यूनीकरण (Minimization) के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियाव्वयन करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।



चित्र 1.1 आपदा प्रबंध योजना के उद्देश्य

1.1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य -


जिला चित्तौड़गढ़ DDMP के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-

- आपदा की समझ व जागरूकता विकसित करना।

- चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख आपदाओं का ऐक्सांकन।
- आपदाओं के सन्दर्भ में जिले की संसाधन क्षमताओं का मूल्यांकन।
- जिला प्रशासन व जन सामान्य में आपदा प्रभावों को न्यूनतम बनाने की क्षमता विकसित करना।
- जिले के सर्वांगीण विकास हेतु आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी व उत्तम प्रलेख तैयार करना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं, उनको बिल्कुल भूला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति-आवश्यक है जिसके कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-

- (क) प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- (ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- (ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- (घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रातों की सूची तैयार करना।
- (ङ) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
- (च) सभी सहायता कार्यों का पारम्परिक समन्वय करना।
- (छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।



चित्र 1.2 जिला आपदा प्रबंध कार्य योजना

1.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005-

आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर 2005 से लागू किया गया है। यह आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए निर्मित किया गया है। उक्त अधिनियम में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सम्पूर्ण हानि या मानवीय पीड़ाएँ, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हैं।

मुख्य बिन्दु :

1. राष्ट्र व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण का कार्य करेगा।
2. आपदा राहत व बचाव हेतु राष्ट्रीय आपदा मोर्चन बल (NDRF) तथा राज्य आपदा मोर्चन बल (SDRF) का गठन।
3. प्रत्येक राज्य व जिले की एक आपदा प्रबंधन योजना होगी जिसमें त्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन व आधुनिकीकरण होगा।
4. आपदा से निपटने हेतु राष्ट्र-राज्य-जिला के मध्य प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित किया जायेगा।
5. आपदा से निपटने हेतु क्षमतावर्धन प्रशिक्षण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व तैयारी पर विशेष जोर होगा।

1.3 नीतिगत कथन व संक्षिप्त परिचय-

गुजरात के भुज क्षेत्र में दिनांक 26.01.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जुझाना पड़ा था। इसी परिपेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। पिछले सालों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर एवं बीकानेर के बिरद्वाल हेड के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लूणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले सालों के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी में आया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक दक्षता में कमी होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है।

सामान्यतः शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में बढ़ते हुये औद्योगिक इकाइयों, ऑयल डिपो, गैस गोदाम/डिपो, कच्चे केलूपोस मकान एवं झोपड़ियों में बिजली के शॉट सर्किट हो जाना एवं पहाड़ी- सघन वन क्षेत्रों में बाँस आदि की रगड़ से आग लग जाना एवं कई बार राहगीरों द्वारा बिड़ी, सिगरेट पीकर उसको अर्ध जली हालात में फेकने के कारण आग लगने की सम्भावनायें अधिक रहती हैं। आग लगने से अत्यधिक ताप का बढ़ना, धुएँ का एकीकृत होना घटना स्थल पर विस्फोट होना, भवनों का

गिर जाना/क्षति होना, आवश्यक सेवाओं, पानी, बिजली, आदि में व्यवधान जानमाल की हानि तथा वनस्पति का नष्ट होना आदि दुष्प्रभाव प्रकट होते हैं। कई बार रसोई घर में भी रसोई गैस चलाकर इधर-उधर चले जाना एवं पुराने पाईप से गैस लीक होना, गैस चलाने के लिये माचिस का उपयोग, बिजली के बटन से भी आग लगने की सम्भावनाएँ, यंत्रों के अधिक गर्म होने पर भी चिंगारियां छोड़ना आदि क्षेत्र आग के प्रति संवेदनशील होते हैं। आज-कल शादी के पाण्डाल बनाये जाते हैं वहीं पर गैस भट्टियाँ एवं तन्दूर आदि, बिजली फिटिंग में लापरवाही, उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल का अलग ना होना, ज्वलनशील पदार्थ के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से, वर्षा ऋतु में बिजली गिरने, पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सियों एवं छविगृहों में आग लगने की अधिक सम्भवनाएँ रहती हैं। औद्योगिक इकाइयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण, एवं असावधानिक पूर्वक प्रयोग, साथ ही ज्वलनशील घोल में अन्य पदार्थ के मिश्रण से भी आग लग सकती है। देश में हुये कुछ उदाहरण जैसे शादियों के कारण डबगाली अग्निकांड, भरतपुर में आयुध डिपो में आग आदि कई परिस्थितियाँ से बाहरी क्षेत्र में भयंकर आग लगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कच्चे मकान, बिजली शॉर्ट सर्किट होना, बिस्तर में लेटे-लेटे बीड़ी-सिगरेट पीना, आतिशबाजी, खेत खलिहानों में अवशिष्ट एवं काँटों को जलाते वक्त हवा चलने से चारों ओर आग फैल कर भयावह रूप धारण कर लेती है।

इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने एवं बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख हो। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

जिला DDMP योजना के चरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं -

- जिले की विभिन्न आपदाओं का जोखिम, संवेदनशीलता व क्षमता विश्लेषण
- DDMP हेतु जिला संस्थागत व्यवस्था
- जिले में आपदा शमन व रोकथाम के प्रयास
- जिला आपदा व राहत प्रत्याक्रमण
- जिले में विचीय संसाधन
- आपदा रोकथाम हेतु तैयारी
- मूल्यांकन

इन विभिन्न चरणों में चित्तौड़गढ़ जिले का विस्तृत अध्ययन कर जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

1.4 प्रभारी व दायित्व -

जिले में DDMMP से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों हेतु प्रभार व दायित्व निम्न प्रकार हैं -

क्र.सं.	विभाग/अधिकारी	प्रभार/दायित्व
1.	जिला कलक्टर	आपदा-राहत व प्रत्याक्रमण कमांडर, आपदा के समय जिले का उत्तरदायी अधिकारी
2.	प्रभारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	आपदा राहत व प्रत्याक्रमण सचिव, कार्यकारी प्रभारी
3.	जिला कार्यकारी समिति	DDMP निर्माण, मूल्यांकन, आधुनिकीकरण
4.	कोषागार	आपदा राहत-प्रत्याक्रमण हेतु वित्त व्यवस्था
5.	चिकित्सा, पुलिस, विद्युत, पेयजल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि, सिंचाई	आपदा के समय उत्तरदायित्व व प्रभार अनुसार त्वरित कार्यवाही

तालिका- 1.1 DDMMP प्रभार व दायित्व

1.5 DDMMP उपयोग प्रक्रिया -

DDMP जिला चित्तौड़गढ़, जिले के लिए एक आदर्श रूप रेखा है जो संभावित आपदाओं, उनके प्रभावों तथा आपदा शमन व रोकथाम के उपाय सुझाती हैं। DDMMP का क्रियान्वयन तथा उपयोग एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। यह *Top to Bottom to Top* प्रक्रिया का अनुसरण करती है। DDMMP के क्रियान्वयन व उपयोग सम्बन्धी विस्तृत जानकारी अध्याय 12 - “मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट ” में दी गई है।

1.6 DDMMP योजना स्वीकृति -

DDMP चित्तौड़गढ़ की स्वीकृति दो स्तर पर ली जानी प्रस्तावित है।

- जिला स्तर पर - जिला कार्यकारी समिति - जिसमें जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी तथा विभिन्न प्रशासनिक व अग्रणी विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे।
- राज्य स्तर पर - राज्य कार्यकारी समिति - इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया तथा राज्य स्तर के विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी सम्मिलित होंगे।

उक्त दोनों स्तरों पर DDMMP के अनुमोदन के पश्चात् DDMMP का क्रियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिले में किया जायेगा।

1.7 DDMP मूल्यांकन व आधुनिकीकरण-

जिला DDMP एक गतिक व परिवर्तनशील अभिलेख है। समय व आवश्यकतानुसार DDMP का मूल्यांकन व आधुनिकीकरण सतत् व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। DDMP में त्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन व आधुनिकीकरण प्रस्तावित होगा। DDMP अधिनियम - 2005 के अनुसार DDMP में आंशिक रूप से वार्षिक तथा प्रत्येक 5 वर्ष में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। जिला DDMP में मूल्यांकन व आधुनिकीकरण में इसी पद्धति का अनुसरण किया जायेगा।

अध्याय-२

Hazard Vulnerability, Risk and capacity Assessment

**आपदा सुभेद्यता, जोखिम विश्लेषण व
क्षमता मूल्यांकन**

विषय वस्तु -

- 2.1 जिले की प्रमुख आपदाएँ
- 2.2 जिले का प्रशासनिक, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप
- 2.3 जिले की प्रमुख आपदाओं का जोखिम व सुभेद्रता विश्लेषण
- 2.4 जिले की विपदा भेद्यता क्षमता एवं जोखिम मूल्यांकन (HVCRA)
- 2.5 जिले की प्रमुख आपदाओं के सन्दर्भ में क्षमता मूल्यांकन

2.1 जिले की प्रमुख आपदाएँ-

किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली आपदा की सुभेद्यता व जोखिम विश्लेषण उस आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निशक्त जनों से किया जाता है। आपदा की विभिन्न सामाजिक-आर्थिक-जैविक पक्षों को प्रभावित करने की क्षमता उसकी सुभेद्यता कहलाती है, जबकि आपदा से होने वाले संभावित नुकसान का आंकलन जोखिम माना जाता है।

आपदा प्रबंधन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है-

- जलवायु सम्बन्धी - बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म व ठंडी हवाएँ, तूफान व बिजली गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धी- भूकम्प, भूस्खलन, बांध का टूटना, झान में आग।
- रासायनिक, औद्योगिक व परमाणु सम्बन्धित-रासायनिक, औद्योगिक विपदा, परमाणु विपदा।
- दुर्घटना सम्बन्धित- आग, बम, वायु, सड़क, रेल, दुर्घटना, भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाएँ-महामारी, टिड़ी दल का आक्रमण, जानवरों की महामारी।

चित्तौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन योजना वर्ष 2014 के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की विपदा व जोखिम संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के समूह द्वारा जिले में घटित पूर्व आपदाएँतथा संभावित जोखिम के आधार पर जिले का HVCRA किया गया तथा निम्न मुख्य 10 आपदाएँचिन्हित की गई। मुख्य 5 आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना तथा अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना की अनुशंसा की गई।

जिले की मुख्य आपदाएँ-

- बाढ़
- सूखा
- दुर्घटनाएँ
- आग
- भूकम्प

अन्य आपदाएँ-

- साम्प्रदायिक दंगे
- ओलावृष्टि
- बांध टूटना

- रासायनिक व औद्योगिक आपदाएँ
- ताप व शीतघात

2.2 जिले का प्रशासनिक, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप-

चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी भाग में $24^{\circ}.13'$ से $25^{\circ}.13'$ उत्तरी अक्षांश और $74^{\circ}.04'$ से $75^{\circ}.53'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। इसके पूर्वी भाग में कोटा जिला और मध्यप्रदेश का बीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर एवं राजसमन्व जिले तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बून्दी जिले स्थित हैं।

यह जिला समुद्री तल से एक हजार ४५ सौ फीट औसत ऊँचाई पर स्थित है। इसका अधिकांश भू-भाग दक्षिण तटवर्ती और अरावली उपत्यकाओं से आच्छादित है। जिले का व्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां 83.00 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भागों में ज्यादा वर्षा होती है और उत्तर-पश्चिम तक जाते जाते वर्षा कम हो जाती है।

बनास, बेड़च, गंभीरी, चम्बल, कदमाली एवं वागन आदि जिले की प्रमुख नदियां हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का भौगोलिक धरातल पूर्णतया समतल नहीं है। जिले के पूर्ण क्षेत्र में अरावली पर्वतमालाएँ फैली हुई हैं। इस जिले का ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है।


प्रशासनिक संरचना –

चित्तौड़गढ़ जिला निम्नलिखित 11 उपखण्डों एवं 11 तहसीलों में विभाजित है:-

क्र. सं.	उपखण्ड/तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	जनसंख्या (2011)
1	बेगूं	241	135340
2	रावतभाटा	227	140128
3	गंगरार	129	103933
4	कपासन	114	
5	भोपालसागर	086	199340
6	चित्तौड़गढ़	235	312334
7	निम्बाहेड़ा	178	219790
8	बड़ीसादड़ी	156	116266
9	राशमी	094	88670
10	झूंगला	109	104607
11	भदेसर	168	123930
योग		1748	1544338

तालिका- 2.1 चित्तौड़गढ़ जिले में तहसील एवं उनकी जनसंख्या

जिले में एक जिला परिषद, 11 पंचायत समितियां, 290 ग्राम पंचायतें एवं 6 शहरी स्थानीय निकाय हैं। जिनमें चित्तौड़गढ़ में नगरपरिषद् एवं निम्बाहेड़ा, कपासन, बड़ीसादड़ी, बेगूं तथा रावतभाटा नगर पालिकाएँ हैं। जिला परिषद का मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जिला परिषद में 25 सदस्य हैं।



चित्र 2.1 जिला चित्तौड़गढ़ मानचित्र

पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण:-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	बेगूं	31
2	भैंसरोड़गढ़	25
3	गंगरार	21
4	कपासन	23
5	चित्तौड़गढ़	39
6	निम्बाहेड़ा	35
7	बड़ीसादड़ी	23
8	राशमी	23
9	झंगला	26
10	भदेसर	25
11	भोपालसागर	19
योग		290

तालिका- 2.2 जिला चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायतें

शहरी स्थानीय निकायों का विवरण:-

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	शहर	जनसंख्या (2011)		
			पुरुष	महिला	योग
1	नगर परिषद	चित्तौड़गढ़	60068	56338	116406
2	नगर पालिका	बेंगू	10544	10161	20705
3	नगर पालिका	कपासन	10579	10290	20869
4	नगर पालिका	निम्बाहेड़ा	31896	30053	61949
5	नगर पालिका	बड़ीसादड़ी	7965	7748	15713
6	नगर पालिका	रावतभाटा	19565	18134	37699
योग			140617	132724	273341

तालिका- 2.3 जिला चित्तौड़गढ़ शहरी जनसंख्या

जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़, बेंगू, कपासन, निम्बाहेड़ा, बड़ीसादड़ी हैं। जिला चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सामान्य) में आता है जिसमें जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के अतिरिक्त राजसमन्व जिले का मावली एवं उदयपुर जिले का वल्लभनगर क्षेत्र भी सम्मिलित है।

भौतिक स्वरूप-

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7822 वर्ग किमी है। इसकी जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 1544338 है तथा घनत्व 197 व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. है।

भूमि उपयोग 2015-16

जिले का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 750773 हेक्टेयर है। जिले में भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्न प्रकार रहा :-

क्र.सं.	भूमि उपयोग वर्गीकरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	वन	121752
2.	गैर कृषि उपयोग में भूमि व पहाड़ियां	56351
3.	उसर तथा कृषि अयोग्य	60751
4.	अन्य पड़त (2 वर्ष से 5 की पड़त)	20758
5.	स्थायी चारागाह	73930
6.	कृषि योग्य खाली भूमि	81803
7.	वृक्ष एवं कुंज	395
8.	चालू पड़त	13149
9.	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	321884
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल		750773

तालिका- 2.4 जिला चित्तौड़गढ़ भू-उपयोग (2015-16)

जलवायु-

देश के अन्य भागों की भाँति चित्तौड़गढ़ में भी वर्षा वर्षाऋतु में ही होती है। वर्षा जून माह के अंतिम सप्ताह में आरम्भ होकर माह अगस्त के अन्त तक चलती है तथा यहां की नदियां बेड़च व गम्भीरी तीव्र गति से बहने लगती हैं। इन नदियों में कभी-कभी बाढ़ भी आ जाती है। वर्षा ऋतु के पश्चात् शीत ऋतु प्रारम्भ होती है। सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर के महीने बड़े सुहावने रहते हैं तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने के लिये यह समय उपयुक्त है। दिसम्बर व जनवरी के महीने बड़े ठण्डे होते हैं। सर्दी की ऋतु तक यहां का औसत अधिकतम तापमान 28.3° तथा व्यूनतम तापमान 11.3° तक रहता है। फरवरी से अप्रैल का समय फिर सामान्य हो जाता है। मई व जून के महीने बहुत गर्म हो जाते हैं तथा यहां गर्म हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहां अधिकतम औसत तापमान 48.8° रहता है।

वर्षा-

जिले में औसत वर्षा 761.00 मि.मी. से 1077 मि.मी. के बीच होती है किन्तु यह सामान्यतः दक्षिण-पूर्व की ओर कम होती जाती है। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 93 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महीने में होती है इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा के होते हैं। जनवरी एवं फरवरी माह में भी यदा-कदा वर्षा होती है।

नदियाँ, बाँध, तालाब-

- नदियाँ : चम्बल, बनास, बेड़च, जाखम एवं वागन मुख्य नदियाँ एवं गम्भीरी, ब्राह्मणी एवं गुजराती इनकी सहायक नदियाँ हैं।
- बाँध : गम्भीरी, वागन, बस्सी, ओराई, बड़गांव, भोपालसागर, घोसुण्डा, राणाप्रताप सागर आदि। परिशिष्ट संख्या 22 में संलग्न है।
- झीलें व तालाब : जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है फिर भी मुख्य नदियों की शाखाओं के संग्रहण द्वारा अनेक तालाब बना लिये गये हैं।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति -

प्रमुख फसलें-

जिले में खरीफ की फसलें प्रमुख हैं तथा साथ में सिंचाई जल की उपलब्धता पर रबी एवं जायद की फसलें भी बोयी जाती हैं।

- रबी - गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, जीरा, धनिया, मैथी आदि।
- खरीफ - कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूँगफली, तिल, गन्ना, उड्ढ, मूँग आदि।

इनके अतिरिक्त जिले में व्यावसायिक दृष्टि से तम्बाकू, अफीम, फल और सब्जियों की खेती भी की जाती है। अमरुद, पपीता, निम्बू और आम के पेड़ भी आम तौर पर पाये जाते हैं। नदियों के पेटों में भी विशेषतः बनास नदी के पेटे में जिसे जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि कहा जा सकता है फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी खूब पैदा की जाती हैं। नदियों के पेटे आलू, बैंगन, प्याज, लहसून आदि की खेती के उपयोग में भी लिये जाते हैं। फल व सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में अन्य जिलों को निर्यात किये जाते हैं। गत वर्षों से वर्षा में निरन्तर हो रही गिरावट के कारण निरन्तर बहने वाली बनास नदी में पानी की कमी के चलते फल सब्जियों की पैदावार में कमी होती जा रही हैं।

प्रमुख फसलों का उत्पादन वर्ष

क्र.सं.	फसलों का नाम	(मैट्रिक टन)
1	गेंहू	4 9 2 7 3 4
2	ज्वार	1 3 8 6 6
3	मक्का	2 2 2 6 5 8
4	जौ	3 0 2 6 1
5	मूँगफली	1 3 7 4 2
6	सोयाबीन	1 7 4 0 4 1
7	चना	5 5 8 4
8	तिल	1 3 1 8
9	सरसों/राई	8 1 1 4 4

तालिका- 2.5 फसल उत्पादन (2015-16)

प्रमुख उद्योग -

इस क्षेत्र में चूने के पत्थर की बाहुल्यता होने के कारण बिड़ला सीमेन्ट वर्कर्स, चन्द्रेश्या सीमेन्ट वर्कर्स, आदित्य सीमेन्ट-1, आदित्य सीमेन्ट-2, जे.के.सीमेन्ट वर्कर्स निम्बाहेड़ा, मांगरोल, लाफार्ज सीमेन्ट, वर्णर सीमेन्ट एवं लेड जिंक स्मेल्टर (हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर लिमिटेड), खेतान केमिकल्स लिमिटेड (सिंगल सुपर फॉर्सेट) जैसे बड़े कारखाने इस जिले में स्थित हैं। वर्ष 2015-16 तक फैक्ट्री अधिनियम के तहत कारखानों की संख्या 212 एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों की संख्या 353 हैं। पत्थर की पट्टियां निकालना, पत्थर पर पॉलिश करना व चिप्स, सीमेन्ट की जालियाँ व पाईप, सीमेन्ट के बिजली के खम्भे बनाना यहां के प्रमुख लघु उद्योग हैं। गृह उद्योग में कपड़े पर छपाई व रंगाई, जूती बनाना, चाकू तथा कैचियां बनाना आदि उल्लेखनीय हैं। राणा प्रताप सागर बांध से उपलब्ध जल विद्युत एवं कच्चे माल की विशेष रूप से पत्थर की बाहुल्यता होने से यहां मार्बल उद्योगों का विकास विशेष रूप से हुआ है।

इसके अतिरिक्त गांव की पुरानी दस्तकारी जैसे कुम्हारगिरी, सुनारगिरी, चमड़े का काम, बढ़ीगिरी, बुनाने और कातने के कार्य होते हैं।

संचार एवं यातायात-

जिले में वर्ष 2015-16 तक 442 पोस्ट ऑफिस, 59 दूरसंचार केन्द्र जिनमें 50 ग्रामीण एवं 09 शहरी केन्द्र हैं। वर्ष 2015-16 तक मोटर वाहनों का पंजीयन 269725 हैं।

जिले में सड़क मार्ग सुदृढ़ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 एवं 79 जिले से गुजरते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूरब- पश्चिम कॉरिडोर का संगम चित्तौड़गढ़ के समीप होता है। चित्तौड़गढ़-अजमेर-रतलाम ब्राडगेज रेल्वे लाईन पर पश्चिम रेल्वे का जंक्शन है। यह स्थान अजमेर, रतलाम, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुम्बई, कोटा, बूंदी व उदयपुर आदि स्थानों से रेल मार्ग से जुड़ा है। वर्ष 2015-16 तक सड़कों की लम्बाई 4073 किमी हैं।

जिले में वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि चित्तौड़गढ़ भीलवाडा के लिये हमीरगढ़ के समीप अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वायुयान उत्तरने का अस्थाई स्थल अवश्य है। जिला मुख्यालय से 90 किमी की दूरी पर डबोक हवाई अड्डा जो कि उदयपुर जिले में आता है। वहाँ से देश- विदेश की हवाई यात्रा की जा सकती है। जिले में दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि कोटा, इन्दौर, अहमदाबाद, दिल्ली इत्यादि को जोड़ते हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं प्रमुख दर्शनीय स्थल-

यहाँ वर्षों से कई स्थानीय मेले लगते रहते हैं। जिसमें मुख्यतः मीरा महोत्सव, जौहर मेला, राज्य स्तरीय उद्योग मेला, हरियाली अमावस्या, जलझूलनी एकादशी के मेले भरते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर होली का पर्व मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से 32 किमी की दूरी पर स्थित निम्बाहेड़ा तहसील मुख्यालय पर 10 दिवसीय दशहरा मेला भरता है जो कि राजस्थान में कोटा के बाद दूसरे नम्बर पर आता है।

क्र.सं.	नाम स्थल	तहसील	जिला मुख्यालय से दूरी
1	चित्तौड़गढ़ दुर्ग	चित्तौड़गढ़	0 5
2	सांवरियाजी (मंडफिया)	भद्रेसर	4 0
3	असावरा माता	भद्रेसर	3 5
4	झातला माता	चित्तौड़गढ़	0 8
5	जोगणिया माता	बेगूं	6 5
6	शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ	निम्बाहेड़ा	3 0
7	दीवान साहब दरगाह	कपासन	4 0
8	जे.के. मंदिर (राधा कृष्ण)	निम्बाहेड़ा	3 0
9	मेनाल	बेगूं	1 1 0
10	करेड़ा पाश्वनाथ	भूपालसागर	5 5
11	मातृकुण्डिया	राशमी	4 5
12	शनि महाराज	कपासन	4 2

तालिका- 2.6 प्रमुख दर्शनीय स्थल

चित्तौड़गढ़ वीरता एवं शौर्य की भूमि के नाम से सुप्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय पर स्थित दुर्ग ऐतिहासिक शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक विश्व विख्यात है। जिसके अवलोकनार्थ प्रतिवर्ष देश-विदेश से काफी पर्यटक आते हैं। इसी दुर्ग पर कालिका माता का मन्दिर भी है जिसके दर्शन हेतु प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है एवं वर्ष में दो बार नवरात्रि के पर्व पर मेला लगता है। जिसमें विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु कालिका माता के दर्शनार्थ आते हैं। चित्तौड़गढ़ से मात्र 40 किमी की दूरी पर श्री सांवलिया जी का मन्दिर है जहां पर प्रति माह अमावस्या पर मेला लगता है। मुख्यालय से 8 किमी की दूरी पर झातला माता का मन्दिर है जहां पोलियो ग्रस्त रोगी बड़ी मात्रा में आते हैं एवं वर्ष में दो बार नवरात्रि पर मेला लगता है। इसके अतिरिक्त आवरी माता(भद्रेसर), जोगणियां माता मन्दिर(बिगुं) की भी मान्यता हैं जो कि चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से कमशः 35 किमी, 65 किमी की दूरी पर स्थित है। मुख्यालय से 55 किमी की दूरी पर भोपालसागर पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित पाश्वरनाथ जैन मन्दिर है जहां वर्ष में 1 बार पोष दशम पर मेला लगता है।

2.3 जिले की प्रमुख आपदाओं का जोखिम व सुभेद्यता विश्लेषण -

- बाढ़** – यद्यपि राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कम है फिर भी बाढ़ व जल भराव की समस्या होती रहती है। इसका प्रमुख कारण अव्यवस्थित शहरीकरण, नदियों के मार्ग अवरुद्ध होना, बांधों से अचानक पानी छोड़ा जाना तथा अतिवर्षा आदि है।

पिछले कुछ समय से ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ आई है जिनमें बाढ़ोन्मुख होने की कभी संभावना नहीं रही। उदाहरण के लिए 2006 में कवास, बालोतरा (बाड़मेर) में बाढ़ आई। इस प्रकार के उदाहरणों ने नीति-निर्धारकों को नये सिरे से सोचने हेतु बाध्य कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ के जोखिम का आंकलन बाढ़ आने की अवधि, पुनरावृति, टोपोग्राफिक मैपिंग, नदियों के आस-पास ऊँचाई की रूपरेखा के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। साथ ही साथ जल प्रवाह प्रणाली, वर्षा के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है। जिसके माध्यम से उच्च बाढ़ आपदोन्मुखी क्षेत्रों का एक संयुक्त सुभेद्यता व जोखिम विवरण तैयार किया गया है।

चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नदियाँ- चम्बल, बनास, गंभीरी, बेड़च, वागन, ब्राह्मणी, गुंजाली, जाखम, करमोई आदि हैं। इनमें से जोखिम पूर्ण नदियाँ - चम्बल, ब्राह्मणी, गंभीरी, बेड़च आदि हैं। इन नदियों से अक्सर बाढ़ तथा जल प्लावन की स्थिति लगभग प्रत्येक दूसरे वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में बन जाती है।

चित्तौड़गढ़ : जोखिम पूर्ण नदियाँ तथा सुभेद्य क्षेत्र-

क्र. सं.	नदियाँ	सुभेद्य क्षेत्र	जोखिम
1	चम्बल	रावतभाटा, भैंसरोड़गढ़	लगभग 50 से 60 हजार जनसंख्या, आण्विक संयत्र, कृषि

			भूमि, गांव
2	गंभीरी व बेड़च	चित्तौड़गढ़ तथा आसपास के गांव	लगभग 1,00,000 जनसंख्या, शहरी क्षेत्र, कृषि भूमि, व्यवसायिक भवन, गांव, प्रशासनिक भवन
3	ब्राह्मणी	बेगूं व रावतभाटा तहसील का कुछ भाग	लगभग 50 से 60 हजार जनसंख्या, 30 गांव, आवासीय भवन, कृषि भूमि।

तालिका- 2.7 बाढ़ सम्भावित क्षेत्र।

चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ एक प्रमुख आपदा है। जिसकी प्रत्येक 5 वर्ष में पुनरावृति हो जाती है। वर्ष 2004, 2006, 2013, 2016 उल्लेखनीय वर्ष रहे जिनमें जिले को बड़े स्तर पर बाढ़ का सामना पड़ा। जिसके प्रमुख कारण अतिशय वर्षा तथा जल निकासी व्यवस्था का उचित न होना रहा। वर्ष 2016 की बाढ़ अभी ताजा उदाहरण है। दिनांक 08 से 13 अगस्त 2016 तक कुल 3804 मि.मी. वर्षा रिकॉर्ड की गई। परिणामस्वरूप जिले में मुख्यालय तथा बेगूं तहसील में क्रमशः गंभीरी व ब्राह्मणी नदियों में उफान के कारण भारी बाढ़ आ गई। तालिका- 2.8 में गत वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में औसत वार्षिक वर्षा से विचलन फलस्वरूप बाढ़ की स्थिति दर्शाई गई।

चित्तौड़गढ़ : बाढ़ की पुनरावृति-

वर्ष	औसत वार्षिक वर्षा (मि.मी.में)	औसत वार्षिक वर्षा से विचलन	औसत वार्षिक वर्षा से प्रतिशत विचलन	बाढ़
1983	774.55	183.73	31.54	सामान्य बाढ़
1994	800.87	212.05	36.01	सामान्य बाढ़
1996	777.90	189.08	32.11	सामान्य बाढ़
2004	831.63	242.81	41.24	सामान्य बाढ़
2006	976.67	388.15	65.92	भारी बाढ़
2013	957.00	350.16	61.32	भारी बाढ़
2016	1312.7	498.2	74.2	भारी बाढ़

तालिका- 2.8 बाढ़ प्रभावित वर्षों में क्षेत्र में वर्षा का औसत।

तालिका- 2.8 के आकलन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1983, 1994, 1996, 2004, 2006, 2013, 2016 बाढ़ के वर्ष रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में चित्तौड़गढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 8300.01 मि.मी. रही है। पिछले पाँच वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में शहरी बाढ़ की समस्या उभर कर सामने आई है। वर्ष 2016 की बाढ़ में यह प्रमुखता से देखी गई। इसके प्रमुख कारण अनियमित व अनियोजित बसाव, पॉलीथीन का प्रयोग, खराब सीवरेज प्रणाली रही।

चित्तौड़गढ़ जिले में कई बाँध भी स्थित हैं जो अतिशय वर्षा के समय जोखिम वाले क्षेत्र बन जाते हैं-

चित्तौड़गढ़: प्रमुख बांध व उनका जोखिम-

क्र.सं.	बांध का नाम	पूर्ण भराव गेज (फिट में)	पूर्ण भराव क्षमता (एम. सी.एफ.टी.)
1	बरसी डेम	36.08	820.00
2	लुहारिया	9.00	103.00
3	सादी	13.50	75.80
4	मोडिया महादेव	16.00	110.00
5	बनाकिया	13.00	333.30
6	सांकलखेड़ा	35.10	111.50
7	गुनैर	18.00	29.66
8	घोसूण्डा	423 RL	1123.00
9	गंभीरी बांध	23.00	1942.49
10	मुरलिया बांध	9.50	340.00
11	सांवरिया सरोवर	13.00	191.00
12	बडगांव	25.00	1112.00
13	पटेलिया	12.00	53.00
14	भोपालसागर	18.00	655.00
15	मेवदा	8.50	77.00
16	धमाना	12.00	56.00
17	अरनिया	8.00	72.00
18	डिंडोली	12.00	265.00
19	सरोपा	12.50	120.00
20	कांकरिया	11.50	56.00
21	कपासन	11.50	250.00
22	वागली	8.20	68.00
23	सिंहपुर	4.92	34.50
24	सोनियाना	12.00	240.00
25	कुंवालिया	7.50	36.47
26	सालेरा	20.00	150.00
27	बोरदा	14.00	178.00
28	उंचकिया	13.00	186.00
29	सोमी	8.20	79.10
30	आरनी	10.00	55.24
31	ओराई	31.00	1246.00
32	देवलिया	21.50	84.00
33	रुपारेल	21.33	342.70
34	भंवर पीपला	23.00	59.41
35	डोराई	27.52	300.00
36	कालादेह	16.50	60.12
37	राजगढ़	13.00	107.00

3 8	खोखी	21.32	70.98
3 9	जलसागर	16.40	54.03
4 0	धांधडा	8.06	13.42
4 1	मालदेवी	8.43	29.10
4 2	वागन	16.40	1436.00
4 3	पारसोली	14.00	97.80
4 4	बाड़ी मानसरोवर	16.40	334.80
4 5	ऊंचा	13.78	92.00
4 6	भावलिया	12.46	90.52
4 7	सरसी का नाका	13.94	53.32

तालिका- 2.9 जिले में स्थित प्रमुख बाँध एवं उनकी भराव क्षमता

2016 की बाढ़ का सुभेद्यता व जोखिम विश्लेषण-

वर्ष 2016 में दिनांक 07,08 एवं 09 अगस्त को भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। विशेषरूप से चित्तौड़गढ़ व बेगूं में भीषण बाढ़ की हालात हो गये।

चित्तौड़गढ़ -8 से 13 अगस्त 2016 की वर्षा -

क्र.सं.	स्थान	8 से 13 अगस्त 2016 वर्षा का योग (मि.मी.)
1	चित्तौड़गढ़	603
2	बेगूं	624
	जिले की कुल वर्षा	1804

उक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है दिनांक 08 से 13 अगस्त 2016 को अतिशय वर्षा के कारण गंभारी, बेड़च, ब्राह्मणी नदियाँ उफान पर आ गई। इससे रावतभाटा, बेगूं, चित्तौड़गढ़, राशमी क्षेत्र के कई गांव बाढ़ व जलप्लावन से प्रभावित हुये। भारी वर्षा के कारण चित्तौड़गढ़ के मानपुरा, बस्सी, चित्तौड़गढ़, बेगूं के डोराई, जलसागर, बेगूं, रावतभाटा के मेघनिवास, बालेचन, लोठियाना, मोरवन, लक्ष्मीपुरा, अमरपुरा, अरनिया, बोराव प्रभावित हुये। NDRF, SDRF ने 72 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया। घोसूण्डा व गम्भीरी बाँधों को योजनानुसार बाई-बाई से खोल कर जल निकासी की गई। इस दौरान गम्भीरी का अधिकतम गेज 6.30 मीटर, 2.5 फीट की चादर के साथ मापा गया। जबकि बेड़च का अधिकतम गेज 5.3 मीटर मापा गया। गंभीरी व बेड़च नदियों में छोड़े गये जल प्रवाह को नियंत्रित करके चित्तौड़गढ़ शहर को बचाया गया। इसी प्रकार ब्राह्मणी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने बेगूं शहर व गाँवों को बचाया गया। निम्नानुसार राहत कार्य चलाये गये-

प्रभावित स्थान	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	खोले गये राहत शिविर	NDRF टीम संख्या	SDRF टीम संख्या	सेना की टुकड़ियां	नागरिक सुरक्षा जवानों की संख्या	रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाये गये लोग
चित्तौड़गढ़, बैगूं	3680	13	03	02	01	34	11

तालिका- 2.10 चित्तौड़गढ़: बाढ़-2016 में चलाये गये राहत एवं बचाव कार्य

- सूखा-मानसून के अनियमित व्यवहार के कारण राजस्थान एक प्रमुख सूखा ग्रस्त राज्य हैं, सभी प्राकृतिक आपदाओं के मुकाबले सूखे का असर सबसे ज्यादा लोगों व पशुओं पर पड़ता है। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ता है जो सीधे अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की अपेक्षा सूखे का असर भिन्न तरीके से होता है। धीमी गति के कारण इसका असर धीरे-धीरे महसूस होता है तथा लम्बे समय तक रहता है।

सूखे की प्रभावशीलता जब निरंतर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है। 1. प्रचण्ड सूखा 2. सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में औसत से 50 प्रतिशत कम वर्षा होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत कम वर्षा होती हैं। सिंचाई आयोग छारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है, जिसमें किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 25 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। यदि यह कमी 25-30 प्रतिशत हो तो सीमित सूखा और यदि 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति माना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले दो दशक में सूखे की दशा निम्न प्रकार रही -

चित्तौड़गढ़ : सूखे का विश्लेषण-

क्र. सं.	वर्ष	औसत वार्षिक वर्षा	जिले की औसत वार्षिक वर्षा से विचलन	प्रतिशत विचलन	सूखे की दशा
1	1987	331.45	-257.37	-43.71	अति सूखा
2	1988	440.26	-148.56	-25.23	सामान्य सूखा
3	1998	415.24	-173.58	-29.48	सामान्य सूखा
4	2000	417.49	-171.33	-39.10	अति सूखा
5	2002	378.67	-210.15	-35.69	अति सूखा
6	2007	648.3	-176.10	-48.70	अति सूखा
7	2009	576.7	-187.06	-45.60	अति सूखा

तालिका- 2.11 जिले में सूखा प्रभावित वर्ष

चित्तौड़गढ़ के सन्दर्भ में सूखे की सुभेद्रता व जोखिम -

राजस्थान राज्य पिछले दशक में लगातार सूखे की चपेट में रहा है। वर्ष 1987, 1998, 2000, 2002, 2007, 2009 सूखे के वर्ष रहे हैं। वर्ष 2000 में तो 32 में से 32 जिले सूखे की चपेट में रहे। वर्ष 2000 में राज्य के 41000 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये। वही राज्य में कृषि योग्य 129.00 लाख हैक्टेयर भूमि में 48.06 लाख सूखा ग्रस्त रहा। इसमें लगभग 432.00 लाख जनसंख्या एवं 543.00 लाख जानवर प्रभावित हुये। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में जिले में लगभग 1274 लाख रु. खर्च किये। इसी प्रकार वर्ष 2000-01 व 2001-02 में जिले में 2242 लाख, 2002-03 व 2003-04 में 2940 लाख रु व्यय किया गया। वर्ष 2004-05 व 2005-06 में 320.50 लाख रुपये व्यय हुये। जिले में वर्ष 2006-07 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारम्भ हो जाने से राहत कार्यों के संबंध में अलग से व्यय का आंकलन नहीं किया गया।

वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत जिले में कुल 1747 गांवों में से 1685 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया। प्रभावित परिवारों को 100 दिन का रोजगार नरेगा योजनान्तर्गत दिया गया। जिले में कुल 307 कार्य स्वीकृत किये गये। जिन पर 143680 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ।

सूखे की सुभेद्रता :-

सूखे से सर्वाधिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका तथा रोजगार के साधन मात्र कृषि पर निर्भर होते हैं। सूखे का सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पादन पर ही पड़ता है। अतः कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। सूखे के कारण कृषि कार्य तथा फसल दोनों पर संकट उपस्थित हो जाता है। अतः कृषकों के समक्ष रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं बच जाता है। मनुष्य तथा जीव-जन्तु अन्य सुभेद्य लक्ष्य होते हैं। कृषि उत्पादन न होने, रोजगार साधन अल्प होने, जल का संकट होने से जीव समुदाय (मानव, जीव-जन्तु) के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जीव समुदाय त्राहि-त्राहि करने लगता है।

सूखे के जोखिम-

- पेयजल की कमी
- जलाशयों में पानी का अभाव
- भूगर्भिक जल स्तर में कमी
- कृषि उत्पादन का कम होना
- पशुचारे का संकट
- कुओं तथा परम्परागत जल स्रोतों का सूखना
- लोगों का पलायन

- वनस्पति का नष्ट होना
- आजीविका के साधन समाप्त होना
- बड़ी संख्या में जनधन की हानि होना

चित्तौड़गढ़ जिले में यूरोप के राहत व प्रत्याक्रमण प्रयासों का विवरण पूर्व में किया गया है।

- **भूकम्प-** भूकम्प एक आकर्षित आपदा है, जो पृथ्वी के आन्तरिक भाग में होने वाली हलचल का परिणाम होता है। इससे लहरदार कम्पन्य उत्पन्न होता है, जो भूपटल पर बुकसान पहुँचाता है। अधिकांश भूकम्प भूपटल से 50-100 कि.मी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर भूकम्प उद्गम होता है वह भूकम्प मूल तथा इस मूल के ठीक ऊपर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं। भूकम्प मूल से उठने वाली तरंगे अधिकेन्द्र पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है जबकि जैसे जैसे अधिकेन्द्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में 6.9 तीव्रता का भूकम्प आया। यह गत 150 वर्षों का सबसे तीव्रता वाला भीषणतम भूकम्प था। इससे 20 हजार लोग काल के ग्रास बन गये। बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड टेक्नोलोजी प्रमोशन कांउसिल (बीएमटीपीसी) के अनुसार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र भूकम्प जोन II, III व IV में आते हैं। चित्तौड़गढ़ जोन II में आता है। यहाँ निम्न जोखिम की सम्भावनाएँ हैं।

राजस्थान : भूकम्प जोन-

क्र.सं.	जोन	तीव्रता	परिमाण	जिला
1	IV (उच्च बुकसान जोखिम)	VII-VIII	6.0-6.9	बाड़मेर, जालौर, अलवर, भरतपुर
2	III(सामान्य बुकसान जोखिम)	VI-VII	5.0-5.9	उदयपुर का कुछ भाग, झूँगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झुँझुरूं, सीकर
3	II (निम्न बुकसान जोखिम)	IV-VI	4.0	गंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा, चुरू, बुन्दी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, पाली, जोधपुर

तालिका- 2.12 राजस्थान में भूकम्प सम्भाव्य क्षेत्र

भूकम्प एवं सुभेद्यता-

रिक्टर स्केल में 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकम्प के समय सुभेद्यता का विश्लेषण कठिन होता है। क्योंकि ये समान रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र में विनाश करता है। चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक कोई विनाशकारी भूकम्प नहीं आया है। फिर भी बढ़ते शहरीकरण तथा ऊँची इमारतों के निर्माण के कारण यहाँ पर भूकम्प का जोखिम बढ़ रहा है। भवन निर्माण में आवश्यक मानकों का पालन प्रायः यहाँ नहीं किया जाता है।

चितौड़गढ़ जिले में भूकम्प सुभेद्यता क्षेत्र निम्न है-

1. शहरी क्षेत्र
2. शहरी आवासीय क्षेत्र
3. बहुमंजिला इमारतें
4. बहुमंजिला व्यावसायिक भवन
5. बहुमंजिला प्रशासनिक भवन
6. प्रमुख बड़े बांध
7. रावतभाटा आण्विक संयंत्र
8. औद्योगिक इकाइयाँ
9. बड़े पुल
10. रेलवे लाइन व सड़कें

भूकम्प जोखिम -

भूकम्प का जोखिम रिक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता के अनुसार होता है। कम तीव्रता वाले भूकम्प का जोखिम कम तथा अधिक तीव्रता वाले भूकम्प का जोखिम अधिक होता है। तालिका- 2.13 में भूकम्प तीव्रता व जोखिम को दर्शाया गया है।

क्र.सं.	मापक	जोखिम
1	0	केवल भूकम्प लेखीयंत्र से अनुभव।
2	3.5	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव।
3	4.2	आराम करते हुए लोगों को।
4	4.3	चलते हुए लोगों को, खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन्ज।
5	4.8	सभी को अनुभव, सोचे व्यक्ति जाग जाते हैं।
6	4.0-5.4	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।
7	5.5-6.1	दीवारों में दरार पड़कर आतंक छा जाता है।
8	6.2	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं। मकानों में दरारें पड़ जाती हैं।
9	6.8-6.9	मकान धंस जाते हैं। भूमि में दरारें पड़ जाती हैं।
10	7.0-7.3	धरातल में लम्बी दरारें, भूस्खलन।
11	7.4-8.1	पुल रेल लाईनों का टूटना, भूस्खलन, बड़ी नदियों में बाढ़।
12	8.1 से अधिक	सर्वनाश धरातलीय पदार्थ हवा में छलने लगते हैं। धरातल में धसाँव व उभार।

तालिका- 2.13 भूकम्प तीव्रता एवं उससे होने वाली हानि

- **दुर्घटनाएँ**—दुर्घटनाएँ आकस्मिक होती हैं। इनका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है और न ही इनसे होने वाले नुकसान का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। केवल इनके सुभेद्य क्षेत्र व जोखिम का विश्लेषण कर शमन व रोकथाम के प्रयास किये जा सकते हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख संभावित दुर्घटनाएँ निम्न हैं—

1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना
2. औद्योगिक – रासायनिक दुर्घटनाएँ
3. आण्विक दुर्घटनाएँ
4. बाँध टूटना
5. आग

सड़क दुर्घटना—

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है। जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी ख्राबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उसमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावहता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घण्टे में 10 व्यक्ति दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इससे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिसमें बहुत से उम्र भर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं को रोके ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी की जा सके।

वर्ष	सड़क दुर्घटना संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2010	689	280	956
2011	600	219	856
2012	633	250	928
2013	627	250	771
2014	682	270	894
2015	663	261	776
2016	656	248	740

तालिका— 2.14 जिला चित्तौड़गढ़ में विगत पाँच वर्षों से हुई सड़क दुर्घटना एवं जनहानि।

सङ्क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही।
- यातायात नियमों का पालन न करना।
- खराब सड़कें।
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़।
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव।
- आवारा मरेशियों का सङ्क पर पाया जाना।
- नीलगायों (रोज़ड़ों), जंगली जानवरों का अचानक रोड़ क्रोस करना।

सङ्क दुर्घटनाएँ : सुभेद्यता व जोखिम

चित्तौड़गढ़ जिले में कुल सङ्कों की लम्बाई 4073 किमी है। यहां सङ्क दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नहीं होना, सङ्क के दोनों ओर भारी मात्रा में बिलायती बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नहीं आता तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां एवं माल लोडिंग करना है।

रेल दुर्घटनाएँ : सुभेद्यता व जोखिम

चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, गंगरार, कपासन, बड़ीसादड़ी, भोपालसागर, बेगूं तहसील क्षेत्र से रेल्वे लाईन गुजरती हैं तथा गत 5 वर्षों में यहां कोई रेल दुर्घटना नहीं हुई है। किन्तु आकर्षित दुर्घटनाएँ पूर्व चेतावनी नहीं देती हैं। अतः समय-समय पर मॉकड्रिल आवश्यक है।

जिला चित्तौड़गढ़ से नेशनल हाईवे 76 (मंगलवाड़, चित्तौड़गढ़ पारसोली व लाडपुरा) एवं 79 (गंगरार, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा) से गुजरते हैं। जिस पर से प्रतिदिन लगभग 12 हजार वाहन गुजरते हैं तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएँ गलत ओवर टेकिंग के कारण होती हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण-

सङ्क मार्ग	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
चित्तौड़गढ़ से कोटा मार्ग	ठुकराई, मेनाल, जोगणिया माता घाटा सेवशन, काठुन्दा।
जयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर मार्ग	औच्छड़ी क्षेत्र, चन्देरिया क्षेत्र, गंगरार क्षेत्र

तालिका- 2.15 जिले में सङ्क दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र

दुर्घटना राहत कार्य योजना-

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती है अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा दूरभाष नं. 100 व 108 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है। वरन् मौके पर उपस्थित आम आदमी का भी यह कर्तव्य है कि वो तत्काल प्रशासन, पुलिस, चिकित्सालय आदि को दूरभाष पर सूचना देवें।

- **आग-मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है।** आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। जिले की अद्वशुष्क जलवायु के साथ ही बढ़ती औद्योगिक इकाइयों, ऑयल डिपो, गैस गोदाम/डिपो साथ ही कच्चे केलूपोस मकान एवं झोपड़ियाँ, बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाना एवं पहाड़ी सघन वन क्षेत्रों में बाँस आदि की रगड़ से आग लग जाना एवं कई बार राहगीरों द्वारा बीड़ी, सिगरेट पीकर उसको अद्व जली हालत में फेंकने के कारण आग लगने की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं। आग लगने पर घटना स्थल पर विस्फोट होना, तापमान बढ़ना, भवनों का गिर जाना/क्षति होना, आवश्यक सेवाओं पानी, बिजली आदि में व्यवधान, जान-माल की हानि तथा वनस्पति का नष्ट होना आदि दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। कई बार रसोई घर में भी रसोई गैस चलाकर इधर उधर चले जाना एवं पुराने पाईप से गैस लीक होना, गैस चलाने के लिए माचिस का उपयोग, बिजली के बटन से भी आग लगने की संभावनाएँ होती हैं। यंत्रों के अधिक गर्म होने पर चिंगारियाँ, शादी के पाण्डाल, वर्ही पर गैस भट्टियाँ एवं तंदूर आदि, बिजली फिटिंग में लापरवाही, उत्पादन स्थल एवं रेटर स्थल का अलग न होना, ज्वलनशील पदार्थ के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से एवं शहरों में खाली पड़े प्लाटों में झाड़-झांकाड़, वर्षा ऋतु में बिजली गिरने, पेट्रोल पम्प पर, गैस एजेसिंयों में एवं छविगृहों में मानवीय भूल आदि कारणों से आग लगने की अधिक संभावनाएँ रहती हैं।

औद्योगिक इकाइयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारन एवं असावधानी पूर्वक प्रयोग साथ ही ज्वलनशील घोल में अन्य प्रदार्थ के मिश्रण से भी आग लग सकती है, देश में हुए कुछ उदाहरण जैसे -शादी ब्याह के कारण डबवाली अग्निकाण्ड, भरतपुर में ऑयल डीपो में आग आदि कई परिस्थितियों से शहरी क्षेत्र में भयंकर आग लगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कच्चे मकान, बिजली शॉर्ट सर्किट होना, बिस्तर में लेटे-लेटे बीड़ी सिगरेट पीना, आतिशबाजी, खेत-खलिहानों में अवशिष्ट को जलाने पर हवा चलने से चारों ओर आग फैलकर भयावह रूप धारण कर लेती है।

व्यावसायिक व रिहायशी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है। घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहाँ पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। सड़क मार्गों की मरम्मत और तारकोल डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील धासपत्ती लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिंगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतम अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली शार्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशु हानि, निजी-सार्वजनिक सम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकतर आग काश्तकारों के द्वारा कड़बी (चारा) इकट्ठे करने वाले स्थानों पर बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से आग लगने की घटनाएँ।

चित्तौड़गढ़ जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र :

चित्तौड़गढ़ शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। पेट्रोल पम्पों, छविग्रहों तथा गैस एजेंसियों की सूची परिशिष्ट संख्या 24, 25, 26 में संलग्न है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ के अभ्यारण्य क्षेत्रों-बस्ती, सीतामाता, रावतभाटा के वन क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की पूरी सम्भावना होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य संभावनाएँ :

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं जिस पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया तो वे अत्यधिक भयकर रूप ले सकती हैं यथा वे औद्योगिक इकाइयाँ जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है। जैसे-सीमेंट उत्पादक, रासायनिक उर्वरक इकाइयाँ आदि।

- **साम्प्रदायिक तनाव-भारत देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं।** राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता एवं सामाजिक विद्वेषों के कारण छोटे-छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने की संभावना बढ़ी रहती है। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न त्यौहार, ऐलियों, जुलुस, मेले आदि साम्प्रदायिक तत्वों के सुभेद्य लक्ष्य होते हैं। साम्प्रदायिक तनाव व दंगों को

कम करने हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करता है। जिनमें वह सभी सम्प्रदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं।

- **ओलावृष्टि**-ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आंकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रूप एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षतिग्रस्त करते हुए निकलता है इसकी सुभेद्यता व जोखिम सामान्यतया फसलों व कृषकों के सन्दर्भ में होती है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक बुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपचार अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

रबी फसल सम्वत 2071 (2015) में ओलावृष्टि/वर्षा से जिले की 10 तहसील क्षेत्र में फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों के लिए कृषि आपदा अनुदान हेतु राशि 250083 लाख रु. की आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर से डिमाण्ड की गई है। तथा 16223.39 लाख रुपये का कृषि आपदा अनुदान दिनांक 10.06.2015 तक आवंटित कर दिया गया है।

- **बांध टूटना-सामान्यतः** वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि, सिंचाई उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद-बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता जो कि कृषि पर निर्भर है को आजीविका देने के साथ-साथ बांध जान लेने पर भी उतार हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस हेतु -

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल निकास छारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास छारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे - क्रेन, रस्सा, चाबी आदि के जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं इयूटी शिप्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी संभावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई बांधों में से अधिकांश बांध स्टेट टार्फम के निर्मित हैं। कई बांधों व नहरों की हालत जीर्णशीर्ण है। सिंचाई विभाग के अधिनस्थ बांधों के डाउन स्ट्रीम में आबादी क्षेत्र काफी विकसित है। साथ ही इन बांधों में पाईपिंग (गुल्ला) भी वर्षा सत्र में होती रहती है जिससे बांध के दूटने का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार जहां क्षारीय मिट्टी से नहर बनी होती है वहाँ भी नहर के दूटने का खतरा बना रहता है। जिससे जान व माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है।

जिले में बांध दूटने से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची तथा उनसे प्रभावित होने वाली जनसंख्या निम्न है-

तहसील	बांध	बांध दूटने से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची
निम्बाहेड़ा	गंभीरी	अरनिया जोशी, अरनियापंथ, कृष्ण राम जी की खेड़ी, टाई, सरथल, उंखलिया, गिलुण्ड, घटियावली, खेरी, चित्तौड़ीखेड़ी, फाचर, चित्तौड़गढ़शहर, झोपड़ियाँ, न्यूक्लॉथ मार्केट, गांधीनगर, कीरखेड़ा, चन्देरिया, आज्योड़ा
निम्बाहेड़ा	मुरलिया टेक	रावलिया, शम्भूपुरा, सतखण्डा, चित्तौड़गढ़
भदेसर	सांवरिया सरोवर बांध	मण्डफिया, टांडीखेड़ा, रद्दईखेड़ा

- रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ-** तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही है। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे भोपाल गैस काण्ड और अग्नि एवं विरफोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं। सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को ठालने हेतु उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएँ बननी चाहिए तथा साथ ही मॉकफ्रिल का होना भी आवश्यक है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के संभावित प्रभाव निम्नलिखित हैं-
 - जान की क्षति
 - घाव होना अथवा आग से जलना
 - जहरीले द्रव्यों/गैसों से बीमार होना
 - माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने रूपर पर आपदा से निपटे।

चितौड़गढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से काफी अग्रसर है परन्तु फिर भी जिले में मुख्यतः कृषि आधारित एवं खनिज आधारित उद्योग स्थापित है। ये इकाइयाँ मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हैं। इन उद्योगों का सीधा असर आवासीय कॉलोनियों पर नहीं है। सामान्यतः इन उद्योगों में किसी आपदा की विशेष सम्बन्धना रहती है। दुर्घटना होने पर कर्मचारी का इलाज तुरन्त इकाई द्वारा किया जाता है एवं अन्य प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर जिला प्रशासन से सहायता ली जाती है। दुर्घटना सम्भावित मुख्य उद्योग निम्न हैं-

तहसील	उद्योग का नाम व पता	उद्योग का प्रकार
चितौड़गढ़	मै. चन्द्रेश्या लेड जिंक स्मेलटर, पुठोली	जिंक सीसा
	मै. बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चन्द्रेश्या	सीमेन्ट
	मै. चितौड़ सीमेन्ट वर्क्स, चन्द्रेश्या	सीमेन्ट
	मै. आदित्य सीमेन्ट, सावा	सीमेन्ट
	मै. जे. के. पावर, बामनिया	पावर प्लांट
	मै. जे. के. सीमेन्ट, मांगरोल	सीमेन्ट
निम्बाहेड़ा	मै. जे. के. सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	सीमेन्ट
	मै. वंडर सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	सीमेन्ट
	मै. लाफार्ज सीमेन्ट, भावलिया	सीमेन्ट
	मै. मधुसुदन इन्ड लि., निम्बाहेड़ा	रिफायनरी
	मै. अरिहन्त फारफेट, सगवाडिया	खोर
कपासन	मै. दी मेवाड़ डिस्ट्रीलरीज एण्ड फे. वर्क्स, भोपालसागर	डिस्ट्रीलरीज

तालिका- 2.1.6 चितौड़गढ़ - दुर्घटना सम्भावित प्रमुख उद्योग

- **आण्विक दुर्घटना**-आण्विक दुर्घटनाएँ वर्तमान समय की सबसे जोखिमपूर्ण दुर्घटनाएँ हैं। आण्विक शान्ति जहाँ एक और ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है वहीं दूसरी ओर आण्विक दुर्घटनाएँ मानव जीवन व पर्यावरण पर सैकड़ों वर्षों तक प्रभाव डालती हैं।

चितौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील में आण्विक ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। यह केन्द्र सरकार के अधीन है। किन्तु आपातकाल की स्थिति में जिला मुख्यालय तथा आस पास के जिले ही प्रमुख रिस्पॉडर होंगे।

आण्विक रिसाव या दुर्घटना की दशा में कई सैकड़ों कि.मी. का भाग जोखिमपूर्ण व सुभेद्य होगा। रावतभाटा तहसील, बेगूं तहसील व कोटा जिला, म.प्र. के जिले (जो रावतभाटा से लगते हैं)- सिंगोली, नीमच आदि उच्च सुभेद्य व जोखिम की स्थिति में होंगे। स्थापना से बाद आज तक उक्त संयंत्र में ऐसी कोई दुर्घटना सामने नहीं आई है क्योंकि सुरक्षा के उच्च मानक स्तर निर्धारित किये जाते हैं अन्यथा सम्पूर्ण जीव जगत समान रूप से बुरी तरह प्रभावित होता है।

2.4 जिले की विपदा भेद्यता क्षमता एवं जोखिम मूल्यांकन (HVCRA)

आपदाएँ जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भंयकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटित होने पर उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अंपग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाली जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी ऐत्रा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित विपदाओं की पहचान-

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिह्नित किया है जिन्हे मुख्यतः पाँच भागों में विभक्त किया है।

- जलवायु सम्बन्धित - बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्मी और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धित - भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित- रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- दुर्घटना सम्बन्धित- आग, बम विस्फोट, वायु, सङ्क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाएँ- महामारी, टिड़ी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

चितौड़गढ़ जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना में जिले में प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन विभिन्न स्तरों पर किया गया है। जिले में संभावित 10 आपदाएँ चिह्नित की गयी। इनमें से मुख्य पाँच आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। पाँच मुख्य आपदाएँ निम्न हैं-

- सूखा
- बाढ़
- दुर्घटनाएं
- आग
- भूकम्प

अन्य आपदाएँ-

- साम्प्रदायिक दंगे
- ओलावृष्टि
- बांध टूटना
- रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएँ
- ताप (लू) व शीतघात

संवेदनशीलता-

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहाँ के लोगों के जीवन स्तर, वहाँ की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।



- **भौतिक संवेदनशीलता-** भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं, आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा कृषि भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं :-
- **मिट्टी की दीवार, कवेलू, कच्ची मिट्टी की ईटें** एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर -जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने पर मध्यम ब्रुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है।

- पकी हुई ईटों या बड़े पत्थर के घर -जिले में पकी हुई ईटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।
- सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ -इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हे ठीक कहा जा सकता है।
- हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोपड़ियाँ -इस तरह की सामग्री से बनी हुई झोपड़ियाँ भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित हैं लेकिन तेज हवायें अगर 4.7 एम./सै. से चलती हैं तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।
- आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता-** सामाजिक एवं परिस्थितिक दृष्टि से कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। गरीबी और संसाधनों की कमी संवेदनशीलता पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है।

$$\text{खतरा} = \text{विपदा} + \text{संवेदनशीलता}$$

जिले में बी. पी. एल. 2002 की सुओ- मोटो सर्वे के पश्चात् दिनांक 10.08.2007 को जारी संशोधत सूची के सनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 56141 थी। वर्तमान में बी.पी.एल. परिवारों का विवरण निम्नानुसार है।

बी.पी.एल. परिवारों का विवरण (सुभेद्य जन)-

क्र. स.	पंचायत समिति	बीपीएल परिवारों की संख्या	गैर बीपीएल. परिवारों की संख्या	कुल योग
1	राशमी	4462	15472	19934
2	गंगरार	7104	16485	23589
3	बेगू	4555	20262	24817
4	भैसरोडगढ़	6329	12162	18491
5	चितौडगढ़	5795	33280	39075
6	कपासन	5525	15689	21214
7	झूँगला	2870	18904	21774
8	भदेसर	4120	21890	26010
9	निम्बाहेडा	8636	26412	35048
10	बड़ीसादडी	5174	19315	24489

11	भूपालसागर	5919	13207	19126
	कुल योग	60489	213078	273567

तालिका- 2.17 बीपीएल व गैर बीपीएल परिवारों की संख्या (2015)

2.5 जिले की प्रमुख आपदाओं के सन्दर्भ में क्षमता मूल्यांकन -

चितौड़गढ़ जिले में बाढ़, सूखा, दुर्घटनाएँ, भूकम्प, ओलावृष्टि आदि प्रमुख आपदाएँ हैं। जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत जिले में एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन तंत्र कार्यरत है। बाढ़ के समय राहत व प्रत्याक्रमण हेतु जिले में पर्याप्त सुविधाएँ विद्यमान हैं। आवश्यकता पड़ने पर समीप के जिलों व राज्यों से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2016 में आयी बाढ़ का जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय प्रबन्धन किया गया जिससे जन-धन हानि को काफी सीमा तक कम किया जा सका। बाढ़ राहत हेतु नोडल विभाग-नगर परिषद्, चिकित्सा, सिंचाई, पुलिस आदि हैं।

सूखा राहत व प्रबंधन के लिए जिले में मनरेगा चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को आजीविका कर्माने हेतु 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसी प्रकार पेयजल टैक्ट, चारा, रियायती अनाज आदि की व्यवस्था नगर परिषद् व जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। इस हेतु नोडल विभाग जिला परिषद, सिंचाई, चिकित्सा विभाग है। प्रचंड सूखा होने पर राज्य व केन्द्र सरकार की भी सहायता मांगी जाती है।

दुर्घटनाओं में नियंत्रण व राहत हेतु जिले में परिवहन विभाग, रेल विभाग, उद्योग विभाग व चिकित्सा विभाग प्रयासरत हैं सभी अपने अपने स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित करते हैं तथा बचाव व राहत के उपकरण व संसाधन तैयार रखते हैं।

जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस सेवा तथा इमरजेंसी व ट्रोमा वार्ड 24 घंटे कार्यरत है। जिले के समीप ही बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी कार्यरत हैं।

भूकम्प के समय के नोडल विभाग- सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद्, चिकित्सा विभाग है। भूकम्प राहत व प्रत्याक्रमण हेतु चेतावनी प्रणाली, तथा भवन निर्माण में मानक रूपरेखा प्रयोग करने की प्रतिबद्धता आवश्यक है।

इसी प्रकार ओलावृष्टि, तापघात, शीतलहरी जैसी आपदाएँ यद्यपि चितौड़गढ़ के सन्दर्भ में इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं फिर भी जिला प्रशासन व आपदा पब्लिक पाइकरण सदैव सजग रहते हैं।

किसी भी स्थान पर आने वाली आपदाएँ उनके प्रभाव तथा उनसे निपटने के तरीकों में भिन्नता पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र में आपदा व राहत प्रत्याक्रमण की सटीकता व प्रभावशीलता के लिए उस क्षेत्र का आपदा- सुभेद्यता व जोखिम विश्लेषण आवश्यक है। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख आपदाएँ- सूखा, बाढ़, भूकम्प, दुर्घटनाएँ (सड़क-रेल दुर्घटना, औद्योगिक दर्घटना, आण्विक दर्घटना) ओलावृष्टि आदि हैं। उक्त आपदाओं

के सुभेद्य लक्ष्य अलग-अलग है। जिले में पृथक-पृथक क्षेत्र बाढ़, सूखा, दुर्घटनाओं तथा मौसम सम्बन्धी अतिशयताओं से सम्बन्धित है। साथ ही साथ चितौड़गढ़ के सन्दर्भ में पृथक-पृथक क्षेत्रों में आपदाओं के जोखिम भी भिन्न है। उक्त आपदाओं के सन्दर्भ में जिले की क्षमताओं का मूल्यांकन भी आवश्यक है जिससे जिले की तैयारियों, उपलब्ध संसाधनों व उपकरणों का पता लगाकर कमियों को दूर किया जा सके।

अध्याय– 3

Disaster Management: Institutional Arrangements

आपदा प्रबंधन : संस्थागत व्यवस्थाएँ

विषय वस्तु -

- 3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध : संरक्षणात ढांचा
- 3.2 राज्य आपदा प्रबंध : संरक्षणात ढांचा
- 3.3 जिला आपदा प्रबंध : संरक्षणात ढांचा
- 3.4 अन्य सरकारी व निजी आपातकालीन सेवाएँ
- 3.5 पूर्वानुमान व चेतावनी तंत्र

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा-

आपदा प्रबंधन कानून : 2005 के लागू होने के बाद आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। ये सभी परस्पर समन्वय से आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करते हैं।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। प्रमुख कार्य आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण है।
- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति – यह गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करती है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) – आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन हेतु गठित किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) – आपदा की दशा में राहत, खोज व बचाव हेतु गठित विशेष बल।

3.2 राज्य आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा-

राष्ट्रीय स्तर के समान ही चार एजेंसियों का गठन राज्य स्तर पर किया गया है–

क्र. सं.	एजेंसी	मुख्य	कार्य
1.	राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण	मुख्यमंत्री	नीति निर्धारण
2.	राज्य कार्यकारी समिति	मुख्य सचिव	राज्य को सहायता व समन्वय
3.	राज्य आपदा अनुक्रिया बल	–	खोज, राहत व बचाव
4.	राज्य आपदा प्रबंधन केन्द्र	–	प्रशिक्षण

तालिका- 3.1 आपदा प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय ढांचा

3.3 जिला आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा-

चित्तौड़गढ़ जिले में केन्द्र व राज्य के समान ही संस्थागत ढांचा कार्यरत है। इस हेतु निम्न प्रकार से संस्थाएँ/एजेंसिया कार्यरत हैं–

क्र.सं.	एजेंसी विभाग	कार्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	आपदा प्रबंधन योजना व नीति निर्धारण
2.	इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम	आपदा के समय त्वरित अनुक्रिया
3.	EOC (इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर)	आपातकालीन स्थितियों पर नजर
4.	जिला कार्यकारी समिति	आपदा प्रबंधन योजना व नीति निर्धारण में सहयोग

तालिका- 3.2 चित्तौड़गढ़ आपदा प्रबंध हेतु संस्थागत ढांचा

जिला कलक्टर हेतु आपदा के प्रबन्धन बाबत संस्थागत व्यवस्थाएँ-

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलक्टर उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकते हैं। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- स्थायी व्यवस्था-प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 8 (4) आ.प्र. एवं स.आ./आ.प्र./19361 दिनांक 06.09.2007 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्रियान्वयन करेगा। अधिसूचना के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निम्नांकित सदस्य होंगे:-**

क्र.सं.	अधिकारी मय पद	पदनाम
1	जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़	सहअध्यक्ष
3	जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़	सदस्य
4	जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़	सदस्य
6	अधीक्षण इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण, विभाग वृत, चित्तौड़गढ़	सदस्य
7	कार्यपालक इंजीनियर, जल संसाधन विभाग खण्ड - चित्तौड़गढ़	सदस्य

तालिका- 3.3 चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उक्त अधिनियम की धारा 25 (4) के तहत अतिरिक्त जिला दण्डनायक, चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। शासन सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के पंत्राक एफ. 8 (1) आ.प्र.एवंसहा./आ.प्र./11/15958-92 दिनांक 26.12.2012 के अनुसरण में जिला आपदा योजना तैयार करवाने एवं इस पर प्रभावी मोनिटरिंग हेतु जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक/आ.प्र. एवं सहा./2012/15 दिनांक 29.01.2013 द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है।

नाम अधिकारी	पद
1. अति. जिला मजिस्टरेट्रू	संयोजक
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
3. अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4. कोषाधिकारी	सदस्य
5. जिला सांख्यिकी अधिकारी/(AD Statistics)	नोडल ऑफिसर
6. महा. प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
7. सी.ओ. रकाउट	सदस्य
8. कमीशनर नगर परिषद	सदस्य
9. कमांडेन्ट होमगार्ड	सदस्य

समिति योजना तैयार करवा कर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त राज्य स्तर पर भिजवायेंगी।

- जिला कलक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेंगे तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेंगे तथा सूचना सचिव सहायता विभाग को भेजेंगे।
- उपखण्डों पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो आपदा आने पर स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष स्थापित है।

• नियंत्रण कक्ष-

- नियंत्रण कक्ष जिला कलक्ट्रेट में स्थापित है जो आपदा के समय चौबीस घंटे संचालित रहता है।
- नियंत्रण कक्ष में कुल छः व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्त होगी (दो व्यक्ति हर पारी में)।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नम्बर होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नं. 01472-247997 तथा चार अंकीय टोल फ्री नंबर 1077 हैं।

आपदा के दौरान जिला कलक्टर की भूमिका : रोकथाम, तत्परता एवं शमन के उपाय-

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना एवं समन्वय करना। उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा जिला स्तरीय एवं राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।

- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएँ व आँकड़े तैयार रखवाना।
- आपदा से हुए बुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- ऐल्वे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आगे जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केब्ड्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा विवरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना, पड़ोसी राज्यों एवं अन्य विभागों से सहायता लेना।

पुलिस विभाग-

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गार्ड्स, एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस.-

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूँढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।
- रव्यांसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका-

- विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को इयूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंस की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिट्स को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

सिंचाई विभाग—

- बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा उनके मानचित्र तैयार करना।
- विगत वर्षों में आई बाढ़ का विवरण तैयार करना एवं पुनःसामान्य स्थिति प्राप्त करने हेतु की गयी कार्यवाही का उल्लेख करना।
- संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व निरीक्षण जिसमें पुल, पुलिया के नीचे बहने वाली नदियाँ व नहरें, बांधों के दरवाजे आदि सम्मिलित हैं।
- आपदा काल हेतु कंकर पत्थर एवं खाली थैले तैयार रखना।
- नदी बहाव के अवरोधों को मानसून पूर्व ही दूर करवाना।
- तैराकों-नाविकों की सूची तैयार रखना व अच्छी हालत में मैन्युअल उपकरण सहित जीवन रक्षक जैकेटों की व्यवस्था रखना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इयूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे। (जैसे पम्पसेटों की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएँ लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।

- बांधो व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग-

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इयूटी पर उपस्थित होने हेतु पाबंद करेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग-

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जलरस फड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

विद्युत वितरण निगम-

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।

दूर संचार निगम-

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाइल, हॉटलाईन)।
- अरथाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

नगर पालिकाएँ/परिषद्/निगम-

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाइयों का छिकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।

- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र वाहन आदि)

परिवहन विभाग-

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-

- खाद्य सामग्री, पैट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग-

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाइयों की व्यवस्था करना।
- पशुओं के उपचार हेतु डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- मृत पशुओं के शवों का निरतारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम कराना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

स्वयंसेवी संगठन/संस्थाएँ-

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

3.4 अन्य सरकारी व निजी आपातकालीन सेवाएँ-

जिले में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाएँ संचालित की जाती हैं। पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन 24 घण्टे संचालित होते हैं।

विभिन्न निजी अस्पतालों की आपातकालीन सुविधाओं का प्रयोग भी आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। निजी विद्यालय तथा निजी औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थान भी आवश्यकता पड़ने पर आवास तथा आश्रय के रूप में काम आ सकते हैं।

3.5 पूर्वानुमान व चेतावनी तंत्र-

जिला सूचना केन्द्र इस हेतु नोडल एजेंसी है जबकि आकाशवाणी, जिला केबल, स्थानीय टीवी चैनल, प्रशासनिक उद्घोषणा तंत्र आपदा पूर्व चेतावनी के अन्य साधन हैं। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न निर्देशों

की जिला स्तर पर पूर्ण अनुपालना एवं समीक्षा की जाती है। आपदा के समय जिला कलक्टर के दिशा निर्देश में अति. कलक्टर (प्रभारी अधिकारी सहायता) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त/अधिशासी अधिकारी एवं समस्त विभागीय अधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाएँ, होमगार्ड एक टीम के रूप में त्वरित कार्यवाही कर बचाव एवं राहत प्रदान करते हैं। जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर उसका अद्यतन 2017 हेतु प्रस्तुत पुस्तिका में किया गया है:-

1. जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC) सुदृढीकरण

इस जिले में जिला मुख्यालय पर जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC) कमरा नं. 85 में 24x7 संचालित किया जाता है। जिसका दूरभाष नम्बर 01472-247997 है। जिले में समस्त तहसील कार्यालयों में इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर आवश्यकतानुसार कार्यरत रहते हैं।

2. खोज, बचाव, संचार व्यवस्था को विकसित करने हेतु जिले को सहायता आंवटित करने की प्रक्रिया-

इस जिले में सहायता विभाग से खोज बचाव व संचार व्यवस्था को विकसित करने हेतु प्राप्त उपकरण निम्नांकित हैं-

- लिक्वीड क्रिस्टल डिस्प्ले (एल.सी.डी.)
- वायरलेस सेट मय वॉकी टॉकी
- कम्प्यूटर सेट मय प्रिन्टर, स्केनर, फैक्स (मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर)
- जनरेटर सेट
- मोबाइल फोन

उक्त समस्त उपकरण वर्तमान इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC) में क्रियाशील हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR), अरबन रिस्क रिडक्शन (URR), इनसिडेन्स रेस्पोन्स सिस्टम (IRS), उक्त बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार चर्चायें कर सभी को जानकारी प्रदान करते हैं।

अध्याय-4

Prevention and Mitigation

रोकथाम एवं शमन

विषय वस्तु-

- 4.1 रोकथाम : आवश्यकता व प्रक्रिया
- 4.2 जिला चित्तौड़गढ़: आपदाओं के संदर्भ में रोकथाम
- 4.3 शमन की आवश्यकता एवं उपाय
- 4.4 जिला चित्तौड़गढ़ : आपदानुसार शमन के उपाय
- 4.5 रोकथाम व शमन में नवाचार

4.1 रोकथाम : आवश्यकता व प्रक्रिया-

चित्तौड़गढ़ मे होने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, बाढ़ एवं भूकम्प शामिल है, जबकि मानव-कृत आपदाओं में आतंकी आक्रमण, दुर्घटनाएँ एवं आगजनी प्रमुख है। जिला न्यूकिलयर एवं औद्योगिक आपदाओं के लिए भी सुभेद्य है। युनाइटेड नेशंस इंटर्नेशनल स्ट्रेटिजिन फॉर डिजास्टर रिफ्क्षन के अनुसार ‘रोकथाम’ एक ऐसी अवधारणा एवं अभिप्राय है जिससे समय रहते कार्यवाही करके सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है। मानव-कृत आपदाओं की तरह, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प और चक्रवात को ठाला नहीं जा सकता। लेकिन जोखिम भरे क्षेत्रों में विकास कार्यों की उचित योजनाओं के माध्यम से इन खतरों को आपदाओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। अल्पीकरण(शमन) एक ऐसा कार्य है जिसके तहत ढाँचागत एवं गैर ढाँचागत उपायों के द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

उपरोक्त प्राकृतिक एवं मानव-कृत आपदाओं के कारगर प्रबंधन के लिए प्रयुक्त उपायों में रोकथाम ‘शमन संबंधी’ पहलू भी शामिल होने चाहिए जैसे-पूर्व चेतावनी प्रणाली। जिले में सम्भावित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन में सम्बन्धित विभागों को शामिल किया जा सकता है, चित्र 4.1 में इसे दर्शाया गया है।

रोकथाम-


रोकथाम संबंधी कार्यों में आपदाओं से होने वाले जोखिमों के स्तर की पहचान और निर्धारण करना और उससे जान माल तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कार्यवाही करना शामिल है। यह काम कानून बनाकर उन्हें लागू करके किया जा सकता है, जैसे भूमि उपयोग-संहिता, सुरक्षा अधिनियम, बिल्डिंग कोड्स, स्वच्छता, महामारी नियंत्रण, बाढ़ प्रबंधन आदि। रोकथाम के आसान उपायों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलसंभर प्रबंधन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूतीकरण और बेहतर संचार व्यवस्था का विकास शामिल है। पारिस्थितिकीय पुनः प्रस्थापन, पर्यावरण प्रबंधन और क्षमता-वर्धन प्रक्रियाओं की भी संभावित आपदाओं की रोकथाम व शमन में महत्वपूर्ण भूमिका है। रोकथाम के उचित उपायों की कमी के रहते आपदा स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है, जिससे संभालना मुश्किल हो सकता है।

डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ डिपार्टमेंट राज्य की सभी नियामक संस्थाओं का सदस्य है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित योजनाओं के लिए जरूरी उपाय सही तरीके से लागू हों।

जोखिम मूल्यांकन-

आपदाओं की पहचान और उनसे होने वाले जोखिमों का मूल्यांकन आपदा को कम करने की दिशा मे पहला कदम है। जोखिम मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संभावित जोखिम की प्रकृति और उसके विस्तार का निर्धारण

किया जाता है। यह कार्य सम्भावित आपदाओं व वर्तमान सुभेद्यता स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। आपदा और वर्तमान सुभेद्यता स्थिति मिलकर जान-माल, रोजी-रोटी और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं।



चित्र- 4.1- आपदा रोकथाम व शमन

आपदा सुभेद्यताओं से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग, एजेंसियाँ, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारी, सभी आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का जोखिम एवं सुभेद्यता मूल्यांकन करायें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण और जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग डाटा पर आधारित सुभेद्यता विश्लेषण एक अनिवार्य जाँच घटक होना चाहिए।

तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था-

आपदा के विपरित प्रभावों को कम करने के लिए एक अनुकूल तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है इसके लिए कारगर नीतियों और कानूनों का बनाया जाना तथा जिले के विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं एजेंसियों द्वारा उनको लागू किया जाना भी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर संस्थागत एवं समन्वयक प्रतिक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। कारगर रोकथाम एवं शमन सम्बन्धी उपायों के लिए एक विस्तृत तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हों-

- निर्माण कार्यों में बेतहाशा वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण के मध्देनजर, नगरपालिका कानूनों जैसे ड्वलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस, बिल्डिंग बाइलाइ और स्ट्रक्चरल सेफ्टी फीचर्स में बदलाव की जरूरत है।

- जलरी रक्षा उपायों के बिना निमार्ण कार्यों के अयोग्य इलाके में इमारतें बनाने से उस क्षेत्र की आपदा सुभेद्यता और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे निपटने के लिये उचित अनुपालन प्रक्रिया की ज़रूरत है।
- पर्यावरण एवं आपदा आँकड़ों का विश्लेषण करके विभिन्न भौगोलिक व प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग योजना तैयार करना। यह शहरों और उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में आवास के लिए सुरक्षित स्थान और अन्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिहाज से बहुत ही प्रासंगिक है।
- छोटे स्तर पर विभिन्न उपयोगों के डाटाबेस के आधार पर एक भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने की आवश्यकता है। विकास की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भूमि उपयोग योजना तैयार करने की भी महती आवश्यकता है।
- भूकम्प जैसी आपदायें लोगों को नहीं मारती लेकिन गलत तरीके से डिजाइन ओर कमजोर इमारतें लोगों की मौत का कारण बनती है। नई इमारतों का सुरक्षित निर्माण और प्रमुख इमारतों में शीट्रोफिटिंग को वरीयता दी जायेगी।
- इंदिरा आवास योजना और अन्य सरकारी कल्याण व विकास योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस को आपदा-सुरक्षा की दृष्टि से पुनः जाँचा जायेगा।
- राज्य/नगर पालिका के बिल्डिंग बाइलॉज में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का समायोजन अनिवार्य होगा।
- राज्य व जिला स्तर पर इंजीनियर्स, आकिटेक्ट्स, ठेकेदारों और राजभिस्त्रीयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाने की ज़रूरत है।
- सुरक्षित विद्यालयों, अस्पतालों और प्रमुख स्मारकों एवं अन्य जीवनोपयोगी इमारतों की सुरक्षा को प्रमुख वरीयता होगी।
- जिले के सभी विद्यालयों व अस्पतालों की इमारतों को भूकम्परोधी बनाया जायेगा तथा उनमें अग्नि सुरक्षा के लिये उपयुक्त उपकरण लगाये जायेंगे।

जिले में एक मजबूत अनुपालन व्यवस्था कायम करने की ज़रूरत है, जिसमें परिणामों की अनिवार्यता के साथ-साथ, टेक्नो-लीगल और फाईनैसियल प्रावधानों की सफलता सुनिश्चित की जा सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जिले में निगरानी, सत्यापन और अनुपालन व्यवस्थाएँ ठीक कार्य कर रही हैं। इन प्रावधानों का क्रियान्वयन सभी सहभागियों का दायित्व होगा।

4.2 जिला चित्तोङ्गः आपदाओं के संदर्भ में रोकथाम-

जिले में आपदानुसार सभी विभागों व एजेंसियों हेतु रोकथाम एवं शमन के उपाय—

• सूखा

सामान्य उपाय-

सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग, जल संभर विकास, एकीकृत घाटी योजना, सिंचित कृषि में जल प्रबंधन, उचित फसल पैटर्न का चयन, बरसाती जल का संभरण, भू-जल का कृत्रिम रिचार्ज, तालाबों और टांकों का जीर्णोद्धार, सिंचाई व्यवस्था की उचित देखभाल, जल का पुनः प्रयोग व सबऑप्टिमल क्वालिटी के जल का प्रयोग, जलाशयों से वाष्पीकृत क्षय की रोकथाम, मृदा वाष्पीकरण में कमी के उपाय।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय-

जल सम्पदा का एक सक्रिय डाटाबेस तैयार करना तथा वाटर रिसोर्स इनफार्मेशन सिस्टम (डब्ल्यूआरईएस) का विकास। एक विस्तृत जल सम्पदा रिपोर्ट तैयार करना जिसमें जलसंभर स्तर पर होने वाली वार्षिक विभिन्नताएँ शामिल हों। स्वचालित मौसम रेटेशनों और रेन गेज रेटेशनों के नेटवर्क का विस्तारीकरण जिससे वाष्पीकरण और बरसात संबंधी आंकड़े प्राप्त हो सके। डीएमसीज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नोलेज सेंटर्स ढारा किये जा रहे प्रयासों का सुसंगतीकरण करेगा। राज्य जल नीति 2010 के साथ समाभिलूपता।

• भूकम्प

सामान्य उपाय-

आम जनता को जागरूक करना तथा इलेक्ट्रोनिक एवं मीडिया द्वारा “करो और मत करो” की जानकारी देना, मौलिक रीट्रोफिटिंग उपायों की जानकारी देना। प्रशिक्षण के माध्यम से इंजीनियरों, आकिटेक्ट और राजमिस्त्रियों का क्षमता-वर्धन।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय-

आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हैजार्ड सेपटी सेल(एचएससी) का गठन। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में एक रेट्रोफिटिंग क्लीनिक की स्थापना। यह क्लीनिक रेट्रोफिटिंग उपायों के बारे में इंजीनियर्स और आकिटेक्ट्स को प्रशिक्षण देता है। क्षमता वर्धन, प्रशिक्षण, शोध एवं विकास कार्यों के लिए स्टेट रिसोर्स इंस्टिट्यूट्स का चयन। एसईसी जरूरी तकनीकी एवं कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाएँ शुरू करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सहभागी जैसे बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सरकारी विभाग भूकम्प रोधी निर्माण पद्धति प्रयोग में ला रहे हैं और सभी डिजाइन एवं निर्माण कार्यों में भूकम्प से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सरकार

एमएचए द्वारा निर्धारित मॉडल टाउन प्लानिंग बाइलॉज का पुनर्विवेचन करेगी और उन्हे लागू करेगी। निर्माण कार्यों में सुरक्षा पहलुओं से जुड़े सभी व्यवसायों को लाइसेंस देकर उनका प्रमाणीकरण डीसीआई में समिलित किया जायेगा। एसईसी एक टैक्नो-लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना करेगी जिससे निर्माण कार्य से जुड़े मिस्ट्रियों का प्रमाणीकरण किया जा सके। सभी बड़े प्रोजेक्ट्स एवं इमारतों का किसी योग्य उजेंसी द्वारा अनुपालना रिव्यू किया जायेगा। वर्तमान इमारतों में किसी भी प्रकार का संशोधन जिसमें भूकम्परोधीकरण और रीट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट शामिल है कि मॉनिटरिंग यूएलबी द्वारा की जायेगी।

जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों में इमारतों के निर्माण कार्य में भूकम्प नियमावली की अनुपालना के लिए उचित कदम उठायेगा। इस कार्य में पीआरआई को भी शामिल किया जायेगा।

• बाढ़

सामान्य उपाय-

भूसंरक्षण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वन संरक्षण और विस्तारीकरण, जल प्रबंधन और चेक डेम के निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे बाढ़ की तीव्रता को कम किया जा सके। जल संभरण परियोजना के लिए पर्याप्त फंड प्रदान किया जायेगा जिससे बेहतर तरीके से बाढ़ प्रबंधन किया जा सके।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में समय से चेतावनी देने के लिए एक विस्तृत बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किया जायेगा। साथ ही बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए उपनिवेश एवं आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी कानूनों की जानकारी दी जायेगी।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय-

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर-निर्माण संबंधी योजनाओं के लिए एसईसी द्वारा एक उपयुक्त लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा। एसईसी यह सुनिश्चित करेगा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भवन निर्माण कार्यों में बाढ़ नियमावली की अनुपालना हो। एसईसी अनियोजित विकास पहलुओं पर पाबंदी लगायेगी जिससे ऐसे निर्माण कार्यों को रोका जा सके जो प्राकृतिक ड्रेनेज में रुकावट डालते हैं या जिन से बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका हो प्रमुख इमारतों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को वरियता दी जावेगी। जल बहाव, नहरों की क्षमता और जल संतुलन संबंधी अध्ययन कराया जायेगा। एक ऐसा मंच तैयार किया जायेगा जिसके माध्यम से विभिन्न विभाग और प्राधिकरण (जैसे बांध प्राधिकरण, पावर प्लांट्स, यूएलबीज, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, (डीएमएण्डआर) बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान कर सकें।

• ओलावृष्टि

सामान्य उपाय- ओलावृष्टि सहित खराब मौसम के पूर्वानुमान और निगरानी के लिए डॉपलर स्थापित किये गये हैं। यह डॉपलर राज्य स्तर से चेतावनी प्रसारण का कार्य करेंगे। इस चेतावनी की अनुपालना सम्पूर्ण जिले में की जायेगी।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय-

जयपुर में आईएमडी ने डॉपलर राडार लगाने का कार्य पूरा कर लिया है।

• गर्मी(लू) एवं शीत लहर

सामान्य उपाय-

अगर जलरत पड़ी तो जिला प्रशासन शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्रामगृह स्थापित करेगा। गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य सामुदायिक समूहों के सहयोग से जिला प्रशासन कम्बल, बैम्बू शीट्स, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और कपड़ों के वितरण की व्यवस्था करेगा।

• महामारी

सामान्य उपाय-

- लक्षित ठीकाकरण अभियान।
- पूर्व चेतावनी एवं निगरानी कार्यों के लिए सामुदायिक भागीदारी।
- संकटकालीन देखभाल के लिए उपकरणों का प्रबंधन।
- नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।
- सुरक्षित सेनिटेशन एवं हाइजीन, घरेलू जल उपचार, ओआरएस के प्रयोग और अन्य निरोधक दवाइयों के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार।
- वैक्टर-बोर्न बीमारी की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय-

- क्रॉनिक क्षेत्रों में निगरानी के लिए इंटिग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम का विकास।
- विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक मंच की स्थापना।
- छिड़काव आदि में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों जैसे जहरीले पदार्थों की हैंडलिंग के लिए कानूनी व्यवस्था।

• तेल अग्नि

सामान्य उपाय-

उद्योग इकाइयों, शिक्षण संस्थानों, रवारथ्य संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी इमारतों की अग्नि सुरक्षा का स्वंयं जोखिम विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मानक प्रक्रियाओं का परीक्षण करना।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय-

- उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के आस-पास मध्यवर्ती क्षेत्रों का विकास ।
- ऑयल डिपो और खतरनाक रासायनिक उद्योग इकाइयों के आस-पास प्रतिबंधित बसावट ।
- पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए खतरनाक उद्योगों के आस-पास हरी पट्टी का विकास ।
- ऑयल डिपो एवं उद्योगों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं (ऑनसाइट एवं ऑफसाइट) का सख्ती के साथ अनुपालन ।

• दावानल

सामान्य उपाय-

- जिले के वनों में उच्च जोखिम भरे क्षेत्रों का माझको-जोनेशन ।
- दावानल की निगरानी के लिए रिमोट सेसिंग टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल ।
- दावानल की पूर्व चेतावनी के लिये रिमोट सेसिंग के प्रयोगों हेतु क्षमता-वर्धन । उच्च जोखिम भरे इलाकों के लिए सूचना तंत्र की व्यवस्था ।

• आतंकवाद

सामान्य उपाय-

- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी का प्रचार प्रसार ।
- सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों और होटलों में सीसीटीवी और ऐक्सेस कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था ।
- प्रतिबंधित प्रवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाना तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित प्रवेश एवं अतिक्रमणरोधी व्यवस्था के लिए अवरोधकों का निर्माण ।
- गुप्त सूचना तंत्र और विश्लेषण प्रक्रियाओं का सशक्तिकरण । विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के इंटेलिजेंस एनालॉसिस के एकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ।
- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया, संचार तकनीक, सूचना तकनीक, सोशल नेटर्वर्क का प्रयोग, प्रमुख प्रतिष्ठानों पर उच्च सुरक्षा प्रबंध ।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय-

विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रदत्त गुप्त सूचनाओं के विश्लेषण के लिए जिला इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन । यह एजेंसी नियमित रूप से एनआईए एवं अन्य एजेंसियों से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करेगी और उनके आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए उचित कार्यवाही निर्धारित करेगी ।

आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनों को ओर कठोर बनाया जायेगा जैसे अपहरण के मामले में नो-नैगोशिएशन पॉलिसी और कड़े आंतकरोधी कानून ।

• न्यूकिलयर एवं रेडियोएक्टिव हैजर्ड्स

सामान्य उपाय-

- सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए इनाम एवं जुर्माने का प्रावधान, उद्योगों के लिए अनिवार्य डीडीआर योजना नीति ।
- मजबूत एवं पूर्व चेतावनी, रिसाव पहचान एवं फायर अलार्म ।
- इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास (निकासी के लिए सड़कें) आदि पर विशेष ध्यान ।
- पडोसी जिलों के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा ।
- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया, संचार तकनीकी, सोशल मीडिया का प्रयोग
- पारदर्शी, विस्तृत, सफल एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन के क्रियान्वयन से जोखिम को घटाया जा सकता है, इससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक एवं आर्थिक कारकों पर पड़ने वाले असर को प्रबंधित किया जा सकता है ।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय-

अटोमिक एनर्जी एक्ट 1962 भारत का प्रमुख न्यूकिलयर कानून है । अटोमिक एनर्जी ऐग्यूलेशन बोर्ड में प्रस्तावित सुरक्षा प्रावधानों का नियंत्रण करता है । जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अटोमिक विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा न हो ।

4.3 शमन की आवश्यकता एवं उपाय-

इन श्रेणियों को आगे इस तरह भी विभाजित किया जा सकता है, किसी आपदा के लिए जिले के प्रत्येक विभाग या नोडल एजेन्सी द्वारा लम्बी एवं अल्प अवधि के लिए किये जाने वाले उपायों को तालिका- 4.1 में दिया गया है । सभी विभाग अपनी अपनी योजनाएँ, उद्देश्य एवं लक्ष्य तैयार करेंगे और अपनी उपलब्धियों और अगले साल की योजना के लिए उनका सालाना पुनर्निरीक्षण करेंगे । एसईसी आपदा प्रबन्धन सम्बंधित स्थानीय ज्ञान को ज्यादा बढ़ावा देगी । हैरिटेज इमारतों पर भी विशेष ध्यान दिया जावेगा ।

अल्पावधि व दीर्घावधि उपायों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है-

1. ढांचागत उपाय
2. गैर ढांचागत उपाय

4.4 जिला चित्तौड़गढ़ : आपदानुसार शमन के उपाय-

आपदा/विभाग	अल्पावधि		दीर्घावधि	
	ढाचांगत उपाय	गैर ढाचांगत उपाय	ढाचांगत उपाय	गैर ढाचांगत उपाय
सूखा (सबंद्ध एजेन्सियाँ डीएम एण्ड आर, जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग कृषि विभाग, पशु पालन विभाग)	<ul style="list-style-type: none"> रैन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय चारागाहों का विकास शुष्क कृषि पद्धति को बढ़ावा जैसे लो टिलेज, इनसीट, साईल कंजरवेशन, रेज्ड बैड, रिज, फरो, मल्टिग आदि क्षेत्रीय स्तर पर जल संपदा बढ़ाने के लिए एमजीएनआईजीएस व जिले एवं राज्य की अन्य स्कीमों के बीच समाझिरूपता 	<ul style="list-style-type: none"> शुष्क कृषि तकनीक विकसित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ सहयोग वाटरशेड और वाटर हारवेस्टिंग तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण सामुदायिक चारा बैंक नमक प्रतिरोधी फसलें पानी की कम खपत वाली तकनीकों को बढ़ावा जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिचाई 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय जल संसाधनों के विकास एवं संरक्षण के लिए विशेष अभियान सिंचाई टैंक बनाने के लिए स्थान की पहचान और छोटी सिंचाई स्कीमों का निर्माण लम्बी अवधि की परियोजनाएँ नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए। एमजीएनआईजीएस एवं राज्य की व जिले की अन्य स्कीमों के बीच सहयोग 	सूखा विराधी कार्यक्रमों के लिए एमजीएनआईजीएस का उत्तोलन, इंटिग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम
भूकंप (संबंद्ध एजेन्सियाँ : नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग)	<ul style="list-style-type: none"> सभी प्रमुख क्षेत्रों में जो भूकंप के प्रति सुभेद्ध है में सभी इमारतों की रिट्रोफिटिंग पर विशेष ध्यान निर्माण एवं भूमि उपयोग योजनाओं के लिए नियन्त्रण 	<ul style="list-style-type: none"> भूकंप सम्बधि सुरक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी और युडीएच कर्मचारियों का अनुकूलन एवं आपदा प्रबन्धन में उनकी भुमिका प्रमुख क्षेत्रों में जो भूकंप सुभेद्ध है। सुरक्षा ऑडिट 	<ul style="list-style-type: none"> सभी क्षेत्रों, कस्बों और गांवों में सभी असुरक्षित इमारतों में रीट्रोफिटिंग सभी इमारतों में भुकंप सुरक्षा से सम्बद्धित कानूनों का सख्ती से अनुपालन 	<ul style="list-style-type: none"> सभी क्षेत्रों और कस्बों और गांवों की सुरक्षा ऑडिट सभी विद्यालयों अस्पतालों और सार्वजनिक इमारतों में मॉकड्रिलस सरकारी एवं गैर सरकारी आर्कीटेक्ट्रस, इन्जीनीयर्स आदि

	<p>के जनरल डेवेलपमेन्ट कंट्रोल रेगुलेशन (जीडीसीआर) में संशोधन</p>	<ul style="list-style-type: none"> भूकम्प रोधी विशेषज्ञताओं पर आर्कीटेक्ट्रस इन्जिनियर्स और राज मिस्ट्रियों का क्षमता वर्धन 	<ul style="list-style-type: none"> सभी जोखिम उन्मुख इलाकों का भूकम्पी माइक्रो जोनेशन संबंधी अधिसूचना 	<ul style="list-style-type: none"> का भूकम्प रोधी निर्माण के बारे में गहन प्रशिक्षण सभी निजी इमारतों जो सुरक्षा कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं और असुरक्षित हैं। नोटिस जारी करना।
बाढ़ (संबंद्ध एजेन्सियाँ जल संसाधन और सिचाई विभाग)	<ul style="list-style-type: none"> प्राकृतिक ड्रेनेज के रास्ते में हुए अतिक्रमण को हटाना पुश्तों का निर्माण करना नहरों/नालों में सुधार शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम में सुधारीकरण तूफानी जल प्रबन्धन। सुरक्षित आश्रय घरों का निर्माण जलसंभर प्रबन्धन 	<ul style="list-style-type: none"> सभी क्षेत्रों में ढाँचागत उपाय के लिए सुक्ष्म योजनाएं तैयार करना क्षेत्रों और गावों में बाढ़ शमन के लिए निर्माण कार्यों में जेएनएनयूआरएम और एमजीएनआईइजीए तथा जिला प्रशासन के बीच सहयोग 	<ul style="list-style-type: none"> निचले इलाकों में ढाँचागत विकास के लिए कानूनों की सख्ती के साथ अनुपालन। आबादी वाले क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए नालों और बाँधों का निर्माण विस्तृत जिला ड्रेनेज अध्ययन, राज्य सरकार के सहयोग से, ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्निरीक्षण, अगर वर्तमान ड्रेनेज नालों या पुश्तों की अप्र्याप्तता है तो उनमें सुधार किया जायेगा। राज्य सरकार/जिला प्रशासन प्राकृतिक ड्रेनेज में अवरोध पर प्रतिबन्ध 	<ul style="list-style-type: none"> इमारत सुरक्षा कानूनों को और मजबूत बनाया जायेगा बाढ़ प्रबन्धन योजनाओं का विस्तृत प्रचार प्रसार उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रतिबन्धित विकास कार्य मानव जीवन पशुधन एवं सम्पति सम्बंधित उचित बीमा स्कीमों को प्रोत्साहन

			<p>लगायेगी। और इसके लिए उचित कानून भी बनायेगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● बरसात के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए वर्तमान ड्रेनेज का क्षमता वर्धन एवं नये नालों का निर्माण ● बाढ़ अभेद्यता। राज्य सरकार/जिला प्रशासन सभी सार्वजनिक सुविधा स्थलों को बाढ़ से सुरक्षित बनाने के लिए उचित कदम उठायेंगे। ● प्राकृतिक ड्रेनेज के मार्ग में किये गये अतिक्रमण को हटाया जायेगा। ● सिंचाई व जल संसाधन विभाग जलसंभर प्रबन्धन के लिए उचित कदम उठायेगी। जैसे पेड़ लगाना चैक डेम बनाना घाटी अवरोधन आदि। इससे भूमि कटाव को 	
--	--	--	--	--

			<p>रोका जा सकता है। जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पानी और तलछट के बहाव को रोका जा सकेगा।</p>	
ओलावृष्टि / पाला (संबद्ध एजेन्सियाँ : कृषि विभाग, ककड़व, जिला प्रशासन)		<ul style="list-style-type: none"> बीमा एवं राहत कार्यों को प्रोत्साहन 		<ul style="list-style-type: none"> पूर्व चेतावनी तंत्र का आधुनिकीकरण
शहरी अग्नि दुर्घटनाएँ—संबद्ध एजेन्सियाँ सिविल डिफेंस, स्थानीय निकास, नगरपरिषद्)	<ul style="list-style-type: none"> शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप में उँची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से अनुपालन अग्नि सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों का आंकलन खरीद एवं अवस्थिति 	<ul style="list-style-type: none"> अग्नि दुर्घटनाएँ रोकने के लिए करो एवं मत करो का विस्तृत प्रचार प्रसार अग्नि शमन कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण अग्नि शमन ड्रील्स में आम लोगों की भागीदारी पुराने उपकरणों का उचित रखरखाव एवं प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतों में लगे अग्नि शमन उपकरणों का 	<ul style="list-style-type: none"> अग्नि शमन सेवा एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण 	<ul style="list-style-type: none"> जरूरत और परिणाम आधारित योजना एवं प्रबंधन (जैसे मानव संसाधन एवं उपकरण) अग्नि शमन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेन्सियों से सहयोग विद्यालय, अस्पतालों, ऊँची इमारतों आदि में प्रशिक्षण एवं मौक ड्रील्स की व्यवस्था

		नियमित निरीक्षण		
ग्रामीण अग्नि दुर्घटनाएँ और दावानल (संबद्ध एजेन्सियाँ वन विभाग)	<ul style="list-style-type: none"> आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का सीमांकन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सिग्नेज की व्यवस्था 	<ul style="list-style-type: none"> जानकारी अभियान 		
बायोलोजिकल डिजास्टर (संबद्ध एजेन्सियाँ : स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग)	<ul style="list-style-type: none"> मास कैजुअल्टी मैनेजमेंट (एससीएम) के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रों और कस्बों में बेसिक इंफास्ट्रक्चर का विकास 	<ul style="list-style-type: none"> इन्डेमिक क्षेत्रों/आबादी संबंधी डाटाबेस तैयार करना इन्डेमिक क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत परियोजनाएँ एमसीएम के लिए निजी एवं सरकारी अस्पतालों का प्रशिक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> आरएचएसडीपी एवं एनआरएचएम स्कीमों के तहत हैल्थ इंफास्ट्रक्चर का विकास एवं आधुनिकीकरण संचार तंत्र एवं औषध वितरण नेटवर्क को मजबूत करना 	<ul style="list-style-type: none"> एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य, जल एवं सेनिटेशन के लिए गाँव स्तर पर योजनाएँ तैयार करना मास कैजुअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमता वर्धन पुरानी एवं स्थानीय बिमारी के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना इंडेमिक क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रीकरण
औद्योगिक एवं रासायनिक (तैलाग्नि सहित) (संबद्ध एजेन्सियाँ पेट्रोलियम विभाग, गृह विभाग, सर्वधित उद्योग)	<ul style="list-style-type: none"> कर्मचारियों एवं अन्य सुभेद्य लोगों की सुरक्षा के लिए ऑनसाईट एवं ऑफसाईट इंफास्ट्रक्चर 	<ul style="list-style-type: none"> सभी जोखिम भरे उद्योगों के लिए गतिशील सुरक्षा योजना जिसमें 	<ul style="list-style-type: none"> बड़ी औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और हेजडर्स मटेरियल की हैण्डलिंग के लिए इंफास्ट्रक्चर का 	

	का विकास	<p>कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन शामिल है।</p> <ul style="list-style-type: none"> जोखिम भरे उद्योगों के आस पास रहने वाले लोगों में जानकारी का प्रचार प्रसार सभी तरह की हैजडर्स वेस्ट के डिस्पोजल की सुरक्षित व्यवस्था सुरक्षा के लिए नियमित निरीक्षण एवं मॉकड्रिल्स हैजेडर्स मटेरियल की हैंडलिंग के लिए क्षमता वर्धन 	<p>के लिए इंफास्ट्रक्चर का विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण प्रक्रिया का मजबूतीकरण
आतंकवाद (संबद्ध एजेन्सियाँ, गृह विभाग)		<ul style="list-style-type: none"> सभी निजी एवं इमारतों में अनिवार्य मॉकड्रिल्स सभी होटलों और गेस्ट हाउसेस में पहचान एवं पंजीकरण प्रक्रिया का 	<ul style="list-style-type: none"> गुप्त सूचना ऑकड़ों का एकीकरण विश्लेषण एवं निर्णय प्रक्रिया सभी सुरक्षा बलों एवं एजेन्सियों के समायोजित प्रयासों के लिए जिला पुलिस के प्रयास

		<p>मजबूतीकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> निजी इमारतों की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए निजी सुरक्षा एजेन्सियों की नियुक्ति निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए प्रशिक्षण 		<ul style="list-style-type: none"> महाराष्ट्र में फोर्स वन की तर्ज पर आंतकवाद सेना का गठन
नभिकीय संबद्ध एजेन्सियाँ, (गृह विभाग व आणविक इकाई)	<ul style="list-style-type: none"> इनबिल्ट सुरक्षा उपाय जैसे बॉयलोजिकल शील्ड सुरक्षा प्रणाली एवं इन्टरलोक 	<ul style="list-style-type: none"> आपदा रिसपॉन्स के लिए ऑनसाइट एवं आफसाइट योजनाएँ 	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा ऑडिट संचालन एवं प्रशासनिक सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षा संस्कृति का अनुसरण जिससे रेडियेशन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इंफास्ट्रक्चर का विकास (बचाव कार्यों के लिए सड़कों आदि का निर्माण) 	<ul style="list-style-type: none"> विसंदूषित प्रक्रिया के लिए चिकित्सकों का क्षमता वर्धन प्रदूषण रोकने के लिए जानकारी एकत्रित करना तथा उसका समुदायों में प्रचार प्रसार करना

तालिका- 4.1 विभागों एवं एजेन्सियों के आपदानुसार शमन उपाय

जलवायु परिवर्तन अल्पीकरण व जिला चित्तौड़गढ़-

आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और इसका पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों की रोजी रोटी पर प्रतिकूल प्रभाव एक जटिल समस्या के रूप में उभरेगा। द ड्रेजट राजस्थान क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिकूल प्रभावों को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है-

- 1- जल संसाधन
- 2- कृषि एवं पशुपालन
- 3- वन एवं जीव विविधता
- 4- स्वास्थ्य।

इन चार क्षेत्रों में पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्लान में लम्बी अवधि वाले एवं अल्प अवधि वाले उपाय सुझाये गये हैं जैसे ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतारी, दीर्घकालीन आवासों का निर्माण और जलवायु परिवर्तन के बारे में सामाजिक ज्ञान में वृद्धि। इन उपायों को जिलों में भी समान रूप से लागू किया जायेगा।

प्लान में सुझाये गये सामरिक उपाय निम्नलिखित हैं-

➤ जल संसाधन

- जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के आंकलन के लिए एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करना।
- भू-जल प्रबन्धन जिसमें अति-उपयोजित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।
- सूखा निगरानी एवं पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास।
- शहरी एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में जल संरक्षण एवं मांग प्रबन्धन।
- जल उपयोग क्षमता में सुधार।

➤ कृषि एवं पशुपालन

- कठिन जलवायुरोधी कल्पीवर्स और पशुधन का विकास।
- चारागाहों एवं बंजर भूमि का विकास एवं चाराई भूमि का पुनःस्थापन।
- जलवायु जोखिम प्रबन्धन के लिए डाटाबेस का सृजन।
- शुष्क भूमि की उत्पादता में वृद्धि।
- बहुकार्यात्मक ऐयो फोरेस्ट्री सिस्टम का प्रबन्धन।

➤ फारेस्ट्री एवं बायोडाईवर्सिटी

- वनों की अल्पीकरण (शमन) क्षमता बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण।
- वनों के प्रकार एवं प्रजातियों विशेषरूप से रेगिस्तानी इकोसिस्टम और रेत के छेंडों के क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था।
- नई तकनीकी में पारम्परिक ज्ञान का एकीकरण।

➤ स्वास्थ्य

- बीमारी निगरानी प्रणाली का विकास।
- आबादी के लिए स्वास्थ्य प्रभाव आंकलन।

- प्राथमिक एवं सहायक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के लिए अन्तरक्षेत्रीय समाभिरूपता।
- ग्रीन हाउस गैसेज (जीएचजी) का आविष्करण और प्रबन्धन।
- राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का पूर्ण दोहन।
- ऊर्जा क्षमता पर विशेष ध्यान हेतु दीर्घकालीन उपाय अपनाना।
- भूमि उपयोग और परिवहन योजना का एकीकरण, ग्रीन बिल्डिंग लैजिलेशन।
- परिवहन क्षेत्रों में जीएचजी (ग्रीन हाउस गैसेज) में कटौती।
- शहरी कचरा प्रबंधन।

4.5 रोकथाम व शमन में नवाचार-

- **जोखिम स्थानान्तरण (जोखिम-वितरण)-**

यह विचार करते हुए कि सरकार व जिला प्रशासन द्वारा बचाव, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में दी जाने वाली सहायता आपदा से हुए विशाल बुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। नये आर्थिक उपायों जैसे-आपदा जोखिम, वित्त प्रबन्धन, जोखिम बीमा, आपदा बॉण्डस, माइक्रो फाईनेंस और बीमा आदि को प्रोत्साहन देना होगा। जिसमें वैयक्तिक, सामुदायिक एवं कॉर्पोरेट सेक्टर के बुकसान की भरपाई की जा सके। इसी संदर्भ में पब्लिक लाईब्रिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत इनवाईरमेंटल रिलीफ फण्ड शुरू किया गया जो रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत पहुँचाता है। कुछ नये आर्थिक उपाय जैसे- आपदा बीमा, माईक्रो फाईनेंस, माईक्रो इंश्योरेंश, नये मकानों पर वारंटी व निर्माण कार्यों को होमलोन से जोड़ना आदि शुरू करने पर विचार किया जायेगा।

- **फसल ऋण-**

राज्य सरकार व जिला प्रशासन कृषि बीमा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देंगे जो विभिन्न ऐग्रो क्लाईमेटिक क्षेत्रों के अनुकूल होंगे। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को विभिन्न बीमा उत्पादों की जानकारी दी जाए जिससे वे अपनी उपज व आय-जोखिम को बीमा कवर दे सके। जिन फसलों की उपज का डाटा बेस नहीं है उन फसलों के लिए बीमा को प्रोत्साहन दिया जायेगा। राज्य सरकार नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंश रकीम (एनआईएस) के कार्य क्षेत्र के विस्तार के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ बातचीत करेगी। इसमें बुवाई से पहले और फसल काटने के बाद के बुकसानों को भी कवर किया जा सकेगा। राज्य सरकार की विभागों द्वारा फसल बीमा की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जायेगा। कृषि उत्पादों का कृषि आधारित उद्योगों से लिंक मजबूत किया जायेगा। जिससे कीमतों की अस्थिरता पर काबू पाया जा सके। फसलों की कीमतों से जुड़े बीमा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। जिसमें किसान किसी विपक्ष के दबाव में अपने कृषि उत्पादों को न बेचे। इंश्योरेस क्लेम के निपटारे के लिए फसलों की उपज का आंकलन सेटेलाईट से प्राप्त की गई फसलों की तस्वीरों के आधार पर किये जाने की संभावना को तलाश किया जायेगा।

- **बाढ़ बीमा-**

डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोज एण्ड इरिगेशन (डीओडब्ल्यूआरएण्डआई) और बीमा कम्पनियाँ मिलकर एक अध्ययन करायेंगे जिसमें जिले के बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम के आधार पर बीमा किस्तों को श्रेणीगत करने की संभावनाएँ तलाशी जायेगी। डीओडब्ल्यूआरएण्डआई यह संभावना भी तलाश करने की कोशिश करेगा कि कोई स्कीम शुरू की जाये जिससे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की सभी इमारतों और फसलों का बीमा अनिवार्य हो।

अध्याय– 5

Preparedness Measures

तैयारी मूल्यांकन

विषय वस्तु-

- 5.1 आवश्यकता व महत्व
- 5.2 विभिन्न आपदाओं में नोडल विभाग
- 5.3 विभिन्न टीमों का गठन
- 5.4 इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम
- 5.5 सहायता प्राप्त करने का प्रोटोकॉल
- 5.6 विभिन्न समन्वित तंत्रों की जाँच, चेतावनी प्रणाली, EOC,
उपलब्ध संसाधन
- 5.7 विभिन्न NGO's, अन्य एजेंसियों से सहायता
- 5.8 ज्ञान प्रबंधन
- 5.9 SOP विश्लेषण
- 5.10 संचार माध्यम प्रबंधन
- 5.11 जनसामान्य स्तर पर तैयारी
- 5.12 विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में पूर्व तैयारी योजना
- 5.13 सारांश

5.1 आवश्यकता व महत्त्व-

किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को तैयारी कहते हैं। “सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, विशेषज्ञों और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमताओं जिनके माध्यम से किसी संकट के आने का पूर्वानुमान लगाया जा सकें या आपदा आने की स्थिति में उससे प्रभावी तरीके से निपटा जा सकें और समुत्थान किया जा सके, ऐसे उपायों को आपदा तैयारी कहते हैं।”

आपदा तैयारी से संबंधित क्रियाकलापों में किसी आपदा के आने का पूर्वानुमान और एहतियात के तौर पर किये गये उपाय शामिल हैं, जिनके आधार पर हम पूर्व चेतावनी दे सकें। ये उपाय किसी आपदा की स्थिति में उससे कारगर तरीके से निपटने और बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से अंजाम देने संबंधी हमारी क्षमताओं का वर्धन करते हैं। इसमें समय-समय पर चेतावनी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना और संकट सूचना के दौरान लोगों की निकासी के प्रभावी उपाय शामिल हैं, जिससे जान माल का बुकसान कम से कम हो सके।

आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में उन अन्य पहलूओं जैसे आपदा को रोकने, आपदा आने की स्थिति में उसके असर को कम करने और उससे उभरने के उपायों को समझना भी अतिआवश्यक है। कारगर आपदा तैयारी के लिए जरूरी संयत्रों और अन्य सामग्री का आधुनिकीकरण भी आवश्यक है, जिससे आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा संवर्धन किया जा सकें।

सभी विभागों, एजेंसियों और अन्य सहभागियों की यह प्राथमिकता रहेगी कि वे अपनी-अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण करें। कुछ नयी संस्थागत प्रक्रियाओं का गठन किया जायेगा, विशेषरूप से आपदा प्रबंधन के उन क्षेत्रों में जहां कोई भी एजेंसी जरूरी क्षमता निर्माण कार्य में नहीं लगी है।


पूर्व चेतावनी-

पिछले अनुभव से यह पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले विनाश को कारगर संचार/चेतावनी व्यवस्था के माध्यम से कम किया जा सकता है। एक पूरी तरह से तैयार समुदाय और प्रशासन के लिए जरूरी है कि वह अपनी संचार/पूर्व चेतावनी व्यवस्था को दुरुस्त रखे जिससे आने वाली आपदा की चेतावनी मिलते ही तुरन्त शमन उपाय किये जा सकें और जान-माल के बुकसान को कम किया जा सके।

हर तरह की आपदा के लिए पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी व्यवस्थाओं की स्थापना, उनमें सुधार और उनका आधुनिकीकरण अत्यंतावश्यक है। विशेष प्राकृतिक आपदाओं का निरीक्षण एवं निगरानी करने वाली नोडल एजेंसियाँ तकनीकी खामियों की पहचान करेगी तथा एक निश्चित समय सीमा में उनमें

सुधार करने के लिए परियोजनाएँ तैयार करेगी। राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना और संचार तकनीक एक कारगर पूर्व चेतावनी सिस्टम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, जिसमें आपदा तैयारी और रिस्पॉन्स क्रियाकलापों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकें।

आईसीटी भौगोलिक संर्दभ विश्लेषण प्रस्तुत करके जोखिम क्षेत्रों, सुभेद्यताओं और संभावित प्रभावित आबादी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।



चित्र-5.1 आपदा तैयारी का रेखा चित्रण

पूर्व चेतावनी सिस्टम के लिए आईसीटी-

आईसीटी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं -

- सूचना संग्रहण एवं हस्तांतरण
- जिओ-स्पेशल डाटा के समन्वय के माध्यम से डिसिजन सपोर्ट सिस्टम
- संचार एवं प्रसार
- आपातकालीन तैयारी एवं रिस्पॉन्स

5.2 विभिन्न आपदाओं में नोडल विभाग-

चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न आपदाओं हेतु नोडल विभाग निम्न हैं-

क्र.सं.	आपदा जोखिम	नोडल विभाग
1	बाढ़ ,जल प्लावन	जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, नगर परिषद्, स्थानीय पुलिस, सेना

2	सूखा ,अकाल	कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, आपदा राहत व प्रबंधन, जिला डीएम,पटवारी ,गिरदावर
3	दुर्घटनाएँ(सड़क औद्योगिक,रासायनिक,आण्विक, रेल)	पुलिस,चिकित्सा व ट्रोमा, जिला डीएम,रा.रा.मा. प्रधिकरण (NHAI),औद्योगिक सुरक्षाबल,रेल्वे सुरक्षा बल, औद्योगिक इकाई का प्रशासन, आण्विक दुर्घटना की दशा में केन्द्र विशेष की टीम
4	ओलावृष्टि	कृषि विभाग,भू-राजस्व, स्थानीय प्रशासन
5	तापलहरी, शीताधात	जिला प्रशासन, चिकित्सा जनरवारथ्य अभियांत्रिकी, सूचना व तकनीकी विभाग।

तालिका- 5.1 चित्तौड़गढ़ आपदाएँ व नोडल विभाग

5.3 विभिन्न टीमों का गठन-

आपदा के समय विभिन्न राहत व प्रत्याक्रमण कार्यक्रमों हेतु निम्न प्रकार दल गठन होंगे-


- **पूर्व चेतावनी-** जिला सूचना केन्द्र (नोडल विभाग),आकाशवाणी,स्थानीय टीवी चैनल, CEO नगर परिषद, जोखिम वाले क्षेत्रों में वार्ड पंच/पार्षद ।
- **खोज व बचाव-** जिला पुलिस (नोडल विभाग), नगर परिषद्, जिला प्रशासन, जिला सूचना केन्द्र, चिकित्सा विभाग,विभिन्न NGOs ।
- **प्रभावित क्षेत्र खाली कराना-** पुलिस, नगर परिषद्(नोडल विभाग), ट्रेफिक कंट्रोल, गृह रक्षा विभाग ।
- **बुकसान का आंकलन-** जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी जिसका मुख्या जिला कलक्टर होगा। इसमें स्थानीय प्रशासन, पटवारी, सचिव, संरपच, वार्डपंच/पार्षद भी शामिल होंगे ।

5.4 इंसिडेट रिसपॉन्स सिस्टम का एकिटव होना-

जिले में इंसिडेट रिसपॉन्स टीम का गठन किया जायेगा जो आपदा के समय सम्बंधित विभागों के साथ साथ त्वरित क्रियाशील हो जायेगा। विस्तृत विवरण के लिए देखें-अध्याय 7।

5.5 सहायता प्राप्त करने का प्रोटोकॉल-

आपदा के समय कभी कभी स्थानीय प्रशासन असहाय महसूस करता है क्योंकि आपदा बड़े स्तर की होने के कारण राहत व प्रत्याक्रमण में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाहरी सहायता प्राप्त करने हेतु स्थानीय स्तर (गाँव, पंचायत समिति) से लेकर केन्द्र स्तर तक निम्न प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जायेगा ।



चित्र- 5.2 सहायता प्राप्ति हेतु अनुलंब व क्षैतिज प्रोटोकॉल

5.6 विभिन्न समन्वित तंत्रो की जाँच, चेतावनी प्रणाली, EOC, उपलब्ध संसाधन-

आपदा के दौरान कार्य करने वाले विभिन्न समन्वित तंत्रो व एजेन्सियों की कार्य कुशलता की जाँच होती रहनी चाहिए। इसमें आपदा से निपटने में तैयारी स्तर का पता चलता है। इस हेतु चेतावनी प्रणाली EOC (इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर), IRS (इंसिडेंट रेसपॉन्स सिस्टम) व IRT (इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम) विभिन्न विभागों के त्वरित कार्यबल की तैयारियों का समय-समय पर जायजा लेते रहना आवश्यक है। इस प्रकार आपदा राहत उपलब्ध उपकरणों की भी समय समय पर जाँच की जावेगी। जिसमें उनकी उपलब्धता व कार्यकुशलता का पता लगाया जा सकेगा। इन सभी कार्यों हेतु मॉकड्रिल सबसे उपयोगी साधन हैं। इसके माध्यम से आपदा अनुसार मॉकड्रिल करके संबंधित विभागों की तैयारी का पता लगाया जा सकता है। जिले में इस कार्य हेतु विस्तृत कार्य योजना “अध्याय-6” के अन्तर्गत दी गई है।

5.7 विभिन्न NGO's व अन्य एजेंसियों से सहायता -

चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न NGO's कार्यरत हैं। जिनका कार्य चित्तौड़गढ़ जिले में सामाजिक सुधार, उत्थान व सुरक्षा के कार्य चलाना है। इस संस्थाओं की सूची योजना के अन्त में परिष्ट-34 में दी गई है। उक्त सभी NGO'S के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। कुछ NGO's राहत व प्रत्याक्रमण में दक्ष हो सकते हैं जबकि कुछ पीड़ित समुदाय को मानसिक संबल प्रदान

करने में। इस प्रकार अलग अलग NGO's को अलग अलग कार्य भार प्रदान किया जायेगा।

इसी प्रकार विद्यालय एवं महाविद्यालय इतर पर चलाए जा रहे NSS, NCC, स्काउट्स, युवा विकास केन्द्र आदि भी अपने-अपने क्षमता अनुरूप अलग-अलग क्षेत्रों में राहत व प्रत्याक्रमण की जिम्मेदारी निर्वाहन करेंगे ये स्वयं सेवक खोज, बचाव, पेयजल वितरण, भोजन वितरण, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। इसका विस्तृत विवरण अध्याय- 11 में दिया गया है।

रिस्पॉन्स कार्य	मानव जरूरतों संबंधी कार्य
• तलाश एवं बचाव	• खाना
• राहत सामग्री (लाइफलाइन)	• पीने का पानी
सेवाएँ एवं सपोर्ट कार्य	• आवास
• सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सैनिटेशन	समुत्थान संबंधी कार्य
• बिजली	• हैल्प लाइंस
• परिवहन	सूचना एवं योजना कार्य
• लोक निर्माण एवं इंजीनियरिंग	• सूचना एवं योजना
संचार व्यवस्था	
• संचार	
• मीडिया	

5.8 ज्ञान प्रबंधन-

नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है सही समय पर सही लोगों तक सही सूचना पहुँचाना तथा लोगों में जागरूकता पैदा करना जिससे प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यवाही करके सभी सहभागियों के निष्पादन इतर में सुधार किया जा सकें। बेहतर आपदा रिस्पॉन्स कार्य में संसाधन कभी- कभार ही रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन नॉलेज और संसाधनों की समय रहते समझिलपता संसाधन विकसित करने की तुलना में ज्यादा बड़ी चुनौती है।

इसलिए बेहतर ज्ञान, संसाधन और दक्षता प्रबंधन, आपदा तैयारी, शमन और रिसपॉन्स योजना पर बहुत प्रभाव डालते हैं ज्ञान प्रबंधन के निम्न लिखित फायदे हैं-

- हमेशा तैयार रहना
- आपदा जोखिम में कमी
- निर्णय लेने की क्षमता में सुधार
- सामरिक महत्व की योजनाओं में सुधार
- नई तकनीकी सोच से विकास
- समस्याओं का तुरन्त एवं संतुलित समाधान

- कर्मचारियों का बहुमुखी विकास

“सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट” आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के लिए एक ‘थिंकटैक’ का काम करेगा। इसके प्रमुख कार्यों में शोध करना, अच्छी परम्पराओं का प्रलेखन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट(एनआईडीएम) के साथ नैटवर्किंग आदि शामिल है। यह राज्य के लिए आवश्यक ज्ञान प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान देगा। इसके अलावा यहां अन्य सहभागी भी जैसे कॉपरेट सैक्टर जिनमें आपातकाल के दौरान राज्य की सहायता करने और क्षमतावर्धन करने की सामर्थ्य है। उदाहरण के तौर पर चित्तोड़गढ़ की सीमेन्ट इकाइयों, हिन्दुस्तान जिंक के पास फायर ब्रिगेड्स हैं। जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी परस्पर सहायता के आधार पर या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सुनिश्चित की जा सकती है।

डाटाबेस-

सभी विभागों के संसाधनों के आंकड़ों को इकट्ठा करके इंडिया डिजास्टर रिसॉर्स नैटवर्क (आईडीआरएन), इंडिया डिजास्टर नॉलेज नैटवर्क (आईडीकेएन) और कॉपरेट डिजास्टर रिसॉर्स नैटवर्क (सीडीआरएन) के डाटाबेस में डालने की जरूरत है। राज्य की योजना राजस्थान स्टेट डिजास्टर नैटवर्क (आरएसडीआरएन) तैयार करने की भी है।

संग्रहित और संकलित करने योग्य डाटाबेस निम्न लिखित है-

- सुभेद्य क्षेत्रों, क्षमताओं और संसाधनों के जीआईएस-आधारित स्थानिक मानचित्र।
- जीआईस-आधारित विकास आंकड़े।
- प्रमुख व्यक्तियों के फोन नम्बर, पता और क्षमताओं का विवरण।
- राहत सामग्री और उनके सप्लायर्स का डाटाबेस।
- अग्निशमन संसाधनों, उनकी उपलब्धता वाले स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डाटाबेस।
- भारी उपकरणों जैसे ट्रक, डम्पर्स अर्थमूवर्स, क्रेन और ड्रिल मशीनों के मालिकों, उपलब्धता स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डाटाबेस।
- ट्रांसपोर्ट, उपलब्धता स्थानों और निर्माण कर्मचारियों का डाटाबेस।
- राजमिस्ट्रीयों और निर्माण कर्मचारियों का डाटाबेस।
- राहत कर्मचारियों का डाटाबेस, तलाश एवं बचाव कर्मी, जल एवं सैनिटेशन इंजिनियर्स, आवास इंजिनियर्स, पब्लिक हैल्थ विशेषज्ञ, कृषि एवं आजीविका विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता।
- एनजीओ, सीबीओ एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थानों का डाटाबेस।

- ऐसी निजी कम्पनियों की सूची जो अपने संसाधनों को दूसरे सहभागियों, जिनमें सरकार भी शामिल है, को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के आधार पर देने को तैयार है।
- आपदा विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षकों और तलाश एवं बचाव, अग्निशमन निकारी, आपातकालीन रिसपॉन्स और फर्स्ट एड कर्मियों का डाटाबेस।
- तकनीकी एवं शोध संस्थानों का डाटाबेस।
- चिकित्सा सुविधाओं, मास केजुअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमताओं एवं अन्य वस्तुओं का डाटाबेस।

एसडीएम और डीडीएमएज इस डाटाबेस के सत्यापन एवं आधुनिकीकरण की दिशा में सक्रिय कदम उठायेंगे। यह डाटाबेस सभी सहभागियों और आम जनता के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। जानकारी, प्रसार, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक माध्यमों से डाटाबेस की उपयोगिता एवं महत्व सभी विभागों तक पहुँचाया जायेगा।

5.9 SOP विश्लेषण-

आपदा के समय विभिन्न क्रियाकलापों में क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक DDMP का एक SOP (Standard Operating Procedure) होता है। यह एक SOP प्रत्येक जिले हेतु विभिन्न राहत व प्रत्याक्रमण हेतु मानक स्तर निर्धारित करता है। अध्याय- 12 में चित्तौड़गढ़ जिले हेतु एक SOP दिया हुआ है। SOP के माध्यम से आपदा के समय होने वाले वी.आई.पी. लोगों के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल व व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़गढ़ जिले में केबिनेट स्तर में मंत्री अथवा सचिव स्तर के अधिकारी के साथ जिला कलक्टर का रहना प्रोटोकॉल के अनुरूप होगा। अन्य अधिकारीगण व जनप्रतिनिधियों के दौरे पर उनके पद व पद की गरिमा के अनुरूप प्रोटोकॉल निर्धारित किया जायेगा। इसी प्रकार राहत सामग्री जैसे टैंट, कंबल, तिरपाल, भोजन पैकेट, वस्त्र, दवा आदि के भी मानक स्तर नोडल विभाग द्वारा निश्चित किये गये हैं।

5.10 संचार माध्यम प्रबंधन-

आपदा के समय संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान, चेतावनी प्रसार आदि में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा के समय राहत व प्रत्याक्रमण के एक उपकरण के तौर पर कार्य करने के लिए इन समर्त संचार माध्यमों से जुड़े लोगों का प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक है। जिसमें ये लोग आपदा विशेष के समय अपनी-अपनी भूमिका व जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके।

इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में आपदा के समय जानकारी व सूचना प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन की ओर से एक अधिकृत प्रवक्ता को भी नियुक्त किया जायेगा। इसका कार्य आपदा व आपदा राहत से सम्बन्धित सभी प्रकार की अधिकृत सूचनाएँ प्रदान करना होगा। इससे अनावश्यक अफवाहों तथा विवादों को रोका जा सकेगा। इस कार्य हेतु इस प्रवक्ता को आवश्यक प्रभावी प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

5.1.1 जनसामान्य स्तर पर तैयारी

डिजास्टर रिसपॉन्स को एक नियंत्रण स्ट्रक्चर के रूप में अभिलक्षित किया जा सकता है जिसमें उपर से नीचे वाली प्रक्रिया लागू होती है। इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि सामुदायिक भागीदारी की कमी की वजह से लोकोपकारी कार्यों में मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाती है तथा बाहरी संसाधनों की आवश्यकता, मांग में बढ़ोतरी और प्रबंधन के विशेष उपायों के बावजूद प्रदर्शन को लेकर आम असंतुष्टि का माहौल पैदा हो जाता है।

आपदाओं के मामले में सामुदायिक स्तर पर लोगों का ज्यादा बुकसान होता है, क्योंकि वे ही आपदा की सीधी चपेट में आते हैं। इस तरह की आपदाओं के लिए ये लोग ही सबसे ज्यादा सुबोध होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन (सीबीडीएम) नीचे-से-ऊपर प्रक्रिया को प्रोत्साहन देती है और आने वाली परेशानियों और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ऊपर से नीचे प्रक्रिया के साथ सामंजस्य बिठाते हुए काम करती है।

सीबीडीएम के माध्यम से लोगों की आपातकालीन स्थिति के प्रति रिसपॉन्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया से प्राथमिक समाज सेवाओं और संसाधनों तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है। आपदा प्रबंधन में सामुदायिक अप्रोच निश्चित रूप से ज्यादा कारण होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के जोखिमपूर्ण समुदायों को अपनी-अपनी सीबीडीएम योजनाएँ तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इन योजनाओं को जिला और राज्य स्तर की योजनाओं में समायोजित किया जायेगा।

इन योजनाओं में निम्न बातों पर ध्यान दिया जायेगा-

- इलाकों में मौजूद आपदा स्थितियों का विश्लेषण।
- आपदाओं द्वारा पैदा की जाने वाली सुभेद्रताओं और जोखिमों की पहचान।
- इन आपदाओं का मुकाबला करने के लिए समुदायों की वर्तमान क्षमता और तरीके।
- इन जोखिमों का प्रभाव कम करने के लिए तैयारी और शमन उपाय।

जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण सीबीडीएम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए योजनाएँ तैयार करेगी जिनमें स्थानीय लोगों की आपदा स्थितियों, सुभेद्यताओं और क्षमताओं का विश्लेषण करने में सहायता की जायेगी। शुरुआत में यूएनडीपी के सहयोग से सरकार इन कार्यक्रमों को पहले ही क्रियान्वित कर चुकी है। इन कार्यक्रमों को ओर बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी।

आपदा किट तैयार करना-

जनसमुदाय को संभावित आपदा के समय तद्बुलुप किट तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस आपदा किट में निम्न सामग्री होगी-

1. पर्याप्त जल
2. सूखा भोजन
3. फ्लेश लाइट (बैटरी सहित)
4. रेडियो(चेतावनी सुनने हेतु)
5. प्राथमिक उपचार किट
6. आवश्यक दवाईयाँ (बुखार, दस्त, पेट दर्द)
7. मल्टीपरपज टूलबॉक्स
8. सैनीटेशन आइटम
9. व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रति (पहचान पत्र की प्रति)
10. घर, कार इत्यादि की चाबियाँ
11. मोबाइल फोन विथ एक्स्ट्रा बैटरी
12. अतिरिक्त धन
13. परिवार के फोन नम्बर
14. कम्बल
15. क्षेत्र का मानचित्र
16. प्लास्टिक शीट्स

उक्त आपदा किट में आपदा अनुसार या क्षेत्र विशेष अनुसार सामग्री कम या अधिक हो सकती है।

5.1.2 विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में पूर्व तैयारी योजना-

चित्तौड़गढ़ के सन्दर्भ में विभिन्न आपदाओं हेतु तैयारी व कार्य योजना-

सूखा कार्य योजना-

जिला चित्तौड़गढ़ के परिपेक्ष्य में कभी सम्पूर्ण जिला तो कभी कुछ तहसीलों में सूखे की समस्या रही है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसकी विकरालता को कम कर सकते हैं।

दीर्घकालीन उपाय-

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत ऊरोतों का पुनर्जीविकरण।
- बनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी-

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण।
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण।
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना-

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन कार्य योजना-

- सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- राहत कार्यों की शुरूआत।
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के छोतों का संवर्धन।
- निजी कुओं को किराये पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परम्परागत जल छोतों जैसे बावड़ी, टांको आदि का पुनर्जीविकरण।
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण।
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी एवं उपचार की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना।
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था।
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पशुपालन विभाग-

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति एवं दवाइयों की व्यवस्था करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी-

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।

- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैकर्स, कैनवास बैग व हैण्डपम्प, पार्फिप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन।
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।

स्वयं सेवी संगठन-

- राहत कार्यों एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी।
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

समेकित बाल विकास सेवाएं-

- 0-6 माह के बच्चे, गर्भवती व धात्री माताओं हेतु 6 प्रमुख सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सेवाएं
 1. पूरक पोषाहार
 2. शाला पूर्व शिक्षा
 3. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
 4. टीकाकरण
 5. स्वास्थ्य जांच
 6. संदर्भ सेवा
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई-

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना।
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यों के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

कृषि विभाग-

- खेती के लिए कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग-

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी ठहनियाँ उपलब्ध कराना।

- जल संरक्षण सम्बन्धी राहत कार्यों एवं वानिकी के कार्य करवाना।

विद्युत विभाग-

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध।

सूखे से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें-

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी लें जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बूब्द-बूब्द करके पानी बेकार न बहता रहें।
- कहीं भी पाईप लाइन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लीकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मंजन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दाँत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व बाथटब से पानी अधिक व्यर्थ होता है।
- शैविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुँह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर सूखे अथवा गीले कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।

- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

बाढ़ कार्य योजना-

बाढ़ के कारण होने वाली जन हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बरितयों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय-

- जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- प्राकृतिक अपवाह में आने वाले ऐल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
- मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
- नदी के बाँधों में छिद्रान्वेशी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
- तटबंध पर बनाये गये स्थानीय बाँधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय-

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईंन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें, क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुँचाना।
- भू-उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल, तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग

बसे हुए हैं तो भू-उपयोग नियन्त्रण करके नियमों का पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।

- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये ताकि मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एकेप रुट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम-

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभावी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलेस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत्त स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया जाता है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जाता है। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 2227084 है। तथा चार अंकीय टोल फ्री दूरभाष नम्बर 1070 है।

क्र. सं.	कार्यरत कंट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1.	राज्य कंट्रोल रूम, जयपुर	0141-2702480 एवं 1070
2.	जिला कंट्रोल रूम, चित्तौड़गढ़	01472-247997, एवं 1077
3.	सिंचाई विभाग, चित्तौड़गढ़	01472-241069
4.	पुलिस कंट्रोल रूम, चित्तौड़गढ़	01472-240088

सिंचाई विभाग-

- सुरक्षित स्थानों का चयन। (परिशिष्ट संख्या 14, 15, 16, 17, 18, 19)
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन।
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना। (परिशिष्ट संख्या 30, 31)
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी करने व होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश देने की कार्यवाही करना।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में

काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयाँ काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रखी जावें। मेडिकल स्टोर्स की सूची (परिशिष्ट संख्या 11)

- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल प्लावन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करना।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची (परिशिष्ट संख्या 20)
- तैराकों की सूची (परिशिष्ट संख्या 21)

चिकित्सा विभाग-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। संस्थान प्रभारी, चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की सूची (परिशिष्ट संख्या 9, 10, 13) आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक र्तर पर भी एक-एक रेपिड रेसपॉन्स टीम का गठन करेंगे।

1.	चिकित्सा अधिकारी	0 1
2.	स्वास्थ्य निरीक्षक	0 1
3.	मेल नर्स	0 1
4.	एमपीडब्ल्यू	0 1
5.	वार्ड बॉय	0 1
6.	वाहन चालक मय वाहन	0 1

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पॉन्स टीम तुरन्त प्रभावित रथल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडीकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है जो 24 घण्टे कार्यरत रहता है।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था करना।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।

- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश जारी करना।

जिला रसद विभाग-

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसीन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग-

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों से बचाव हेतु, जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियन्त्रण हेतु जिला प्रभारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधियाँ उपलब्ध करायेंगे।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी सबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत हैं। जोन प्रभारी प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को आपदा से उत्पन्न विकृतियों / समस्याओं से निपटने के लिए जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

विद्युत विभाग-

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रखरखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा-कदा आंधी, तूफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाइनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाइनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जाना तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।

- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग-

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ रटॉफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
- कंट्रोल रूम की संचार व्यवस्था, वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटे बड़े वाहन अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराये जाने चाहिये।
- कंट्रोल रूम में 24 घंटे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आर.ए.एफ., आरएसी की टुकड़ियां लाठी, ढाल, गैस, गन, हथियारों से सुरक्षित हों।

एन. सी. सी./ एन. एस. एस.-

- आपदा के समय एन. सी. सी. कैडेट्स व संबंधित रटाफ घर-घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र-

जिला मुख्यालय पर 1 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 3 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं। आग की स्थिति से निपटने के लिए दूरभाष नम्बर 101 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपालिकाएँ-

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रैक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान-

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी। सूची (परिशिष्ट संख्या 34)

दुर्घटना कार्य योजना-

दुर्घटनाएँ कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 108 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ़ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है। वरन् मौके पर उपस्थित आम आदमी का भी यह कर्तव्य है कि वो तत्काल प्रशासन, पुलिस, चिकित्सालय आदि को दूरभाष पर सूचना देवे।

दुर्घटना से पूर्व-

➤ संरचनात्मक उपाय- दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहाँ गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

➤ गैर संरचनात्मक उपाय- सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए-

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं।
- शराब पीकर गाड़ी न चलायें।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांधे।
- बांझ तरफ से ओवरट्रेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़ें।
- पहले दांझ फिर बांझ और फिर दांझ ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से पर्याप्त दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हैडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान-

जिला प्रशासन का कर्तव्य-

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों का फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग-

जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टॉरों की सूची परिशिष्ट 9, 10, 11, 13 पर है।

- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टॉफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- दवाइयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग-

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।

- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग-

- जनता तक सही सूचना पहुँचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- कानून एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग-

- घायलों को पहुँचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग-

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ड्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी.आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद् /पालिका/पंचायत-

- टैंटो की व्यवस्था। टैंट हाउस की सूची परिशिष्ट 35 पर है।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग-

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संगठन-

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों के उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य -

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें।

तथा घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो -

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चूंटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं। इसके लिए नाक या मुँह के सामने हाथ रखकर या कान को मुँह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नज्ज देखें।
(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए-

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रुकावट खुल जाए।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक-डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रुई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुँह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती जाए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुँह से नाक छारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है। यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें। 4-5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60-80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो -

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाएं रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड़ बैंड (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे -

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएँ मंद हो जाना
- खून को बहने से रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिक सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।
- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें, सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूंट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं।

जले हुए व्यक्ति का बचाव-

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

आगः कार्य योजना-

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय व्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने संबन्धी सावधानियां-

बिजली-

- बिजली की फिटिंग कुशल मिलत्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाइरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेलिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू-पिन का ही प्रयोग करें।

- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभा मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर-

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस चूल्हे और रबर पाईप को समय-समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की रबर पाईप आई. एस. आई. मार्का ही होनी चाहिए।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों को आग से दूर रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर ऐग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूलें।
- अगर रबर पाईप में आग लग रही हो तो ऐग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- आग लगने पर रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव-

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालठेन, लेम्प आदि को शीशों से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी, सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय अगर आग जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर ही आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी/सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास, खलिहान, पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावें जिससे कि रपोन्टेनिकस कम्बरान से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना चाहिए।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिए जहां पर पानी आसानी से मिल सकें।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।

- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फेकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय, नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहाँ पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलचे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना चाहिए।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव करना।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित बन क्षेत्र की जांच करना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट-

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ धूम सकें।
- बिल्डिंग कोड रुड़की संस्थान द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेयरकेस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है। निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रीकलर डेव्वर, राईजर, हाईडेन्ट, पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की पानी मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वाले वॉच इयूटी स्टाफ को फायर कंट्रोल की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन.ओ.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही-

आग लगने की सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बधित/थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा।

सूचना की गंभीरता के परिपेक्ष्य में सम्बद्धित जिला कलक्टर स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि स्थल पर शीघ्र पहुँचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बद्धित तहसीलदार अथवा जो भी वरिष्ठतम् अधिकारी उपलब्ध होंगे, यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुँचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुँचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि ग्राम पंचायत मुख्यालय से किस प्रकार की ओर कितनी सहायता प्राप्त की जानी है तदनुसार जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कंट्रोल रूम जिला कलक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बद्धित क्षेत्र के फायर रेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर रेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कंट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका-
जिला प्रशासन का कर्तव्य-

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएँ।

अग्निशमन केब्ड नियंत्रण कक्ष-

- अग्निशमन वाहन, यंत्र व कर्मियों की उपलब्धता। (सूची परिशिष्ट 28)
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन।
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वय।

नागरिक सुरक्षा-

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था।

- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना।
- अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना।
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना।
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।

पुलिस-

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास जन सामान्य को हटाना।

विद्युत-

- विद्युत आपूर्ति की समुचित रूप से देखभाल।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-

- नियमित एवं अन्य छोटों से जल की उचित आपूर्ति।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-

- प्राथमिक उपचार।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना। (परिशिष्ट संख्या 9, 10 एवं 13)
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुँचाना।
- औषधियों की व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना। (परिशिष्ट संख्या 11)
- चिकित्सकों एवं पेरा-मेडिकल र्टॉफ की उपलब्धता। (परिशिष्ट संख्या 10)

गैर राजकीय संगठन-

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

पशुपालन-

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों का कार्यरत करना।

नगर परिषद-

- राहत शिविर (एन बसेरा) का प्रबन्धन।
- टैंट हाउस की व्यवस्था करना। (परिशिष्ट संख्या 35)

- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल।
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना।
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना। (सूची परिशिष्ट 29)

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें-

क्या करें :-

- आग लगने पर फोन नं. 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुँह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या ना करें :-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प :कार्य योजना-

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्नलिखित रहेगी-

जिला प्रशासन-

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणित सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी, एन. एस. एस. तथा स्काउट्स-

- स्वयं सेवकों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों का निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना।

पुलिस पशासन-

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुँचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग-

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना।
- चिकित्सकों, पेरा-मेडिकल स्टॉफ व दवाइयाँ उपलब्ध कराना।
(परिशिष्ट 10,12)

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएं, नगर परिषद्, विद्युत, पशु-पालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपने-अपने कार्य पूरे करेंगे।

क्या करें, क्या न करें-

भूकम्प पूर्व-

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भूकम्प के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लाटर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिर से ऊँचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखें। भारी गमलों वाले पौधों को झूलने हेतु नहीं लटकाएं। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती हैं। खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं उन्हे बिस्तर से दूर रखें। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नहीं लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंच सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात् -

- शांत रहें, घबराएँ नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाए व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से ख्वायं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की ओर तब तक न भागे जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीटिंगों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीटिंगों की ओर न भागें, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती हैं तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यत यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर हैं तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुके जब तक कंपन खत्म न हो।

- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊँची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं गिरी हुई विद्युत लाईनों, ट्रॉट अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।
- भूकम्प झटके रुकने पर मलबे में फंसे लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस-100, अग्निशमन केन्द्र-101, रोगी वाहन-108 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माविस न जलायें।
- विद्युत उपकरणों को तब तक न चलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नहीं हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढाँचों को अतिरिक्त हानि पहुँचा सकते हैं।

ओलावृष्टि : कार्य योजना-

यद्यपि ओलावृष्टि आकर्षित प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के बुकसान का आंकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों की चिन्हित करते हुए फसलों को हुए बुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

बाँध दूटना : कार्य योजना-

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि, सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूँद-बूँद जल संग्रहित करने की परिपाटी

रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता जो कि कृषि पर निर्भर हैं, अपनी आजीविका के साथ-साथ जान लेने पर भी उतारु हो जाते हैं, जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बाँधों के दूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल निकास छारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास छारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे: वेन, रस्सा चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बाँधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बाँधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

तापघात : कार्य योजना-

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जायें।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखें पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गीली पट्टी लपेट दें व पंछा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियां करें या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खायें और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों का तापघात के लिए जागृत बनाने, इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें, क्या ना करें? की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों जहाँ अधिक लोग एकत्रित हों को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें, हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीत लहर/तरंगें : कार्य योजना-

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0° से. व मध्य दैनिक व्यूनतम तापमान 5.8° से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय व्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय सिर का ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप कांपने लगे या थकान महसूस करें या आपकी नाक, अंगुलियां, एडियां ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जायें।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती हैं।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।

- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी-

- जलरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थान में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जलरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटें।
- गश्त पर मोबाइल टीमें लगाई जानी चाहिए जो लोगों को जलरत के समय मदद कर सकें।

5.1.3 सारांश-

आपदा के सन्दर्भ में तैयारी से आशय आपदा आने से पूर्व की व्यवस्थाओं से है। आपदा के प्रभावों से बहतर तरीके से निपटने हेतु तैयारी आवश्यक है। आपदा की तैयारी के प्रारम्भिक चरण में आपदा तैयारी से सम्बन्धित नोडल विभागों की पहचान मथा विभिन्न कार्यों हेतु टीमों का गठन आता है। इसी प्रकार आपदा की तैयारी में मॉकड्रिल तथा विभिन्न उपकरणों व संसाधनों की जाँच आवश्यक है।

आपदा के संदर्भ में उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन भी किया जाना आवश्यक है। जिससे उपलब्ध ज्ञान एवं पूर्व के अनुभवों का लाभ मिल सकें। संचार के साधनों का प्रबंधन तथा जनसामान्य स्तर पर भी तैयारी आवश्यक है, क्योंकि वे ही सबसे पहले प्रभावित होते हैं। पूर्व तैयारी से आपदा में होने वाली हानियों के स्तर को कम किया जा सकता है।

अध्याय– 6

Capacity Building

क्षमता संवर्धन

विषय वस्तु-

- 6.1 तात्पर्य व आवश्यकता
- 6.2 विभिन्न स्तरों पर क्षमता संवर्धन व प्रयास
- 6.3 आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन की बिन्दुवार रूप-ऐक्या
- 6.4 सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन
- 6.5 सारांश

6.1 तात्पर्य एवं आवश्यकता -

क्षमता संवर्धन अथवा क्षमता निर्माण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। क्षमता निर्माण से तात्पर्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं में अभिवृद्धि से है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट उपायों द्वारा संभव की जाती है। इस प्रकार क्षमता संवर्धन में दो तत्वों व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमता अभिवृद्धि तथा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपदा के समय किये जाने वाले राहत व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिक्रिया कर सकता है। आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है-

- आपदाओं के जोखिम व प्रभावों को कम करना।
- व्यक्ति को आपदा के पूर्व व आपदा के पश्चात त्वरित प्रक्रिया योज्य बनाना।
- आपदा के समय प्रशिक्षित व्यक्ति स्वयं में महत्वपूर्ण संसाधन होता है।
- क्षमता संवर्धन एक व्यक्तिगत कार्यप्रणाली तैयार करने में सहायक है।
- मानव संसाधन का सर्वांगीण विकास।

आपदा प्रबंधन में बहुत से कार्य आते हैं। जिनमें प्रमुख रूप से योजना, रोजमरा के प्रबंधन क्रियाकलाप, बहु आपदा ऑपरेशंस, क्राइटोरा मैनेजमेन्ट, समुत्थान और विशेष कार्य समिलित किये जाते हैं।

प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य का मानव संसाधन आपदा प्रबंधन के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित हो एवं आवश्यक संसाधनों से युक्त हो।

किसी भी आपदा के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं एवं जनसमुदाय के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत तथा संस्थागत विशेषज्ञता व क्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रशिक्षण व ऑरिएंटेशन प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। हर स्तर पर मानव संसाधनों के प्रशिक्षण से केवल उनके प्रदर्शन में ही निखार नहीं आता अपितु उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है।

क्षमता संवर्धन में सामान्यजन से लेकर सरकारी अधिकारी, जन प्रतिनिधि, निजी तथा कारपोरेट सैक्टर एवं विभिन्न स्तरों, समुदायों के लोग सम्मिलित हैं। इस हेतु आपदा प्रबंधन कोष में भी वित्तीय सहायता प्रावधान रखे जाते हैं। 13 वें वित्त आयोग में इस हेतु कुल 525 करोड़ रुपये तथा राजस्थान को 30 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न सरकारी संस्थाएँ जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट (एटीआई), विभिन्न रिसोस इंस्टीट्यूट्स, टेक्नीकल इंस्टीट्यूट्स कार्यरत हैं। अन्य संस्थाएँ युनिसेफ तथा अन्य गैर सरकारी संगठन हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और संवर्धन के अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

6.2 विभिन्न स्तरों पर क्षमता संवर्धन व प्रयास-

प्रशिक्षण -

प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन का महत्वपूर्ण अवयव है। प्रशिक्षित व्यक्ति विभिन्न आपदाओं का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में भी सक्षम होते हैं तथा वे निरोधात्मक उपायों की अहमियत भी जानते हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन के गहन प्रयास किये जायेंगे।

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण का आधारभूत ढाँचा निम्न प्रकार होगा -

- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों से योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों को भिजवाया जायेगा। ये व्यक्ति प्रशिक्षित होकर के जिला स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी समयानुसार आवश्यकतानुरूप दक्ष प्रशिक्षकों को समय-समय पर जिले में बुलाना प्रस्तावित होगा ताकि स्थानीय स्तर पर भी लोग लाभान्वित हो सकें।
- राज्य स्तर पर संचालित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट, राज्य जिला एवं स्थानीय ऑफिसरिटीज, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, स्कूली अध्यापकों तथा एनजीओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी। चूआईटी राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी का कार्य करती है। जहां पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन किया गया है।
- जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों व कर्मचारियों का एक कोर ग्रुप तैयार करेगा। यह कोर ग्रुप जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यहाँ दक्ष सदस्यों का एक पैनल होगा तथा विभिन्न विभागों में इसकी उपलब्धता सुगम बनायी जायेगी। यह कोर ग्रुप प्रशिक्षण का वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्माण करेगा।

इनके अलावा अन्य जिला स्तरीय संस्थान जैसे- इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, इंडीस्ट्रीयल ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट, एनजीओ, आदि की सहायता प्रशिक्षण हेतु ली जायेगी जिससे इन प्रबंधन कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा।

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण का संस्थागत ढाँचा-

	1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
राष्ट्रीय स्तर	2 चुनिसेफ, विश्व बैंक, नाबार्ड
	3 राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण तकनीकी संस्थान व वि.वि., एन.सी.एन.एस.एस, स्काउट
	4 एनजीओ

	1 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट (एटीआई)
राज्य स्तर	2 स्टेट सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट -एससीडीएम
	3 राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान व वि.वि.
	4 एनजीओ, एन.सी.सी.एन.एस.एस, स्काउट

	1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
जिला स्तर	2 जिला स्तरीय कोर ग्रुप /पैनल
	3 जिला स्तरीय तकनीकी व प्रबंधन संस्थान
	4 महाविद्यालय, विद्यालय
	5 एन.सी.सी.एन.एस.एस, स्काउट

इस प्रकार आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन हेतु त्रिस्तरीय ढाँचा उपलब्ध हो सकेगा। इस त्रिस्तरीय ढाँचे का उयोग आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु किया जा सकेगा। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन हेतु निम्न संस्थान उपलब्ध हैं अथवा उन्हे इस कार्य हेतु तैयार किया जा सकेगा।

क्र.स.	संस्थान	संख्या
1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1
2	नगर परिषद् गोताखोर, दमकल कर्मी सूचना	परिशिष्ट संख्या 21
3	आईटीआई	1
4	प्रबंधन संस्थान	1
5	अध्ययन केन्द्र इन्दिरा गांधी मुक्त वि.वि. म. प्र.रा.महा.चित्तौड़गढ़	1

6	अध्ययन केन्द्र वर्धमान महावीर खुला वि.वि कोटा म.प्र.रा.महा. चित्तौड़गढ़	1
---	--	---

तालिका- 6.1 चित्तौड़गढ़-क्षमता संवर्धन हेतु संस्थान

नोट-

हन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि. तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम संचालित करते हैं जिनके अध्ययन केन्द्र महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में हैं।

6.3 आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन की बिन्दुवार रूप रेखा-

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन।
- कोरग्रुप/पैनल का गठन।
- कोर ग्रुप/पैनल के विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।
- विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रमुख विभागों जैसे -पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन आदि हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विभिन्न विभागों के चयनित स्टॉफ को तलाश, बचाव, अग्निशमन, फर्स्ट एड में निपुण बनाना।
- त्वरित अनुक्रिया तंत्र(इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम) को सटीक बनाने हेतु प्रशिक्षण।
- आवश्यक उपकरणों के उपयोग व स्वरस्वाव का प्रशिक्षण।
- विशेष प्रशिक्षण जैसे :-
 - जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय विशेष ऑरिएंटेशन प्रोग्राम जिसमें आपदा प्रबंधन के बुनियादी तत्वों को शामिल किया जायेगा।
 - आकिटेक्ट्स, इंजीनियर्स व बढ़ई, राजमिस्ट्री, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि को आपदा काल में पुनः निर्माण कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाकर एक पैनल तैयार किया जायेगा।
 - पैरामेडिकल स्टॉफ, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेंस चालकों, दवा विक्रेताओं को महामारी, रासायनिक आपदाओं, एन्टीडोज, मॉस कैजुअल्टी, मानसिक उपचार जैसा विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा कर प्रशिक्षित किया जायेगा।
- मीडियाकर्मियों को आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा।
- विद्यालयों-महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को बचाव, जोखिम, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, स्वंयं बचाव, आदि पर समय-समय पर प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

- जनसामान्य में आपदा प्रबंधन जागृति व क्षमता संवर्धन हेतु बुक्कड़ नाटक, चौराहों पर फिल्मों, होर्डिंग्स आदि का प्रयोग प्रभावी तरीके से किया जायेगा। मौसम तथा जोखिम के अनुरूप संभावित आपदा के खतरे व बचाव के होर्डिंग्स स्थान-स्थान पर लगाये जायेंगे, जिससे संभावित आपदा के सम्बन्ध में जागृति पैदा हो तथा जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।
- एक विशेष प्रशिक्षित दल का गठन जो महामारी, रासायनिक आण्विक दुर्घटना, गैस गोदाम व तेल डिपो में आग जैसे संवेदनशील मौकों पर त्वरित अनुक्रिया कर सके।

मॉकड्रिलस एवं अनुरूपण अभ्यास-

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुरूपण अभ्यास भी आवश्यक है। अनुरूपण अभ्यास के द्वारा आपदा प्रबंधन क्षमता की तैयारियों, विशेषताओं व खामियों का पता लगाया जाता है। आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में संवेदनशील व जोखिम पूर्ण स्थानों व संस्थाओं में मॉकड्रिलस के माध्यम से आपदाओं से निपटने की तैयारियों का पता लगाकर उनकी खामियों को जाना जायेगा।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थल, परिवहन केन्द्र, औद्योगिक इकाइयों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान मॉकड्रिलस व अनुरूपण अभ्यास हेतु उचित स्थान है। वर्ष में कम से कम दो बार विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों, प्रमुख मन्दिरों, रेल्वे स्टेशन, औद्योगिक इकाइयों तेल व गैस डिपो में मॉकड्रिलस व अनुरूपण अभ्यास आयोजित किये जायेंगे। इन अभ्यासों में जिला पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कर्मचारी, चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टॉफ, बम निरोधक दस्ता, आतंकवाद निरोधी दस्ता तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारी भाग लेंगे।

इस कार्य हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर तथा राज्य स्तर पर रिलीफ कमिशनर सहयोग प्रदान करेंगे। जिले में की जाने वाली मॉकड्रिलस की संभावित सूची निम्न प्रकार होगी जिसमें समय व आवश्यकतानुरूप बदलाव किया जा सकेगा-

- शिक्षण संस्थानों में मॉकड्रिलस व अनुरूपण अभ्यास।
- भीड़-भाड़ वाले स्थानों विशेष कर रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मार्केट, सरकारी कार्यालय, सभागार, आदि स्थानों पर विशेष मॉकड्रिलस।
- धार्मिक स्थलों जैसे- सांवलिया जी मन्दिर मण्डपिया, कालिका माता मन्दिर, चित्तौड़गढ़ पर भगदड़, आतंकी हमला, बम डिफ्यूजन की विशेष मॉकड्रिलस।
- सार्वजनिक व धार्मिक अवसरों पर निकलने वाली यात्राओं, रैलियों में भगदड़ व दंगे जैसी स्थिति से निपटने हेतु मॉकड्रिलस।
- विभिन्न एजेन्सियों के मध्य तालमेल जानने हेतु मॉक ड्रिल्स।
- मॉस कैजुअल्टी जैसे बड़ी सड़क दुर्घटना, आगजनी आदि में प्रबंधन हेतु मॉकड्रिलस।

- वर्षा ऋतु से पूर्व बांधों, नदियों के किनारों पर स्थित संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिलस ।

जिला ख्तर पर जिला आपदा एवं राहत प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि मॉकड्रिलस तथा अनुरूपण अभ्यास समय-समय पर अनिवार्य रूप से सभी जोखिम पूर्ण संवेदनशील स्थानों पर किया जावे। इससे जिला ख्तर पर सभी संस्थानों को अपनी सही-सही भूमिका व आपसी तालमेल का पता चल सकेगा।

पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश-

शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय ख्तर पर पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये।

जिले के सभी तकनीकी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे की उनके पास विभिन्न तकनीकी विषयों पर पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता हो। चिकित्सा, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अपने पाठ्यक्रम में इस प्रकार का बदलाव सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकारी व कर्मचारी आपदा की दशा में बेहतर तरीके से तालमेल के साथ कार्य कर सकें। इस हेतु पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को आवश्यकतानुरूप सम्मिलित करने की महती आश्यकता रहेगी।

जनजागृती तथा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम (CBDM)-

किसी भी तरह की आपदा में समुदाय सबसे पहले रिपॉन्ड करते हैं, अतः यह आवश्यक है कि आपदाओं की जानकारी तथा उनके प्रभावों से लोगों को अवगत कराया जावे। आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के माध्यम से जन सामाज्य को जागृत करने के तरीके विकसित किये जायेंगे जिनकी अनुपालना से लोग आपदा की दशा में अनुशासित और अफरा-तफरी रहित होकर प्रभावी व्यवस्था की अनुपालना कर सकें। इस हेतु जिले में विभिन्न प्रयास व कार्यक्रम लागू किये जाना प्रस्तावित है-

- ✓ स्थानीय भाषाओं में जिंगल्स विकसित करना।
- ✓ वीडियो स्पॉट्स तैयार करना।
- ✓ स्थानीय आकाशवाणी व केबल टीवी पर पैनल डिस्कशन।
- ✓ संवेदनशील स्थानों पर होर्डिंगस।
- ✓ पोस्टर, पुस्तिका, पम्पलेट, विज्ञापन, आदि तैयार करवाना व वितरण।
- ✓ चित्रकला, पोस्टर, प्रश्नोत्तरी, निबंध, आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- ✓ सार्वजनिक स्थानों पर तापमान, वर्षा आदि मौसमीय दशाओं को प्रदर्शित करने हेतु इलेक्ट्रिक डिस्प्ले बोर्ड।
- ✓ आपदा प्रबंधन दिवस मनाना।
- ✓ नुक्कड नाटक, जागरूकता रैली का आयोजन।
- ✓ विकलांगों बुजुर्गों, मानसिक शिथिल व्यक्तियों हेतु विशेष कार्यक्रम।

इन कार्यों हेतु वित्तीय व्यवस्था जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों से की जायेगी। कम्युनिटी बेरड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम (CBDM) एक नवीन प्रयास है। क्षमता संवर्धन हेतु समुदाय स्तर पर दीर्घकालीन प्रयास किये जाने आवश्यक है। जिससे सुरक्षित समुदायों का निर्माण हो सकेंगा। तथा लोगों में सामूहिक सहयोग की भावना विकसित होगी।

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) के माध्यम से जोखिम घटाने की परिकल्पना निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करेगी-

- सीबीडीएम हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन।
- सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की सहायता से समुदायों के साथ गहन कार्यक्रमों का संचालन।
- सीबीडीएम हेतु विस्तृत कार्यक्रमों व योजनाओं का निर्माण।
- जोखिम पूर्ण व संवेदनशील समुदायों तक सीबीडीएम की पहुँच।
- कार्यशाला के माध्यम से सीबीडीएम लोगों तक सुलभ बनाना।
- प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन दलों का गठन।

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना का संभावित प्रारूप तालिका-6.2 के अनुसार प्रस्तावित होगा। इससे क्षमता संवर्धन के साथ-साथ आपदा के समय त्वरित अनुक्रिया में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रहेगा।

कौन/कैसे	किसे क्या काम सौंपा गया है। कौन कहाँ रह रहा है। किसे प्राथमिकता दे। संदेशों को कौन सुनेगा। कौन क्या जुटायेगा।
कहाँ/किधर	कहाँ सूचित करें। प्रत्येक परिवार कहाँ रहता है। वे किधर जाते हैं। वह कहाँ काम करते हैं। आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान कहाँ है।
क्या	क्या यह घटना पूर्व चेतावनी के साथ हुई। क्या यह घटना अचानक हुई।
क्या	समुदायिक स्तर पर क्या उपाय किये जा रहे हैं। उपलब्ध संसाधन क्या हैं। क्या-क्या सामग्री जमा की जायें। क्या-क्या उपकरण उपलब्ध हैं। सुरक्षित आश्रय स्थलों और उपकरणों की क्या स्थिति है।
कैसे	किसी स्थान पर कैसे पहुँचा जाये। संदेश कैसे प्राप्त किया जाए। पूर्व चेतावनी संदेश कैसे प्रसारित किया जाए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना कैसे तैयार की जाए।
क्यों	उपर्युक्त प्रत्येक प्रश्न क्यों।

तालिका- 6.2 समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना प्रारूप

6.4 सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन-

जिला स्तर पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOC) स्थापित करना प्रस्तावित किया जायेगा, जो आपदा के समय समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा। आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत आने वाले राहत कार्यों से जुड़े विशेषज्ञ लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाये जायेंगे। ताकि सूचनाओं का सम्प्रेषण व सहायता आदान-प्रदान संभव हो सकेगा।

चित्तौड़गढ़ जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक वेबसाइट तैयार करवाई जायेगी जिस पर समस्त सूचनाओं का संकलन होगा। सभी विभाग अपने-अपने सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन करवायेंगे जिससे अन्य विभाग लाभान्वित होकर अपनी क्षमता संवर्धन कर सकें।

जिला स्तर पर एक विशिष्ट आपदा प्रबंधन उपकरण भवन की स्थापना जिसमें आपदा प्रबंधन व राहत से सम्बन्धित समस्त समस्त उपकरण व सामग्री एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें।

6.5 सारांश-

राज्य में आपदा प्रबंधन के उचित प्रशिक्षण से सभी हितकारकों की क्षमता संवर्धन की जा सकती है। राज्य में अधिकारियों/कर्मचारियों के आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु ‘एच.सी.एम.रीपा’ में आपदा प्रबंधन केव्ड कार्यरत है। इस केव्ड को आवश्यक संसाधनों से सशक्ति किया जायेगा। आवश्यकता होने पर राज्य में अतिरिक्त आपदा प्रबंधन केव्ड स्थापित किये जाएँगे। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों को भी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु सशक्ति किया जायेगा। सभी विभाग आपदा प्रबंधन की क्षमता निर्माण हेतु कार्य योजना बना कर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्य योजना में आपदा पूर्व तैयारी, प्रशमन तथा आपदा उपरान्त सहायता, पुनर्वास एवं आधारभूत संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान जैसे बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा।

- आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से जुड़े व्यक्तियों को बचाव व राहत कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे वे स्वतः सतर्क होकर कार्य में जुड़ सकेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इंटर एजेंसी ग्रुप के माध्यम से प्रशिक्षण, जनजागरूकता, क्षमता संवर्धन, सूचना सम्प्रेषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। इस ग्रुप में संयुक्त राष्ट्र संस्थाएँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वंयसेवी संस्थाएँ, शैक्षिक संस्थाएँ एवं प्रसार संस्थाएँ सम्मिलित होगी।
- प्रत्येक जिले में आपदाओं के समय अनुक्रिया (response) के लिए दल (incident response team) गठित किया जायेगा।

- उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक, व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।
- प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर आपदा अनुसार विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के दल बनायेगा जो तत्सम्बंधी आपदाओं में बचाव व राहत कार्य में समय समय पर प्रशिक्षित किये जावेंगे। सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए बाध्य होंगे। सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन केन्द्र समय-समय पर प्रशिक्षित करेगा।
- विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को शामिल किया जायेगा।
- नागरिक सुरक्षा, होमगार्डस, एन.सी.सी.,वाई.डी.सी,स्काउटस,एन.एस.एस. आदि को आपदा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण दिया जाकर सशक्त किया जायेगा।
-

सीख

तमில்நாடு के कுடலூர் ஜிலை மें ஸமுद्र தट के एक गांव के ग्रामीण आपदा प्रबंधन पर पाठ सीख रहे थे तभी उन्हे हत्यारी सुनामी लहरों ने घेर लिया। सीखा गया पाठ तत्काल उनके काम आया और बहुत से लोगों की जान बचायी जा सकी। 2000 की आबादी वाले इस गांव में मरने वालों की संख्या 20–21 रही। गांव वालों को कहा गया कि समुद्र में ढूबते समय वे सूखे पेड़ के तर्ने तथा खाली झाँमों का इस्तेमाल करें। इस गांव में सामुदायिक ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का गठन एक सप्ताह पूर्व ही किया गया था। टीम में शामिल महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में लगाया गया।

अध्याय-७

Response and Relife Measures

राहत एवं प्रत्याक्रमण

विषय वस्तु-

- 7.1 अभिप्राय व आवश्यकता
- 7.2 राहत एवं प्रत्याक्रमण के चरण
- 7.3 सारांश

7.1 अभिप्राय व आवश्यकता -


सभी आपदाएँ, आकर्षित घटनाएँ एवं संकटकालीन घटनाएँ अत्यंत गतिशील होती हैं और अफरातफरी फैलाने वाली होती है। जिससे शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकार भी पैदा हो जाते हैं। राहत एवं प्रत्याक्रमण वे उपाय हैं जो आपदा घटित होने के तुरन्त बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका उद्देश्य आपदा से पूर्व तथा आपदा काल व आपदोत्तर दशा में जनजीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुख्यतावानों को दूर करना, सम्पति को सुरक्षित बचाना, आपदा द्वारा किए गए नुकसान से निपटना शामिल है।

राहत व प्रत्याक्रमण सामान्यतः अत्यन्त विघटनकारी तथा विषम परिस्थितियों में चलाये जाते हैं। अक्सर उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। इन अभियानों के लिए बड़ी तादाद में मानव संसाधन, उपकरणों व अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती हैं, अतः ठेस योजना, प्रबन्धन, प्रशिक्षण और प्रत्याक्रमण टीम के बिना इन अभियानों को आशातीत सफलता नहीं मिल पाती। आपदा के प्रत्युत्तर में कार्यवाही जितनी तत्परता व कुशलता से की जाये नुकसान व जोखिम को उतना ही कम किया जा सकता है।

7.2 राहत व प्रत्याक्रमण के चरण—

आपदा से पूर्व	चेतावनी, आवश्यक तैयारी
आपदा के दौरान	प्रथम प्रत्याक्रमण-राहत
आपदोत्तर	राहत- समुत्थान

समयानुसार राहत एवं प्रत्याक्रमण एक गतिक प्रक्रिया है। इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदोपरांत किये जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं। अतः इस कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जाता है।



चित्र- 7.1 राहत व प्रत्याक्रमण का आरेखीय निरूपण

7.2.1 आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण—


आपदाओं को भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान के आधार पर दो भागों में बाँटा जा सकता है -

- प्रथम प्रकार की आपदाएँ वे हैं जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव है।
- द्वितीय आपदाएँ वे हैं जो आकर्षित रूप से घटित होती हैं जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव नहीं है।


आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण कार्य उक्त दोनों प्रकार की आपदाओं हेतु क्रियान्वित किये जाते हैं। किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को आपदा पूर्व तैयारी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा आने वाली सम्भावित आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण में निम्न तत्व सम्मिलित किये जाते हैं -

- पूर्व चेतावनी प्रणाली
- आपदा सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण
- शरणस्थलियों को चिह्नित करना
- आपदा से सम्बन्धित उपकरणों की एक स्थान पर उपलब्धता
- मॉकड्रिल
- संचार प्रणाली को दुरुस्त करना
- आपदा से सम्बन्धित विभाग को हाईअलर्ट
- फर्ट ऐस्पाँड यूनिट का हाईअलर्ट
- जोखिमपूर्ण बस्तियों, मकानों को खाली करवाना
- पर्याप्त भोजन, दवा, जल, आवश्यक सामग्री का संग्रह

बाढ़, भूकम्प एवं सूखा चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ हैं। उक्त आपदाओं में बाढ़ तथा सूखे का पूर्वानुमान तथा चेतावनी संभव हैं। आगजनी, सड़क दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएँ आदि अन्य आपदाएँ हैं जिनका पूर्वानुमान संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के पूर्वानुमान तथा चेतावनी हेतु जिले में चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। जिला प्रशासन के द्वारा संचार/पूर्व चेतावनी प्रणाली को दुरुस्त करना प्रस्तावित है। यह प्रणाली निम्न चरणों में कार्य करेगी-



चित्र- 7.2 जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली



चित्र- 7.3 प्रमुख आपातकालीन प्रत्याक्रमण के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट

आपदा पूर्व राहत एवं प्रत्याक्रमण आपदा के जोखिम व हानि को काफी हद तक कम कर देते हैं। आपदाओं संबंधित पूर्व चेतावनी हेतु राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थान कार्यरत हैं, जिनका सहयोग भी इस कार्य हेतु लिया जायेगा।

1. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2. मौसम विभाग
3. सुदूर संवेदन विभाग तथा भौगोलिक सूचना तंत्र
4. राज्य आर्थिक एवं सांचिक्यकी विभाग

7.2.2 आपदा के प्रभाव की अवस्था में राहत व प्रत्याक्रमण—

यह आपालकाल या आपदा के तुरंत बाद की अवस्था है जिसमें लोग आपदा व उसके प्रतिकूल प्रभावों को सबसे ज्यादा झेलते हैं। इसी चरण के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण की महती आवश्यकता होती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गई तुरन्त कार्यवाही जितनी तेजी व कुशलता से की जायेगी, उतनी ही आधिक जन एवं धन तथा सम्पत्ति के नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल होगी। जिले में आपदा के प्रभाव की स्थिति में राहत व प्रत्याक्रमण के निम्न चरण होंगे—

1. फर्ट रिस्पॉड ग्रुप का निर्धारण
2. राज्य सरकार व जिला प्रशासन का सक्रीय होना
3. सर्च व रेस्क्यू टीम
4. आवश्यक सेवाओं की तुरंत बहाली
5. आश्रय स्थलों तथा अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था
6. शान्ति व्यवस्था बनाये रखना
7. क्रेन, बुलडोजर तथा आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण
8. अरथाई राहत शिविरों की स्थापना
9. राहत सामग्री की आपूर्ति
10. आपदा के बाद क्षति का आंकलन
11. आपदा पीड़ितों हेतु तत्काल राहत


चित्तौड़गढ़ जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रत्याक्रमण के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन -

- समुदाय पहले प्रतिक्रियक—

आकस्मिक आपदा आने के बाद बाहर से सहायता आने में लगभग 12 से 24 घण्टे का समय लग जाता है। अतः जब समुदाय फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न जोखिम पूर्ण स्थानों पर रहने वाले तथा उनके आस पास रहने वाले समुदायों को आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करने हेतु दक्ष करना आवश्यक है। इस हेतु उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन आवश्यक है। इस हेतु विस्तृत जानकारी अध्याय-6 में दी गई है।

- राज्य सरकार - जिला प्रशासन का सक्रीय होना-


समुदाय के पश्चात प्रथम रिस्पॉन्स देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील व नगर पालिका/परिषद् की होती है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य व केन्द्र से भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रशासनिक रिस्पॉन्स सिस्टम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं-



चित्र- 7.4 प्रशासनिक रिस्पॉन्स सिस्टम के विभिन्न चरण

आपदा में त्वरित सहयता पहुंचाने के लिए जिले में इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम (त्वरित कार्यबल) तथा एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम की महती आवश्यकता होगी जो आपदा के समय तुरंत स्वतः क्रियाशील होकर स्थिति

नियंत्रण में ले सके। जिला इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम का फ्रेमवर्क निम्न प्रकार होगा -




चित्र- 7.5 इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम फ्रेमवर्क

इस प्रकार जिले की इंसिडेंट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग होंगे। इंसिडेंट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क (IERTF) के किस अनुभाग को सक्रिय करना हैं, क्या कार्य करना है यह जिम्मेदारी कमांड रटाफ की होगी। जिसका मुख्या जिला कलक्टर होगा। यह फ्रेमवर्क आपदा राहत व प्रत्याक्रमण की रीढ़ होगा। इंसिडेंट रिस्पांस टीम का मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय होगा जो आपदा नियंत्रण कक्ष के समन्वय से कार्य करेगा। आपदा से समय IRTF के विभिन्न चरण तथा घटक निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से क्रियाशील हो जायेंगे।



चित्र- 7.6 जिले की इंसिडेट रिस्पांस टीम फेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग

- इंसिडेट रिस्पांस टीम का क्रियाशील होना-



चित्र- 7.7 इंसिडेट रिसपॉन्स सिस्टम टीम का क्रियाशील होना

आपदा के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण के अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्न होंगे-

- **ऑपरेशन का समन्वय :-** विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न चरणों में सम्पन्न कार्यों का समन्वय आवश्यक हैं अन्यथा राहत व प्रत्याक्रमण के कार्य निष्फल हो सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व प्रत्याक्रमण के कार्यों का समन्वय का भार जिला आपदा नियंत्रण कक्ष पर रहेगा जो 24 घंटे कार्य करेगा। जिले के सभी विभाग जो आपदा के समय क्रियाशील होंगे नियंत्रण कक्ष को प्रत्येक कार्य की सूचना देंगे। यह नियंत्रण कक्ष इस सूचना को अन्य विभागों तक पहुँचायेगा।

विशेष परिस्थितियों मे यह नियंत्रण कक्ष राज्य व केन्द्र से भी सम्पर्क बनाये रखेगा।

- **मास कैजुअल्टी मैनेजमेंट** :- इस प्रकार की आपदा में बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। जैसे अग्नि, भूकम्प, बाढ़, रेडिएशन, रासायनिक दुर्घटना आदि। इस स्तर पर जोखिम कम करने तथा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। चिकित्सा, पुलिस, रसद आदि विभागों के विशेष प्रयास हानि को कम करते हैं। विशेष परिस्थितियों मे राज्य व केन्द्र की भी सहायता लेनी पड़ती हैं। इस हेतु चित्तौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन योजना में निम्न बिन्दु प्रस्तावित किये गये हैं-

1. संयुक्त दल जो राहत की आवश्यकता के स्तर का अनुमान लगायेगा।
2. सुरक्षा, फार्मेसी, ब्लड बैंक, ट्रोमा सुविधाओं की तत्काल स्थापना।
3. आवास तथा भोजन की तत्काल व्यवस्था।
4. रोगी वाहनों तथा रेफरल व्यवस्थाओं का तत्काल प्रबंध।
5. सहायता व शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना।

- **रेपिड डैमेज असेसमेंट सिस्टम (RDA)** :- आपदा के तुरंत बाद जान माल के नुकसान तथा घायलों की संख्या जानने के लिए रेपिड असेसमेंट आवश्यक है। जिले में आरडीए उस स्थान पर करवाया जायेगा जहाँ आपदा घटित हुई है। इसमें दल का नेतृत्व स्थानीय प्रशासन का मुख्यिया करेगा तथा दल में पटवारी, अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग का इंजीनियर, पुलिस उपाधीक्षक होंगे जो आंकलन की रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा का स्तर निर्धारित किया जायेगा जो निम्न प्रकार होगा :-

एल - 0	यह सामान्य स्तर का द्योतक है।
एल - 1	यह आपदा का वह स्तर होगा जो जिला स्तर पर ही प्रबंधित की जा सकेगी।
एल - 2	यह आपदा का वह स्तर होगा जो राज्य स्तर पर सहयोग से ही प्रबंधित किया जा सकेगा।
एल - 3	यह बड़ी आपदा वाली दशा होगी जिसमें राज्य व जिला मशीनरी को पुनः पटरी पर लाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी। यथा - सहायता पैकेज प्राप्त करना, NDRF का सहयोग, सेना की मदद आदि।

- **जनता का सहयोग—** आपदा के समय रिस्पॉस अधिकारियों व जनता के बीच सहयोग आवश्यक है। इस हेतु चित्तौड़गढ़ के जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में जनजागृति अभियान चलाया जायेगा।

7.2.3 आपदोत्तर राहत व प्रत्याक्रमण की अवस्था—

यह अवस्था आपदा के विरुद्ध त्वरित प्रत्याक्रमण अथवा रिस्पांस की अवस्था है। इस अवस्था में आपदा की तीव्रता तथा जोखिम लगभग समाप्त हो जाते हैं किन्तु राहत तथा प्रत्याक्रमण के कार्य जारी रहते हैं। इस अवस्था में राहत तथा प्रत्याक्रमण की प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं। इस अवस्था का प्रमुख कार्य पुनर्वास तथा पुनर्लैटान होते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व प्रत्याक्रमण की आपदोत्तर अवस्था के निम्न चरण होंगे—

➤ विस्तृत हानि का आंकलन—

इसके अन्तर्गत जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सचिव, पटवारी, गिरदावर, सरपंच के माध्यम से आपदा से हुई हानि का विस्तृत आंकलन करवाया जायेगा। इसके माध्यम से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा आधारभूत संरचना की बहाली के लिए वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सकेगा। आपदा से हुए नुकसान के साथ-साथ उसके कारण, आपदा प्रबंधन में रही कमियाँ आदि का भी रिकार्ड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रखा जाएगा। जिससे भविष्य में पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके।

➤ प्रभावित लोगों का पुनर्वास—

आपदा के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या विस्थापितों के पुनर्वास की होती है। राहत शिविरों में रह रहे लोग पुनः अपने घरों को लौटना चाहते हैं। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्न उपाय किए जा सकेंगे—

- राज्य सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता दिलवाना। आपदा प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित न होने की दशा में सुरक्षित स्थान पर लोगों को बसाने हेतु भूमि की व्यवस्था।
- भूमि व वित्तीय सहायता का आवंटन, प्रभावितों की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से किया जायेगा।
- जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार विद्युत, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

पुनर्निर्माण—

जिला स्तर पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया का दृष्टिकोण इस प्रकार का होगा जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदलकर बेहतर निर्माण किया जा सके। यह एक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस हेतु एक समर्पित

कार्यदल का गठन किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए, उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जायेगी।

➤ आजीविका को पुनः बहाल करना—

आपदा से प्रभावित परिवारों के समक्ष प्रमुख समर्थ्या आजीविका के साधनों की पुनः बहाली की होगी। इस हेतु चित्तौड़गढ़ जिले हेतु निम्न प्रयास सुझाये गये हैं—


1. दुकानों, व्यावसायिक भवनों आदि का ढांचा पुनः सुधारना जिससे प्रभावित लोगों का रोजगार पुनः प्रारम्भ हो सके।

2. जिनकी आजीविका के साधन नष्ट हो चुके हैं उन्हे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा अथवा खवयं का रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

3. स्थानीय आवश्यकतानुसार नवीन आजीविका के साधन विकसित किये जायेंगे। इस क्रम में महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

➤ धन का आवंटन व ऑडिट—

विभिन्न माध्यमों यथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, दानदाताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से, जनसहयोग से प्राप्त धन को आपदा राहत व प्रत्याक्रमण में खर्च करने के बाद उसकी ऑडिट प्रस्तावित की जायेगी जिससे प्राप्त धन का किसी प्रकार दुरुपयोग न हो सके।



चित्र- 7.8 आपदा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु धन के स्रोत

7.3 सारांश-

आपदा प्रबंधन में राहत व प्रत्याक्रमण का विशेष स्थान हैं। राहत व प्रत्याक्रमण के अभाव में आपदा के पश्चात जनजीवन का सामान्य अवस्था में लाना संभव नहीं हैं। अतः आपदा व आपदा के पश्चात प्रभावों को समाप्त करने हेतु राहत व प्रत्याक्रमण आवश्यक हैं।

राहत व प्रत्याक्रमण तीन अवस्थाओं में सम्पन्न किया जाना है—

- प्रथम अवस्था आपदा के पूर्व की अवस्था हैं इसमें आपदा की चेतावनी, प्रभावित होने वाले लोगों का विस्थापन तथा प्रभावित होने वाले इलाकों में आपदा पूर्व उपाय शामिल हैं।
- द्वितीय अवस्था आपदा के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण की हैं। इसमें बचाव, खोज, मलबे को हटाना, विद्युत, पेयजल, भोजन, अस्थायी आवास तथा चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाना शामिल होगा।
- तृतीय अवस्था आपदोत्तर राहत व प्रत्याक्रमण की हैं। इसमें दीर्घावधि के उपचार सम्मिलित हैं। इसमें पुनर्वास, आवासीय भवन निर्माण, मानसिक उपचार, मनोरंजन के साधन, जीवन बीमा, समस्या समाधान शिविर आदि होंगे। राहत व प्रत्याक्रमण का स्तर जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति के आंकलन के पश्चात किया जायेगा।

अध्याय—८

Reconstruction, Rehabilitation and Recovery Measures


समुत्थान, पुनर्निर्माण, पुनर्वास के चरण

विषय वस्तु—

- 8.1 अभिप्राय व महत्व
- 8.2 नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण
- 8.3 पुनर्गठन (समुत्थान)
- 8.4 पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य
- 8.5 पुनर्वास के चरण
- 8.6 सारांश

8.1 अभिप्राय व महत्व—

समुत्थान, पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास आपदा प्रबंधन का आखिरी चरण है। इस अवस्था में आपदा के पश्चात् पुनः एक बेहतर, सुरक्षित एवं ज्यादा समुत्थानशील समाज का निर्माण किया जाता है। अतः यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विपत्ति को अवसरों में बदला जाता है। इस चरण में सभी सहभागियों के धैर्यशील एवं श्रम साध्य प्रयासों की आवश्यकता है। इस अवस्था में यह भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समुत्थान तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों का समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। चितौड़गढ़ जिले के सन्दर्भ में इस अवस्था के निम्न चरण होगे—



चित्र—8.1 समुत्थान -पुनर्निर्माण- पुनर्वास के चरण

8.2 नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण—

उक्त कार्य का विस्तृत विवरण अध्याय-7 में दिया गया है। आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने का प्रभार जिला कलकटर का होगा जिसके निर्देश पर स्थानीय स्तर की एक कमेटी का गठन किया जायेगा। यह कमेटी विस्तृत आंकलन के पश्चात् रिपोर्ट जिला कलकटर को सौंपेगी। जिला कलकटर यह निर्धारित करेगा कि आपदा किस स्तर की है तथा किस स्तर पर पुनर्लृत्यान कार्यक्रमों की आवश्यकता है। नुकसान के आंकलन के पश्चात् यह निर्धारित किया जायेगा कि किस स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है।

नीति निर्धारण —

समुत्थान, पुनर्निर्माण व पुनर्वास हेतु निर्धारित नीति के तीन प्रमुख चरण होंगे—


1. बहाली
2. पुनर्निर्माण
3. बसाव

- **बहाली-**

यह प्रथम आवश्यक चरण होगा। इसमें आपदा के कारण नष्ट हो चुकी अत्यावध्यक सेवाओं की बहाली की जायेगी। आपदा के समय विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज, चिकित्सा, शिक्षा आदि आवश्यक सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। अतः नीति निर्धारण में इन आवश्यक सेवाओं की बहाली हेतु प्रभावी प्रस्ताव होगा।

- **पुनर्निर्माण -**

आपदा के दौरान आधारभूत संरचना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भूकम्प, बाढ़, आग, सुनामी जैसी आपदा में आवासीय भवन, प्रशासनिक भवन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, व्यावसायिक भवन, सड़कें, पटरियाँ आदि क्षतिग्रस्त हो जाती हैं अतः नीति निर्धारण का द्वितीय चरण पुनर्निर्माण होगा जिसमें क्षतिग्रस्त तथा नष्ट आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण सम्मिलित है।



चित्र—8.2 नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु

- **बसाव-**

आपदा से बेघर, शारीरिक-मानसिक रूप से टूट चुके व्यक्तियों का बसाव व पुनर्वास आवश्यक है। आपदा के शिकार लोगों का पुनर्वास भी नीति निर्धारण में सम्मिलित है। साथ ही साथ उन्हें मानसिक सहारा देना भी सम्मिलित है।

8.3 पुनर्गठन (समुत्थान)-

इस प्रकार जिला कलक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर प्रभारी विभागों तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश प्रदान किये जायेंगे। पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्यों हेतु अलग-अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करें।

कार्य/पुनर्स्थापना	नोडल विभाग
1. विद्युत	स्थानीय विद्युत वितरण निगम
2. चिकित्सा	चिकित्सा विभाग

3. शिक्षा	शिक्षा विभाग
4. दूरसंचार	जिला दूरसंचार विभाग
5. पेयजल	जिला स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
6. सीवरेज	नगर पालिका/परिषद्/ निगम
7. मलबा हटाना	नगर पालिका/ परिषद्/ निगम
8. खोज -बचाव	पुलिस विभाग

तालिका-8.1 पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/ अधिकारी


पुनर्गठन अथवा पुनर्स्थापना के अन्तर्गत आवश्यक सेवाएँ सम्मिलित की जाती है। इसके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है-

- **बुनियादी सेवाएँ-** बुनियादी सेवाओं में जलापूर्ति, सेनिटेशन, सॉलिड वेर्ट ऐनेजमेंट, सीवरेज आदि आती है। इन सेवाओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभागों तथा विशेष एजेंसियों व एनजीओ की सहायता से यह कार्य संभव है। चितौड़गढ़ जिले में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैकरों से जलापूर्ति, अस्थायी ठंकियों का निर्माण आदि उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे जिनमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जायेगा। सेनीटेशन तथा सीवरेज हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शौचालय, चल शौचालय तथा स्नानघर उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे उन स्थानों पर सेनीटेशन तथा सीवरेज की समस्या हल हो सके। आपदा के पश्चात् मलबा हटाने हेतु जेरीबी तथा ट्रेकरों आदि के लिए नगर परिषद् तथा निजी एजेंसियों की सहायता ली जावेगी।
- **अत्यावश्यक सेवाएँ-** ये सेवाएँ जीवन रेखा कही जाती हैं- जैसे विद्युत, संचार, परिवहन आदि। इन सेवाओं की पुनर्स्थापना अतिआवश्यक है, क्योंकि राहत तथा प्रत्याक्रमण इन्हीं सुविधाओं पर निर्भर है। सामाज्यतया सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी अत्यावश्यक सेवाओं की पुनर्स्थापना कितनी जल्दी होती है। इसके असफल होने पर अव्यवस्था, दंगे, पलायन की स्थिति आ जाती है। जिले में जिला कलक्टर के आदेश व अनुशंसा पर विद्युत, संचार व परिवहन स्थापना हेतु क्रमशः - विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग तथा परिवहन विभाग (रेल विभाग व पथ परि. निगम) नोडल विभाग बनाये जायेंगे जो अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

8.4 पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य-

आपदा के समय आवासीय भवनों तथा प्रशासनिक एवं अन्य भवनों को नुकसान होना स्वाभाविक है। अतः आपदा के पश्चात् पुनर्निर्माण

तथा मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है। इस कार्य के तीन अंग हैं-



आवासीय ढाँचे के पुनर्निर्माण में शहरी व ग्रामीण इलाकों के सभी प्रभावित घरों की डिजाईन, योजना व पुनर्निर्माण शामिल है। जिले में इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु दो उपाय किये जा सकते हैं-

- (1) लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता देना।
- (2) उचित स्थान का निर्धारण कर, आवास निर्मित कर लोगों को देना।

आर्थिक सहायता आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय अथवा व्यावसायिक ढाँचों के पुनर्निर्माण हेतु दी जायेगी। पूर्णरूप से नष्ट आवासीय तथा व्यावसायिक संरचना का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु उचित निर्माण स्थल का चयन करने के बाद बड़ी तादाद में निर्माण सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु जिले में अनुभवी अभियंताओं की सहायता ली जावेगी। इस आधार पर प्रभावित लोगों हेतु अरथाई तथा स्थाई अधिवासों का निर्माण किया जायेगा। लोगों की भवन पुनर्निर्माण में स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानों की डिजाईन आदि में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं।

ऑनर ड्राइवन रिकंस्ट्रक्शन एप्रोच (ओडीआर) -

गुजरात, उडीसा, जम्मू-कश्मीर आदि के अनुभवों से पता चला है कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया में पीड़ित व स्थानीय लोगों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस सहभागिता के माध्यम से स्थानीय रूप से आवश्यकताओं का पता लगाकर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। पुनर्निर्माण योजनाओं में और मकानों की डिजाईन प्रक्रिया में सहभागी प्रक्रिया की आवश्यकता है। जिसमें सरकार, प्रभावित समुदाय, एनजीओ, कॉरपोरेट सेक्टर व जिला स्थानीय प्रशासन शामिल होंगे।

पुनर्निर्माण प्रक्रिया में दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदलकर बेहतर निर्माण किया जा सके। पुनर्निर्माण सतत विकास के अनुरूप होना चाहिए। विभागों द्वारा पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित कार्य दल का गठन किया जाए।

विभागों द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जावेगी।

8.5 पुनर्वास के चरण-

आपदा के पश्चात लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होती है। पुनर्वास एक व्यापक शब्द है। इसमें आपदा से प्रभावित लोगों को आपदा क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थान पर बसाना अथवा उसी स्थान पर पुनर्निर्माण तथा आधारभूत सुविधाओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली शामिल है। पुनर्वास लोगों को आपदा की स्थिति से पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटाने की प्रक्रिया है, इसमें आपदा से सहमें तथा भयभीत लोगों को मानसिक तथा भावनात्मक संबल भी प्रदान किया जाता है।

चितौड़गढ़ जिले के पुनर्वास कार्यक्रम को दो भागों में विभक्त किया जायेगा-

(1) लघु अवधि पुनर्वास कार्यक्रम।

(2) दीर्घावधि पुनर्वास कार्यक्रम।

जिले की आपदा प्रबंधन योजना में त्वरित अथवा लघु अवधि कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रम शामिल किये जायेंगे-

(1) अतिआवश्यक सेवाओं की पुनः बहाली।

(2) आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापन।

(3) पुनर्निर्माण।

(4) आर्थिक सहायता।

(5) प्रभावित लोगों का पुनर्स्थापन।

जिले की दीर्घावधि पुनर्वास योजना में दीर्घावधि में प्राप्त किये जाने वाले निम्न उद्देश्य सम्मिलित हैं-

(1) प्रभावित लोगों के जनजीवन को पुनः सामान्य बनाना।

(2) प्रभावित इलाकों में मानसिक चिकित्सक की उपलब्धता जिससे लोग बुरे अनुभवों को भूल सकें।

(3) धीरे-धीरे लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के सतत प्रयास।

(4) लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु जीवन बीमा जैसे दीर्घावधि प्रयास।

(5) निश्चित समयांतराल पर प्रभावित इलाकों में समर्थ्या समाधान शिविर।

(6) प्रभावित इलाकों में पार्क, सिनेमाघर, मॉल इत्यादि की स्थापना जिससे लोग मनोरंजन में समय व्यतीत कर सकें।

पुनर्गठन हेतु मैट्रिक्स -

S. N.	Task	Department	Activity	Timeperiod	Cost	Source of fund
1.	विद्युत	विद्युत वि. नि. लि.	बहाली	आपदा से 72 घंटे	बुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
2.	संचार	दूरसंचार विभाग	बहाली	आपदा से 72 घंटे	बुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
3.	परिवहन	पथ परिवहन निगम, रेल विभाग	बहाली	आपदा से 72 घंटे	बुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
4.	चिकित्सा	चिकित्सा विभाग	बहाली	आपदा के तुरंत बाद	बुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
5.	पेयजल	जन र्वा. अभि., विभाग	बहाली	आपदा के तुरंत बाद	बुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन

पुनर्निर्माण हेतु मैट्रिक्स-

S.N.	Task	Department	Activity	Timeperiod	Cost	Source of fund
1.	आवासीय भवन	सार्व.निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	आपदा से दो माह	बुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि, अन्य सहायता
2.	व्यावसायिक भवन	सार्व.निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	आपदा से दो माह	बुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि, अन्य सहायता
3.	सड़के	सार्व.निर्माण वि. पथ परि. निगम	मरम्मत, पुनर्निर्माण	आपदा से 7 दिन	बुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	पथ परि. निगम राज्य व जिला निधि
4.	रेल परिवहन	सार्व. निर्माण वि. रेल विभाग	मरम्मत, पुनर्निर्माण	आपदा से 7 दिन	बुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	रेल विभाग, राज्य व जिला निधि
5.	प्रशासनिक भवन	सार्वजनिक निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	आपदा से 1 माह	बुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि व अन्य सहायता

पुनर्वास हेतु मैट्रिक्स-

S.N.	Task	Department	Activity	Time period	Cost	Source of fund
1.	लोगों को आर्थिक सहायता	जिला प्रशासन	उपलब्धता	आपदा से 7 दिन	कुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
2.	जीवन बीमा जैसे विकल्प	बीमा कंपनियाँ	उपलब्धता	आपदा से 1 माह	जरूरतमंद लोगों के अनुसार	राज्य व जिला आपदा निधि
3.	मानसिक चिकित्सा की उपलब्धता	चिकित्सा विभाग	हीलिंग कैम्प	आपदा से 6 माह	कुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
4.	प्रभावित इलाकों में समस्या समाधान	जिला प्रशासन	शिविर आयोजन	आपदा से 1 वर्ष	कुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
5.	शिविर लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधार में सतत प्रयास	जिला प्रशासन	विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ	आपदा से 2 से 3 वर्ष	कुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि

8.6 सारांश-

समुत्थान, पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास एक व्यापक संकल्पना है, जो कि आपदा आने के साथ ही प्रांरभ हो जाती है। समुत्थान प्रक्रिया के अन्तर्गत अतिआवश्यक सेवाओं की तुरन्त प्रभाव से बहाली शामिल होती है क्योंकि ये सामान्य जन जीवन की “लाइफ लाइन” कही जाती है। जैसे - विद्युत, संचार, चिकित्सा, पेयजल आदि। इन सेवाओं की बहाली आपदा से 72 घंटों के भीतर आवश्यक होती है। पुनर्निर्माण के अन्तर्गत नष्ट हो गई आधारभूत संरचना की, भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण आवश्यक होते हैं। इस हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी आवश्यक है। इस कार्य हेतु जन सहभागिता भी आवश्यक है।

पुनर्वास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें सतत प्रयासों के द्वारा लोगों के जन जीवन को सामान्य बनाकर पुनः पटरी पर लाया जाता है। इस हेतु मानसिक संबल, चिकित्सा, बीमा, समस्या समाधान शिविर, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना आदि उपाय काम में लाये जायेंगे।

उक्त सभी कार्य आपदा से हुए कुकसान का विस्तृत आंकलन करवाये जाने के पश्चात् जिला कलक्टर के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की अनुशंसा पर अमल में लाये जायेंगे।

अध्याय– 9

Financial Resource for Implementation of DDMP

**जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु
वित्तीय संसाधन**

विषय वस्तु-

- 9.1 आवश्यकता
- 9.2 केन्द्र एवं राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता
- 9.3 जिले के वित्तीय संसाधन
- 9.4 जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत
- 9.5 वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियाँ
- 9.6 सारांश

9.1 आवश्यकता-

किसी भी कार्य को करने हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध करवाने तथा उपकरणों की खरीद वित्तीय सुविधा पर आधारित है। आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात आदि सभी कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यक सेवाओं की बहाली, पुनर्निर्माण, पुनर्वास जैसे कार्य वित्तीय संसाधनों के बिना संभव नहीं है। अतः आपदा प्रबंधन व राहत प्रत्याक्रमण हेतु वित्तीय साधन आवश्यक हैं।

आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्धता मुख्य रूप से त्रिस्तरीय (केन्द्र, राज्य, जिला) होती है। NGO, व्यावसायिक संस्थान, जनसहयोग से भी वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

9.2 केन्द्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता -

आपदा पीड़ित लोगों की राहत सहायता के लिए नीति और फंडिंग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परियोजनाओं में दी हुई होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग हर पांच साल में पुनर्निरीक्षण करता है। वित्त आयोग का मुख्य दायित्व कर राजस्व को केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित करना और राहत सहायता संबंधी नीति एवं उनके हिस्से के खर्च का निर्धारण करना है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य ने एक कलैमिटी रिलीफ फंड स्थापित किया है। कलैमिटी फंड का आकार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह खर्च पिछले वर्षों में राहत कार्यों एवं पुनर्वास पर किये गये खर्चों को ध्यान में रख कर किया जाता है। इस फंड में 75 प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार का और 25 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का होता है। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत सहायता सीआरएफ से दी जाती है। अगर आपदा बहुत व्यापक है जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह फंड नेशनल कलैमिटी कंटिजेंसी फंड (एनसीसीएफ) जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, में से दिया जाता है। जब इस तरह की मांग की जाती है तो ये जरूरतें एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। संक्षेप में राहत एवं रिसपॉन्स संबंधी कार्यक्रमों के लिए देश में फंडिंग की संस्थागत व्यवस्था की गई है जो बहुत ही मजबूत और कारगर है। हालांकि आपदाओं की सूची और मानकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और यह कार्य राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (2005) के अनुसार वर्ष 2010-11 में कलैमिटी रिलीफ फंड का नाम स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फंड (एसडीआरएफ) तथा नेशनल कलैमिटी कंटिजेन्सी फंड नाम बदलकर नेशनल डिजास्टर रिसपॉन्स फंड (एनडीआरएफ) कर दिया है। यहाँ एक फंड की भी व्यवस्था की गई है जिसका नाम स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) है। नुकसान का आंकलन करने वाली मुख्य ऐजेंसी जिला प्रशासन हैं। इस

काम में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, गृह, चिकित्सा, पशुपालन, वन जल आपूर्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु कल्याण आदि के कर्मचारी लगाये जाते हैं। बुकसान का पता लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलक्टर प्रत्येक संबंधी कर्मचारी से रिपोर्ट मांगते हैं। अगर किसी क्षेत्र में फसलों को 50 प्रतिशत बुकसान हुआ है, तो उसे अभावक्षेत्र घोषित कर दिया जाता है।

- **एनसीसीएफ(एनडीआरएफ)** के तहत दावेदारी की प्रक्रिया -

राज्य स्तर पर सभी जिला कलक्टर की रिपोर्ट्स संकलित की जाती है और बुकसान के विवरण के आकड़े केब्ड सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया जात है। एनसीसीएफ (एनडीआरएफ) से सहायता संबंधी निवेदन आते हैं तब केब्ड सरकारी द्वारा नियुक्त एक टीम उनका मूल्यांकन करती है और इसके बाद एक उच्च-स्तरी कमेटी द्वारा वे जारी किये जाते हैं।

- **क्षमता-वर्धन के लिए फंड -**

आपदा प्रबन्धन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिए केब्ड सरकार ने पांच साल तक (वितीय वर्ष 2011-12 से 2014-15) 6 करोड़ सालान देने का प्रावधान किया है। यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईटी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार पर खर्च किया जायेगा।

- **आपदा तैयारी कार्यक्रमों के लिए फंड -**

बारहवें वित आयोग ने आपदा तैयारी एवं शमन कार्यों को राज्य योजना का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। अभी तक आपदा तैयारी कार्यक्रमों के लिए फंड का कोई प्रावधान नहीं है।

- **राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएँ -**

उपरोक्त प्रावधानों के अलावा राज्य ने भी एक फंड स्थापित किया है जिसका नाम है- राजस्थान राहत कोष (आरआरके)। जिसके लिए शुरूआती तौर पर 6 करोड़ रुपये का प्रावधान है, और आगामी वर्षों में इसमें 25 लाख रुपये सालान डाले जायेंगे। इस फंड का इस्तेमाल दुर्घटनाओं के पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्यों के लिए किया जायेगा। जिनके लिए फंडिंग का दूसरा प्रावधान नहीं है। (जैसे बोर वैल्स में फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए खुदाई आदि कार्य) सांसद, विधायक एवं अन्य लोग इस फंड में अपना योगदान दे सकते हैं।

- **बाह्य फंडिंग व्यवस्थाएँ -**

अभी तक बाह्य ऋतों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों से कुछ परियोजनाओं के लिए ही फंड जुटाने का प्रावधान है।

- वितीय प्रावधान -

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार से बजट (राशि) उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केन्द्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती है।

- आपदा राहत निधि -

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.2010 से राज्यों को वित आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता है। केन्द्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुए।

- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि -

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत ज्ञापन केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। जिस पर एक केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का आंकलन किया जाता है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केन्द्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

- राज्य आपदा मोचन निधि -

राज्य में 13 वें वित आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि का सूजन किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होगा। इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदण्डानुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जायेगा।

- राजस्थान राहत कोष-

ऐसी प्राकृतिक आपदाएँजिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाना सम्भव नहीं है, सहायता देय नहीं है। उनमें राहत प्रदान करने /व्यय करने के लिए राजस्थान राहत कोष स्थापित किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी। राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबन्धन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

- वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान -

आपदा प्रबन्धन के नये दृष्टिकोण (निर्वारण, प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया एवं पुनर्वास) के अनुरूप वितीय प्रावधान किये जाने आवश्यक है। इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि की तरह ही राज्य आपदा उपशमन निधि का सूजन

भी किया जायेगा। जिला स्तर पर भी इस तरह की निधियों का गठन करने पर विचार किया जायेगा। क्षमता संवर्धन के लिए केन्द्र से प्राप्त राशि के उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य में आपदा प्रबन्धन हेतु निवारण, तैयारी, पुनर्वास एवं पुर्णनिर्माण के लिए वित की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार योजना के तहत करनी होगी। आपदा पूर्व तैयारी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आपदा प्रबन्ध हेतु प्रावधान करना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए सभी विभाग अपनी योजनाओं में आपदा उपशमन के वितीय/तकनीकी प्रावधानों को शामिल करेंगे। सभी विभाग अपने विभाग की आपदा प्रबन्ध योजना में वितीय प्रावधानों को शामिल करेंगे। इसके लिए पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं में आवश्यक प्रावधान रखेंगे।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन के तहत जोखिम बीमा, माइको फाईनेस तथा बीमा जैसे वितीय साधनों को भी बढ़ावा दिया जायेगा। फसल बीमा योजना, स्वंय सहायता समूह जैसी योजनाओं को विकसित किया जायेगा। औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी सम्बंधित इकाई की होगी। जिला कलक्टर पीडित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए जनता से अंशदान प्राप्त करने का प्रावधान करेंगे।

9.3 जिले के वितीय संसाधन-

यद्यपि आपदा के समय व्यापक वितीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नहीं हो पाती है। फिर भी तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर वितीय व्यवस्था आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर दो प्रकार का राहत कोष बनाया जायेगा।

जिला आपदा राहत कोष-

1. आपदा आयोजना कोष
2. आपदा राहत-प्रत्याक्रमण कोष

• आपदा आयोजना कोष-

यह कोष आपदा से पूर्व तैयारियों हेतु निर्मित किया जायेगा। इसका प्रयोग आपदा प्रबन्धन योजना तैयारी, प्रशिक्षण, क्षमता संवर्धन, उपकरणों की खरीद आदि के उपयोग में आयेगा। यह कोष केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त सहायता तथा जिला स्तर पर जुटाये गये वितीय संसाधनों से निर्मित होगा।

• आपदा राहत व प्रत्याक्रमण कोष-

यह एक अतिआवश्यक कोष होगा यह कोष आपदा के समय राहत व प्रत्याक्रमण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्वास इस कोष के प्रमुख उद्देश्य होंगे। यह कोष केन्द्र व राज्य

सरकार से प्राप्त सहायता तथा जिला स्तर पर जुटाये गये वित्तीय संसाधनों से निर्मित होगा।

9.4 जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत-

जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत निम्न है जिनसे आपदा के समय वित्तीय सहायता ली जा सकती है :-

व्यावसायिक संसाधन	जिले के प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान, शोरुम, होटल्स आदि
औद्योगिक संस्थान	हिन्दुस्तान जिंक, बिरला सीमेन्ट, लाफार्ज, जे.के. सीमेन्ट आदि
एन.जी.ओ.	विभिन्न समाज सेवी संस्था एवं दानदाता
जन सहयोग	विभिन्न समाज सेवी
सरकारी कर्मचारी	एक दिन का वेतन दान करेगे।

9.5 वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियाँ-

जिला स्तर पर वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की समर्त शक्तियाँ जिला कलक्टर में निहित होंगी। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक विशेषाधिकार प्राप्त कर्मठी का गठन किया जायेगा। जिसमें सदर्य-जिला आपदा प्रभारी, विभिन्न अग्रणी विभागों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, तथा लेखाकागर हो सकेंगे। यह कर्मठी समय समय पर यह निश्चित करेगी की कब- कहाँ- कितने धन की आवश्यकता है। आपदा के पश्चात व्यय किये गये धन की ऑडिट समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा करवायी जायेगी। जिसमें राहत कोष का दुरुपयोग रोका जा सके।

9.6 सारांश—

आपदा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में व्यापक बन्दोबस्त किये गये है। केन्द्र व राज्य स्तर पर राहत कोष स्थापित किये गये है। जो आपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जिला स्तर पर आपदा योजना कोष तथा आपदा राहत कोष की स्थापना की जायेगी जिसका प्रयोग जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कर्मठी द्वारा किया जायेगा। अन्य संसाधनों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

अध्याय— 1 ०

**Procedure and Methodology for
Monitoring, Evaluation, Updation and
Maintenance of DDMP**

**जिला आपदा प्रबंधन योजना का
निरीक्षण, मूल्यांकन एवं
आधुनिकीकरण**

विषय वस्तु—

- 10.1 आवश्यकता, महत्व, निरीक्षण तथा मूल्यांकन
- 10.2 योजना निरीक्षण व आधुनिकीकरण का दायित्व
- 10.3 आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया
- 10.4 योजना निरीक्षण की समय सारणी
- 10.5 DDMP का ऑन लाईन अपडेट
- 10.6 मॉकट्रिल हेतु उत्तरदायी संरथायें व संसाधन
- 10.7 सारांश

10.1 आवश्यकता, महत्व, निरीक्षण तथा मूल्यांकन-

आपदा प्रबंधन गतिशील होता है। जमीनी हकीकतें, बदलती आबादी, उसकी विशिष्टता, आपदाओं से निपटने की सरकारी प्रणालियों, DDMP की कार्यसाधकता को निर्धारित करती है। समय समय पर योजना की समीक्षा व आधुनिकीकरण आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भी धारा 23(5) के अनुसार DDMP की सालाना सारणी समीक्षा व आधुनिकीकरण आवश्यक है।


तैयारी का सर्वोच्च स्तर प्रस्तुत करने के लिए किसी भी विस्तार व तीव्रता वाली आपदा का मुकाबला करने के लिए जिले का पर्याप्त एवं तकनीकी द्वारा संचालित हेजर्ड रिस्क एडं वलनरेबिलिटी अर्सैसमेंट किया जावेगा। यह कार्य प्रतिवर्ष होगा तथा इसके आधार पर DDMP में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। DDMP एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। यह योजना जिले में सभी क्षेत्रिज तथा अनुलम्ब आपदा प्रबंधन योजनाओं का सार तथा संकलन फल है। क्षेत्रिज योजनाओं में अग्रणी विभाग जैसे गृह, खाद्य, विद्युत, चिकित्सा, पेयजल, सेनीटेशन, अग्निशमन, रसद आपूर्ति शामिल हैं।

यह योजना तभी सुचारू रूप से काम करेगी जब वर्तमान संगठनात्मक संरचना केवल गैर-आपातकालीन सेवाओं के लिये जिम्मेदार है। यदि एक काम रोज अच्छे से किया जाए तो वही काम रोजाना अच्छे से किया जा सकता है। अतः DDMP को निरन्तर अद्यतन तथा प्रभावी रहने के लिए इसका सतत निरीक्षण, मूल्यांकन तथा आधुनिकीकरण एवं समीक्षा आवश्यक है।

10.2 योजना के निरीक्षण व आधुनिकीकरण का दायित्व -


DDMP का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना में उल्लेखित प्रणाली को किस स्तर तक प्रयोग में लाया जा रहा है। DDMP के निरीक्षण व आधुनिकीकरण में विभिन्न स्तर होंगे।

सर्व प्रथम जिला स्तर पर एक कोर कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें अध्यक्षता जिला कलक्टर महोदय द्वारा की जायेगी। इस कोर कमेटी में विधायक, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विद्युत, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधि. अभियंता, विषय विशेषज्ञ तथा प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल किये जायेंगे। यह 8-10 सदस्यीय दल होगा तथा इसमें संख्या निर्धारण का अधिकार जिला कलक्टर का होगा।



चित्र- 10.1 DDMP के नियंत्रण व आधुनिकीकरण का चतुर्वर्तीय तंत्र

जिला स्तर पर निर्मित कोर ग्रुप के समान ही नगर पालिका, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार की कोर कमेटियाँ बनाई जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्तर की प्रत्येक कमेटियाँ DDMP में दिये गये अपने उद्देश्यों को पहचान कर तदनुरूप कार्य करेगी। प्रत्येक स्तर की कमेटी वर्ष भर अपने क्षेत्र की आपदाओं, उनके प्रभाव, उपलब्ध वित्तीय तथा अन्य संसाधनों, राहत व प्रत्याक्रमण हेतु आवश्यकताओं, उनके द्वारा किये गये सर्वोत्तम प्रयोगों को अभिलेखित करेगी। यह रिपोर्ट वर्ष के अन्त में अथवा आवश्यकता या माँगें जाने पर जिला कोर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जिसके माध्यम से कमेटी DDMP में आवश्यक आधुनिकीकरण करेगी।



चित्र- 10.2 DDMP के नियंत्रण व आधुनिकीकरण हेतु सूचना प्राप्ति

इस प्रकार इस चरणबद्ध प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशासन इकाई तथा विभाग को अपना दायित्व ज्ञात होगा तथा वे वर्षभर आपदा से संबंधित सूचनाओं से अद्यतन रहेंगे। जिसका सीधा लाभ DDMMP के निरीक्षण व आधुनिकीकरण हेतु निर्मित जिला कोर कमेटी को मिलेगा।

विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली इस रिपोर्ट में आपदा शमन के सभी चरणों में (आपदा पूर्व, दौरान व बाद) प्रयोग में लाई गई मानवशक्ति, व्यय, प्रशिक्षण, अन्य क्षमतावर्धक कार्यक्रम, तकनीकी व आपदा तैयारी व शमन के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनों का विस्तृत विवरण दिया जावेगा। प्रत्येक प्रशासनिक रत्तर/इकाइयों तथा विभाग का एक नोडल अधिकारी होगा जो इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगा। ये अधिकारी अपने रत्तर पर भी सालाना इस योजना की समीक्षा कर सुझाव दे सकेंगे।

10.3 आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया-

आपदायें हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। प्रत्येक आपदा में जान-माल का भारी बुकसान होता है और प्रत्येक आपदा कुछ अन्तराल के बाद पुनः घटित होती है। किसी आपदा से मिली सीख से हमें किसी दूसरी संभावित आपदा के शमन की योजना तैयार करने में मदद मिलती है।

जिले में DDMMP का मूल्यांकन, यहाँ घटित होने वाली प्रत्येक आपदा से सन्दर्भ में भी किया जायेगा। प्रत्येक प्रशासनिक इकाई तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में घटित होने वाली आपदा के शमन, तैयारी, रिसॉर्स, समुत्थान व पुनर्वास हेतु किये गये उपाय, आपदा का प्रभाव, बुकसान, पुनरावृति आदि से संबंधित प्रलेख तैयार किया जायेगा। यह प्रलेख प्रत्येक आपदा के सन्दर्भ में एक नया अद्यतन दस्तावेज होगा जो DDMMP में उस आपदा से संबंधित जानकारी का आधुनिकीकरण का माध्यम होगा। ऐसे दस्तावेज प्रत्येक छः माह पश्चात सभी प्रशासनिक इकाइयों तथा विभागों द्वारा जिला कोरग्रुप को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

10.4 योजना निरीक्षण की समय सारणी-

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 (5) के अनुसार DDMMP की सालाना समीक्षा व आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। इसी की अनुपालना में DDMMP के प्रारंभिक अनुभागों की समीक्षा व आधुनिकीकरण प्रत्येक वर्ष में की जावेगी। जबकि योजना में व्यापक संशोधन पाँच साल में एक बार किया जायेगा। जिला रत्तर पर प्रमुख विभागों के कर्मचारियों के बार-बार तबादलों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है, कि प्रमुख विभागों के सम्पर्क अधिकारियों के बारे में मासिक अपडेट्स को योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जायेगा। इसी तरह उपकरणों की सूची के तिमाही अपडेट्स DDMMP का अभिन्न हिस्सा होगा।

क्र.सं.	कार्य	अपडेट्स की अवधि
1	अधिकारी कर्मचारी के नाम व दूरभाष	प्रत्येक माह
2	एच.आर.वी. मूल्यांकन व आपदोत्तर अपडेट	प्रत्येक तिमाही
3	उपकरणों व उपलब्ध संसाधनों का अपडेट	प्रत्येक तिमाही
4	प्रासंगिक अनुभागों की समीक्षा व आधुनिकीकरण	प्रत्येक वर्ष
5	DDMP में व्यापक संशोधन	पांच वर्ष में एक बार

तालिका- 10.1 विभिन्न कार्य तथा अपडेट्स की समय सारणी

प्रस्तावित योजना से स्पष्ट है कि DDMP के किसी न किसी भाग का मूल्यांकन तथा आधुनिकीकरण सतत चलता रहेगा।

कार्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम् वर्ष
DDMP को अन्तिम रूप देने के लिए सभी विभागों प्रशासन के साथ परामर्श					
जिला स्तर पर एच.आर.वी. मूल्यांकन					
सभी स्तरों पर सभी विभागों और प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया जाना।					
समीक्षा व निगरानी प्रगति					
DDMP में व्यापक संशोधन व आधुनिकीकरण					

तालिका- 10.2 DDMP की समीक्षा व आधुनिकीकरण की समयावधि

10.5 DDMP का ऑन लाइन अपडेट-

आज का युग तकनीकी युग है। दूरसंचार क्रांति के कारण सूचनाओं की पहुँच आम आदमी तक हो गयी है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट हो जिस पर DDMP प्लान से लेकर अन्य सभी सूचनाएँ अद्यतन हो। आपदा प्रबंधन हेतु राज्य व केन्द्र की वेबसाईट पहले से ही कार्यरत है। DDMP में जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट के निर्माण का प्रस्ताव भी होगा। चितौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट बनने के

पश्चात जिले में आपदा व उसके प्रबंधन से जुड़ी समस्त सूचनाएँ इस पर अपलोड की जायेगी तथा समय समय पर उन्हें अद्यतन किया जायेगा। राज्य स्तर पर निर्मित राज्य आपदा प्रबंधन की वेबसाईट www.dmrelief.rajasthan.gov.in पर भी सूचनाएँ जो जिले से जुड़ी हैं का अद्यतन नियत कालिक किया जायेगा। इस कार्य हेतु जिला NIC नोडल विभाग होगा। वेबसाईट के अतिरिक्त आकाशवाणी, स्थानीय केबल नेटर्वर्क द्वारा भी आपदा व उससे जुड़ी सूचनाएँ जन सामाज्य तक पहुँचायी जायेगी।

10.6 मॉकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थायें व संसाधन-

मॉकड्रिल एक अनुरूपण अभ्यास है जो आपदा के पूर्व तैयारी का जायजा लेने तथा कमियों को समझाने में सहायक होता है। DDMMP में वर्णित कार्य योजना अनुरूप सभी प्रशासनिक स्तरों व विभागों को तैयार करने हेतु मॉकड्रिल आवश्यक है। मॉकड्रिल का विस्तृत विवरण अध्याय “क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण” में दिया गया है। सूखा, बाढ़, अग्नि, ओलावृष्टि, सड़क दुर्घटना आदि चित्तौड़गढ़ जिले में प्रमुख आपदाएँ हैं। प्रत्येक प्रशासनिक स्तर तथा संबंधित विभाग के लिए ये आवश्यक होगा कि ये वर्ष में कम से कम एक बार उक्त आपदाओं से संबंधित मॉकड्रिल अवश्य करें।

जिला स्तर पर मॉकड्रिल हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी नोडल अधिकारी होगा जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार मॉकड्रिल हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। क्षेत्रवार तथा प्रशासनिक इकाई वार बार-बार आने वाली तथा सम्भावित प्राकृतिक आपदाओं हेतु गहन मॉकड्रिल अभ्यास में लाया जावेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाइयों के मॉकड्रिल हेतु उनके कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। चित्तोड़गढ़ जिले में आपदा मॉकड्रिल समय सारणी निम्न प्रकार होगी-

महामारी/ मौसमी बीमारी	✓									✓			
दंगे			✓							✓	✓		

तालिका- 10.3 मॉकड्रिल की प्रस्तावित समय सारणी

मॉकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाएँ निम्न होंगी-

- वे संस्थाएँ जो उस आपदा से जुड़ी हैं, जिनकी मॉकड्रिल की जा रही है। जैसे अग्निकांड की मॉकड्रिल हेतु नगरपरिषद् व अग्निशमन दल।
- उस क्षेत्र का प्रशासन जहाँ पर मॉकड्रिल की जा रही है। जैसे चित्तौड़गढ़ में मॉकड्रिल की जानी है तो चित्तौड़गढ़ स्थानीय प्रशासन उत्तरदायी संस्था होगा।

इस प्रकार आपदा विशेष तथा स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी संस्था बनाने से मॉकड्रिल अधिक यथार्थ प्रभावी हो सकेगी। मॉकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाएँ आवश्यक संसाधन जुटाने का कार्य करेगी। जबकि वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन तथा राज्य आपदा प्रबंधन कोष से प्राप्त किये जायेंगे। आपदा प्रभावित गाँवों की सूची परिशिष्ट संख्या 36 पर संलग्न है।

उपखण्ड/तहसील	आपदा							
	बाढ़	सूखा	भूकम्प	अग्नि	सड़क दुर्घटना	औद्योगिक/रासायनिक दुर्घटना	महामारी/ मौसमी बीमारी	दंगे
बेंगू	✓	✓			✓		✓	✓
रावतभाटा	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
गंगरार	✓	✓		✓	✓		✓	✓
कपासन		✓			✓		✓	✓
भोपाल सागर	✓	✓				✓	✓	✓
चित्तौड़गढ़	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
निम्बाहेडा	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
बड़ीसादडी		✓		✓			✓	
राशमी	✓	✓					✓	
झूंगला		✓					✓	
भदेसर		✓			✓			

तालिका- 10.4 उपखण्ड व तहसील अनुसार प्रस्तावित मॉकड्रिल

मॉकड्रिल में सम्मिलित सभी विभागों व संस्थाओं के प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति का इसमें शामिल होना जरुरी हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपदा के समय प्रत्येक व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्व का ज्ञान होगा।

अद्यतन DDMP को प्रत्येक उस व्यक्ति तक पहुँचाया जायेगा जो कि मॉकड्रिल से सम्बद्धित होगा। यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि मॉकड्रिल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित व अद्यतन हो तथा आपदा विशेष की मॉकड्रिल की आधुनिकतम पद्धति को जानता है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय-6 में दिया गया है।

10.7 सारांश-

आपदाएँ गतिक होती हैं, अतः आपदा राहत व प्रत्याक्रमण उपाय भी गतिक होने चाहिए। DDMP एक गतिक लेखा है, जो समय तथा आपदा घटित होने के साथ साथ अद्यतन होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ DDMP का आधुनिकीकरण का कार्य जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्मित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यह कमेटी समय समय पर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारीयों तथा स्थानीय प्रशासनिक प्रभारियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर DDMP के आधुनिकरण का कार्य करेगी। इस कमेटी द्वारा DDMP का आधुनिकीकरण का कार्य त्रैमासिक, वार्षिक तथा प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल में किया जायेगा।

विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के पते व फोन नम्बर प्रत्येक तिमाही पर अद्यतन किये जायेंगे। इसी प्रकार उपलब्ध उपकरण, संसाधन, प्रत्येक आपदा उपरान्त तैयारी में संशोधन का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। आपदा प्रबंधन योजना में व्यापक संशोधन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जायेगा।

अध्याय— १ १

Coordination Mechanism for Implementation of DDMP

**DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं
समन्वित तंत्र**

विषय वस्तु—

11.1 आवश्यकता व महत्व

11.2 केन्द्र व राज्य के साथ समन्वय

11.3 जिला स्तर पर समन्वय

11.4 स्थानीय स्तर पर समन्वय

11.5 समाजसेवी संस्थाएँ-निजी संस्थाओं से समन्वय

11.6 पड़ोसी जिलों से समन्वय

11.7 राज्य SDMP से समन्वय


11.8 सारांश

11.1 आवश्यकता व महत्व—

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित हुआ है। ये सभी संस्थाएँ परस्पर समन्वय से आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य करने के लिए उत्तरादायी हैं। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारण प्रबन्धन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबूत आधार का काम करेगा। राज्य व जिला स्तर पर समन्वय हेतु सभी सरकारी विभागों तथा अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा ऐस्पॉस किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं। इस काम में अन्य कई एजेन्सियों तथा संस्थाएँ भी शामिल होती हैं।

आपात सेवाएँ सदैव तैयार अवस्था में रहती हैं, जिससे वह तुरन्त रिस्पॉड कर सके तथा प्रशासन अन्य सेवाओं को अलर्ट कर सके। विभिन्न आपात सेवाएँ अनिवार्य होती हैं किन्तु आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटने हेतु कुछ अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ भी सहयोग करती हैं। ये सब संस्थाएँ अलग हैं इनकी ऑथोरिटी अलग है, पदानुक्रम अलग-अलग है। अगर बचाव तथा समुत्थान कार्यों को बेहतर अंजाम देने हैं तो इन सभी विभागों तथा एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक है। साथ ही एक दूसरे की क्षमताओं, सीमाओं व दायित्वों को समझना आवश्यक है।

चित्तौड़गढ़ जिले में आपदा के समय सभी विभागों तथा एजेन्सियों के मध्य बेहतर तालमेल हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। जिले द्वारा पूर्व में ही केन्द्र व राज्य स्तर पर तालमेल रखा जायेगा जो महत्वपूर्ण है। DDMP के समन्वित क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक का तंत्र निम्न प्रकार होता है-



चित्र-11.1 DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

11.2 केन्द्र व राज्य के साथ समन्वय-

11.2.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण -

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन हेतु देश का शीर्ष निकाय है। यह आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश निर्धारित करने, आपदा के समय पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं क्रियान्वयन में समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति-


केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित ‘‘राष्ट्रीय कार्यकारी समिति’’ राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को इसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करती है और उसके अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश की अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) -

आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्धन के लिए “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान” शीर्ष संस्था है। यह आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षकों आपदा प्रबंधन अधिकारियों व अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का कार्य करती है। साथ ही आपदा प्रबंधन से समन्वित अध्ययन, भोग्य एवं प्रकाशन का कार्य भी करती है।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) -

किसी चुनौती पूर्ण आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। यह आपदा की स्थिति में बुलाये जाने पर राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।



चित्र-11.2 राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित तंत्र

11.2.2 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) :-

राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियाँ और योजनाएँ निर्धारण हेतु शीर्ष निकाय है। इसके कार्य राज्य आपदा योजना को अनुमोदित करना, राज्य आपदा योजना के क्रियान्वयन का समन्वयन करना, निवारण, प्रशमन, तैयारी के उपायों के लिए प्रावधान करना और राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की आपदा सम्बंधी निगरानी करना है।

राज्य कार्यकारी समिति (SEC)-

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय व राज्य की नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) -

प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह निकाय जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन के लिए योजना बनायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा निवारण, प्रशमन, तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देशों का जिला स्तर पर सभी विभागों एवं अधिकारियों द्वारा पालन किया जाये।

राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) -

केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। इस बल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसे आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बाढ़, भूकम्प, रासायनिक एवं आणविक जैवी आपदाओं के लिए विशेष दल बनाए जायेंगे। महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल के लिए इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा शनैः शनैः इसका आवश्यकतानुसार विस्तार किया जायेगा।

आपदा प्रबन्धन केन्द्र-

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों की क्षमता संवर्धन करने के उद्देश्य से 'एच.सी.एम.रीपा' जयपुर में आपदा प्रबंधन केन्द्र कार्यरत है। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आपदा प्रबंधन के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना, आपदा प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रबंधन एवं अनुसंधान के लिए कार्य करती है। धीरे-धीरे आपदा प्रबंधन केन्द्र का पृथक से स्वतंत्र अस्तित्व विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस


ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित है जो कि क्षमता संवर्धन का कार्य कर रहा है।

नोडल विभाग -

राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की प्रकृति के आधार पर उनके नोडल विभाग निर्धारित कर दिये हैं। इसमें राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधन किया जावेगा। इन नोडल विभागों का यह कर्तव्य है कि वे विभाग से संबंधित आपदा के निवारण, उपशमन एवं तैयारी के लिए आवश्यक योजनाएं बनाएं। नोडल विभागों की सूची परिशिष्ट 1, 2, 7 पर उपलब्ध है।

11.3 जिला स्तर पर समन्वय-


आपदा के समय फर्स्ट रिपॉर्टर स्थानीय प्रशासन व लोग होते हैं। उनके तुरन्त बाद जिले को उत्तरदायित्व लेना होता है। जिले में डीडीएमपी सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसके बाद जिले का उत्तरदायी अधिकारी, जिला कलक्टर होगा। इसके पश्चात् जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुख्या सचिव या कमाण्डर का कार्य करेगा। इसके साथ जिला सूचना अधिकारी एसडीएम अथवा तहसीलदार (संबंधित स्थान के) कार्य करेंगे। एसडीआरएफ का एक अधिकारी समन्वय हेतु होगा। इसके पश्चात् दल तीन भागों में बंट जायेगा। (1) सभी उत्तरदायी विभागों के मुख्या (2) एसडीआरएफ के लीडर (3) रसद प्रमुख। यह समन्वित ढांचा निम्न प्रकार होगा -



चित्र—11.3 जिला स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब सम्बन्ध के साथ समन्वित तंत्र

11.4 स्थानीय स्तर पर समन्वय-

किसी भी आपदा के समय स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय व्यक्ति प्राथमिक अनुक्रिया कारक होते हैं। आपदा का प्रथम प्रभाव भी उन्हें ही झेलना पड़ता है तथा प्रथम प्रत्याक्रमण भी उन्हें ही करना पड़ता है। अतः स्थानीय प्रशासन, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, प्रमुख अनुक्रिया कारक होते हैं। इस दृष्टि से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाया जायेगा तथा आपदा संभावित गांवों में प्रशिक्षण व आवश्यक उपकरण देकर उन्हें प्रत्याक्रमण हेतु सशक्त बनाया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत व ग्राम स्तर पर त्वरित आपदा अनुक्रिया दल का गठन किया जायेगा। इसमें सरपंच, पटवारी, सचिव, गिरदावर, चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत, पेयजल) तथा गांव के समाजसेवी लोग सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार निकटस्थ तहसील, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत भी आपदा के समान फर्स्ट रिस्पॉन्डर के समान ही उपयोगी हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर पटवारी, सचिव तथा गिरदावर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति सम्पूर्ण तंत्र के आधार हैं, जो आपदा के समय कार्य करता है। आपदा के समय दूरस्थ स्थानों की जानकारी, सूचनाओं का सम्प्रेषण, आपदा के स्तर का आंकलन, आपदा की क्षति का सर्वेक्षण आदि कार्यों की सही जानकारी स्थानीय स्तर के लोग/कर्मचारी ही दे सकते हैं।



चित्र—11.4 स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

11.5 समाजसेवी संस्थाएँ-निजी संस्थाओं से सम्बन्ध-

विभिन्न एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा समाज सेवी संस्थाएँ ऐसे कारक हैं जो आपदा के समय प्रशासन के समान ही प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। चित्तौड़गढ़ में संचालित एनजीओ जैसे प्रयास, कट्स, ओरेंज आदि ऐसे संस्थान हैं जो लम्बे समय के इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये आपदा के समय प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हैं। इसी प्रकार निजी विद्यालय, निजी अस्पताल भी आपदा के समय समन्वित तंत्र का अहम हिस्सा होते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के सभी निजी विद्यालयों को आश्रय स्थल तथा निजी अस्पतालों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद किया जा सकता है।

11.6 पड़ोसी जिलों के साथ सम्बन्ध-


प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन के सन्दर्भ में सर्वसाधन सम्पन्न तथा क्षमता वाला नहीं होता है। आपदा के समय प्रत्येक क्षण बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। चित्तौड़गढ़ जिला विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है। उदाहरण के लिए रावतभाटा, कनेराघाटा आदि क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आपदा घटित होने पर जिला मुख्यालय की अपेक्षा पड़ोसी तहसील, गांव अथवा जिले से सहायता तुरन्त पहुंच सकती है। उदाहरण-रावतभाटा में आण्विक संयंत्र में कोई आपदा होने अथवा आग की दशा में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की अपेक्षा कोटा जिला मुख्यालय से राहत तुरन्त पहुंच जायेगी। इसी प्रकार कनेराघाटा क्षेत्र में भी निम्बाहेडा व नीमच से राहत तुरन्त पहुंचायी जा सकती है। इस हेतु ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निकटस्थ जिलों तथा तहसीलों में उपलब्ध संसाधनों की सूची चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रखी जायेगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मदद ली जा सके। यहाँ ऐसे जिलों व राज्यों की सूची दी जा रही है जो निकटस्थ हैं तथा आपदा के समय सहायता तुरन्त ली जा सकती है।

क्षेत्र	निकटस्थ तहसील, जिला व राज्य क्षेत्र
रावतभाटा	कोटा, बैगूँ, मध्यप्रदेश
बैगूँ	कोटा, चित्तौड़गढ़, माण्डलगढ़, रावतभाटा
निम्बाहेडा	मध्यप्रदेश, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़	तहसील मुख्यालय, उदयपुर, कोटा, मध्यप्रदेश, भीलवाड़ा
कपासन	उदयपुर, चित्तौड़गढ़
राशमी	भीलवाड़ा, कपासन, राजसमन्द, उदयपुर
भदेसर	चित्तौड़गढ़, उदयपुर
बड़ीसादड़ी	प्रतापगढ़, निम्बाहेडा, उदयपुर, बाँसवाड़ा

तालिका- 11.1 तहसील अनुसार निकटस्थ जिले एवं राज्य जहाँ से सहायता ली जा सकती है।

11.7 राज्य SDMP से सम्बन्ध -

राज्य SDMP सभी जिलों के लिए आदर्श स्तर एवं मानक होगी। सभी जिले राज्य SDMP के अनुसार अपने-अपने क्रियान्वयन तंत्रों व समन्वय तंत्रों में सुधार करेंगे। चित्तौड़गढ़ DDMP के क्रियान्वयन में भी कोई समस्या या शंका उपस्थित होने पर SDMP का अनुसरण किया जायेगा।



11.8 सारांश-

DDMP के क्रियान्वयन हेतु एक समन्वित जिला तंत्र की आवश्यकता है, जो आपदा आने पर DDMP का अनुसरण करते हुए तुरन्त सक्रिय हो जाये। केन्द्र व राज्य स्तर पर राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान तथा NDRF/SDRF मिलकर एक समन्वित तंत्र बनाते हैं। जिला प्रशासन को आपदा के दौरान इसी तंत्र से समन्वय बनाते हुए कार्य करना होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला कलक्टर DDMP मुखिया होगा तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी राहत सचिव होगा। इनके निर्देश पर जिला कार्यकारी समिति क्रियाशील होगी जो इंसिडेंट रिस्पांस ग्रुप (आई.आर.जी.) को निर्देश देगी। इस ग्रुप में क्रियाशील होने पर सभी प्रमुख विभाग व उनके नोडल अधिकारी कार्यभार संभाल लेंगे। स्थानीय स्तर पर संबंधित विभाग व प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी उत्तरदायी होंगे जो जिला स्तर पर समन्वय बनाये रखेंगे।

अध्याय- 1 2

Standard Operating Procedures (SOPs) and Checklist

**मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा
चैकलिस्ट**

विषय वस्तु—

- 12.1 आपदा की स्थिति का परिभाषिकरण
- 12.2 आपदा की चेतावनी पर संक्रिया
- 12.3 वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना
- 12.4 विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व
- 12.5 सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रबंधन
- 12.6 केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता
- 12.7 राहत व पुनर्वास के मापदंड
- 12.8 मानवीय राहत व सहायता
- 12.9 सारांश

12.1 आपदा की स्थिति का परिभाषिकरण—

आपदाएँ प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं और वर्षों से किए गये विकास कार्यों के प्रयासों को निरर्थक करके देश को कई दशक पीछे धकेल देती है। समुत्थान के सब्दर्भ में आपदाओं का प्रभाव विकासशील देशों पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए आपदा पूर्व प्रयासों जैसे तैयारी, क्षमतावर्धन, बेहतर जानकारी, प्रभावी जबाब प्रणाली, प्रबन्धन व पुनर्निर्माण से जान व माल के बुकसान को कम किया जा सकता है।

आपदा एक मानव या प्रकृति प्रेरित घटना है। जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जानमाल की क्षति होती है। इसके साथ एक निश्चित क्षेत्र में आजीविका व सम्पति की हानि होती है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को दुःख व कष्ट झेलने पड़ते हैं। आपदा वह अवस्था है जिसमें स्थानीय प्रशासन असहज महसूस करता है तथा स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती है। कोई भी संकट आपदा की श्रेणी में निम्न दशाओं में गिना जायेगा—

1. जन-धन की व्यापक हानि।
2. सम्पति व आजीविका की व्यापक क्षति।
3. स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से बाहर की दशा।
4. प्रारम्भिक सूचनाओं के आधार पर जिले के लिए विषम परिस्थिति।

आपदा के विरुद्ध राहत व प्रत्याक्रमण आपदा के स्तर से निर्धारित किया जायेगा, जो स्थानीय प्रशासन से मिली प्रारंभिक सूचनाओं पर आधारित है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय -7 में दिया गया है।

12.2 आपदा की चेतावनी पर संक्रिया-

जिले में आपदा चेतावनी की प्राप्ति का दायित्व सूचना व जनसम्पर्क विभाग के पास होगा। सूचना/चेतावनी स्थानीय स्तर से प्राप्त होगी तथा निर्धारित छोतों से होकर जिला स्तर पर पहुंचेगी। चेतावनी का प्रसारण आकाशवाणी, जिला केबल, प्रिंट मीडिया तथा माईक आदि के माध्यम से किया जावेगा। जिला कलक्टर के निर्देश पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा प्रभारी तुरंत सक्रीय होंगे, जो जिला कार्यकारी समिति तथा इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को सक्रीय करेंगे। इस प्रकार यह सक्रियता पदानुक्रमानुसार क्रियान्वित होगी। (विस्तृत विवरण अध्याय- 11 में दिया गया है)

12.3 वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना-

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न संस्थानों का विवरण अध्याय-9 में दिया गया है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स हेतु वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन की आपदा निधि तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त होंगे। जन सहयोग तथा दानदाता तात्कालिक वित्तीय सहायता का प्रमुख छोत हो

सकेंगे। आपदा राहत हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है। इस हेतु दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा-

उपकरण	विभाग/स्रोत
1. जे.सी.बी.	नगरपरिषद/निजी संस्थान
2. बिल्डिंग कटर	नगरपरिषद/निजी संस्थान
3. ट्रैक्टर ट्रॉली	नगर परिषद/निजी संस्थान
4. फावड़े, गेंती, तगारी आदि	नगर परिषद/प्रशासन
5. नार्वे/गोताखोर	सिंचाई विभाग/ नगर परिषद
6. मेडिकल वाहन	चिकित्सा विभाग/प्रशासन
7. चिकित्सा उपकरण	चिकित्सा विभाग
8. अस्थाई टैंट	प्रशासन/नगर परिषद
9. अस्थाई विद्युत व्यवस्था	नगर परिषद/प्रशासन
10. अस्थाई संचार व्यवस्था	पुलिस/दूरसंचार विभाग
11. परिवहन	प्रशासन/ परिवहन विभाग

तालिका- 12.1 त्वरित आवश्यक उपकरण व सम्बन्धित विभाग

12.4 विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व-


आपदा राहत व प्रत्यक्रमण में सभी विभागों की समन्वित भूमिका होती है। सभी इकाइयों व विभागों में सम्मिलित रूप से कार्य करने पर ही योजना की उचित क्रियान्विति संभव है। उक्त सूची के अनुसार चित्तौड़गढ़ के विभिन्न विभाग नोडल विभाग के रूप में सम्बन्धित आपदा का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

क्र. सं.	नोडल विभाग	सम्बन्धित आपदा
1	आपदा प्रबंधन व सहायता	ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, चक्रवात
2	ऊर्जा	विद्युत वितरण, उत्पादन, प्रसारण, संबंधी आपदा
3	गृह	आतंकी हमला, पुलिस बल, कानून व्यवस्था, भगदड़, सङ्कट, रेल दुर्घटना
4	जल संसाधन	बाढ़, बांध टूटना, बादल फटना
5	सार्वजनिक निर्माणविभाग	भूकम्प, बड़े भवनों का गिरना
6	खान	खान में आग, पानी भरना, झूबना
7	उद्योग	रासायनिक व औद्योगिक आपदा, तेल फैलना
8	नगरीय विकास	शहरी अग्नि
9	राजस्व	गाँव की आग, नाव पलटना
10	वन	वनों में आग
11	चिकित्सा व स्वास्थ्य	जैविक तथा महामारी, खराब खाने से बीमारी
12	कृषि	फसलों का खराबा, टिड़ी दल का हमला
13	पशुपालन	पशु महामारी

तालिका- 12.2 विभिन्न आपदाएँ व जिला नोडल विभाग

12.5 सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रबंधन-

आपदा के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान महत्वपूर्ण होता है। आपदा स्थल से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ तथा आपातकालीन सूचनाओं का जिला स्तर तथा जिला स्तर से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण आपदा स्थल तक होता रहता है। इन सभी के लिए उचित संचार प्रणाली आवश्यकता है। जिला सूचना व जनसम्पर्क विभाग इस हेतु नोडल विभाग तथा जिला सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी इस हेतु नोडल अधिकारी होगा।



चित्र—12.1 जिला स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रबंधन


मीडिया मैनेजमेंट-

विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम जैसे अखबार, मैगजीन, टी.वी., आकाशवाणी आदि आपदा के समय प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अगर संचार माध्यम प्रभावी हों तो सूचनाएँ तुरन्त आम जन तक पहुँचायी जा सकती है। चित्तोङ्गगढ़ जिले में मीडिया मैनेजमेंट हेतु विभिन्न प्रयास प्रस्तावित है। विभिन्न संचार माध्यमों के कार्यालयों में पते तथा उनके फोन नम्बर नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध होंगे जिससे आवश्यकता होने पर तुरंत सम्पर्क कर सूचनाएँ प्रदान की जा सकें।

ये संचार माध्यम आपदा से पूर्व आपदा से बचाव व जोखिम कम करने हेतु आमजन भागीदारी तथा जन चेतना का कार्य करेंगे। अनावश्यक सूचनाओं तथा अफवाहों में जन सामान्य तक पहुँचाने पर रोक होगी। व्हाट्सअप तथा फेसबुक जैसे माध्यमों का प्रयोग भी सूचनाओं व चेतावनी सम्प्रेषण हेतु किया जायेगा। व्हाट्सअप ग्रुप तथा फेसबुक पर अफवाहों के फैलने की दशा में इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

12.6 केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता-

आपदा एँ कभी-कभी विकराल रूप धारण कर लेती है तथा स्थानीय व जिला प्रशासन के नियंत्रण से रिथति बाहर हो जाती है। उस अवस्था में केन्द्र तथा राज्य से सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन किस दशा में सहायता लेनी है यह आपदा से हुई क्षति के आंकलन से ही होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाहरी सहायता प्राप्त करने की अवस्था का निर्धारण आपदा के स्तर से होगा। जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति आपदा स्थल पर जाकर आपदा स्तर का आंकलन करेगी। यदि आपदा स्तर नियंत्रण में है, तो जिला प्रशासन से और यदि आपदा स्तर नियंत्रण से बाहर है तो राज्य व केन्द्र से सहायता मांगी जायेगी। आपदा स्तर आंकलन की विस्तृत क्रिया विधि अध्याय - 7 में दी गई है।



चित्र—12.2 केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता

12.7 राहत व पुनर्वास के मानदंड-

आपदा राहत योजना के क्रियान्वयन में राहत व पुनर्वास प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व पुनर्वास कार्यक्रमों का मानक स्तर आवश्यकतानुसार निम्न प्रकार होगा—

क्र. सं.	कार्य	विभाग	मानक राहत स्तर व पुनर्वास
1	खाली करवाना (आवासीय व व्यवसायिक भवन)	पुलिस, नगर परिषद्	1. जोखिम पूर्ण भवनों को तुरंत खाली करवाना। 2. व्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन। 3. विस्थापित लोगों हेतु अस्थायी सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना।
2	खोज व बचाव	पुलिस, NGOs, रकाउट, NSS, NCC, SDRF, गृहरक्षा	1. संकट में फंसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थान पर भेजना। 2. संकटग्रस्त पशुओं को बचाना। 3. गुमशुदा व्यक्तियों की खोज।

			4. सूचना देने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
3	प्रभावित क्षेत्र का सुरक्षा धेरा	पुलिस, गृहरक्षा, SDRF	1. प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचने हेतु सुरक्षा धेरा ताकि भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखा जा सके। 2. आग, भूकम्प, इमारतों का ढहना, रासायनिक, औद्योगिक दुर्घटनाओं में भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखना आवश्यक है।
4	यातायात नियंत्रण	पुलिस, यातायात पुलिस, NGOs	1. प्रभावित स्थल के आस-पास वाहनों को न आने देना। 2. राहत कार्य में लगे वाहनों को शीघ्र परिवहन हेतु व्यवस्था। 3. आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की व्यवस्था।
5	कानून व्यवस्था	पुलिस, गृहरक्षा, SDRF	1. आपदा के समय भगदड़ आदि को रोकने की व्यवस्था। 2. अफवाहों को रोकना। 3. दंगे तथा लूटपाट को रोकना। 4. प्रभावितों को जान माल की सुरक्षा।
6	मृत देहों का निस्तारण	चिकित्सा विभाग, पुलिस, नगर परिषद्	1. महामारी व प्रदूषण से बचने हेतु मृत देहों का तुरंत विस्थापन। 2. मृत देहों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था। 3. रासायनिक या जैविक या महामारी की दशा में मृत देहों के पोर्टमार्ट्स की व्यवस्था। 4. मृत लोगों के सन्दर्भ में उनके रिश्तेदारों को सूचना।
7	मलबे का निस्तारण	पुलिस, नगरपरिषद्, प्रशासन, SDRF	1. अतिआवश्यक सेवाओं के पुनः स्थापना हेतु मलबे को हटाना। 2. मलबे के उचित स्थान पर डालना। 3. मलबे को सावधानी पूर्वक हटाना जिससे मूल्यवान वस्तुओं व मृत देहों को नुकसान न हो।

तालिका-1 2.3 जिला चित्तौड़गढ़ : राहत व पुनर्वास के मानक स्तर

12.8 मानवीय राहत व सहायता-

राहत व पुनर्वास के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताएँ आती हैं, जो सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक होती हैं जो जिले में आपदा के समय सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निम्न मानदंड होंगे-

क्र. सं.	अत्यावश्यक मानवीय सुविधाएँ	मानक स्तर के कार्य
1	भोजन	1. दूध, ब्रेड, दूध पाउडर इत्यादि का वितरण चित्तौड़गढ़ डेयरी के माध्यम से। 2. भोजन के पैकेट दानदाताओं से, घर से एकत्रित करके, रसद विभाग। 3. फल इत्यादि का वितरण।
2	पेयजल	1. नगरपरिषद् द्वारा पेयजल टैंकर उपलब्ध करवाना।

		<p>2.जनरखास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल।</p> <p>3.पूर्व में विद्यमान जल स्रोतों की सफाई व क्लोरीन डलवाना।</p> <p>4.पेयजल आपूर्ति तुरंत बहाल करना।</p>
3	दवाइयाँ	<p>1.सरकारी अस्पताल द्वारा आवश्यक दवाओं-बुखार, दस्त उल्टी आदि की दवाओं का वितरण।</p> <p>2.दवा व्यावसायियों के पास पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।</p>
4	वस्त्र	<p>1.जिला प्रशासन व दानदाताओं द्वारा कम्बल व वस्त्र वितरण</p> <p>2.NGOs, NSS, NCC, द्वारा पुराने वस्त्रों का संग्रहण व जरूरत मंदों में वितरण।</p>
5	ट्रोमा केयर	<p>1.सरकारी अस्पताल की आपातकालीन सेवाएँ</p> <p>2. अन्य ट्रोमा सेंटर- अक्षर ट्रोमा, सागर हॉस्पीटल आदि बड़े निजी अस्पतालों की सेवाएँ।</p> <p>3. त्वरित चिकित्सा हेतु एंबुलेंस</p>
6	अस्थायी आवास	<p>1.अस्थायी आवास (स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन) की व्यवस्था।</p> <p>2. बारिश से बचाव हेतु तिरपाल वितरण</p> <p>3. अस्थायी टैंट</p>
7	हेल्प लाईन	<p>1.आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना।</p> <p>2.आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर तुरंत हेल्प लाईन नम्बर की स्थापना।</p>
8	वीआईपी भ्रमण	<p>1.नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण की व्यवस्था।</p> <p>2.परिवहन तथा भीड़ का नियंत्रण।</p>
9	निजी संस्थाओं का सहयोग	<p>1.निजी विद्यालय -अस्थायी आवास के रूप में</p> <p>2. निजी अस्पतालों के संसाधनों का प्रयोग</p> <p>3. निजी बिल्डरों से जेरीबी, टैकट्र ट्रॉली, डम्पर आदि की सहायता लेना।</p>

तालिका- 12.4 आवश्यक मानवीय आवश्यकताएँ व मानक राहत स्तर

12.9 सारांश-

जिले में आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु एक SOP(Standard Operating Procedure) निर्धारित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से आपदा तथा आपदा के स्तरों को परिभाषित किया जायेगा। इसके पश्चात् चेतावनी तथा उसका प्रसारण होगा।

आपदा के स्तर तथा आवश्यकता को देखते हुए बाहरी सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा। आपदा स्थल से जिला मुख्यालय तक सूचनाएँ भेजने हेतु विशेष व्यवस्था होगी। डीडीएमपी में संचार माध्यमों का प्रबंधन, सहायता, संसाधन तथा राहत उपलब्ध करवाने के विभिन्न मानक स्तरों का भी उल्लेख किया गया है।
